

वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

2020-2021



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

2020-2021



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002

Website : www.esic.nic.in • www.esic.in • www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
अधिशासी सारांश	3-11
बजट एक नज़र में	12
वर्ष 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन	13-32
विवरण क: राजस्व प्राक्कलन	33-37
विवरण ख: व्यय प्राक्कलन	38-46
परिशिष्ट :–	
1) दिनांक 31.03.2020 तथा 31.03.2021 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या का सूचक विवरण	47-48
2) प्रति व्यक्ति आय और व्यय का सूचक विवरण	49
3) पूंजीगत कार्य और बजट आवश्यकता परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 का विवरण	50-61
निष्पादन बजट 2020–2021	63-79
संलग्नक :–	
1) व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	80-84
2) क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सूचक विवरण	85



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

INDEX

Particulars	Page Nos.
Executive Summary	3-11
Budget at a Glance	12
Explanatory Memorandum on the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021	13-32
Statement A: Revenue Estimates	33-37
Statement B: Expenditure Estimates	38-46
Appendices:-	
i) Statement showing the estimated number of employees covered as on 31.03.2020 and 31.03.2021	47-48
ii) Statement showing per capita income and expenditure	49
iii) Details of Capital Works and Budget requirement RE 2019-2020 & BE 2020-2021	50-61
Performance Budget 2020-2021	63-79
Annexure :-	
i) Statement showing state-wise position of coverage (Number of employees, Insured Persons/Insured Women and family units, under Employees' State Insurance Scheme. as on 31.03.2019)	80-84
ii) Statement showing per capita income from contribution and expenditure under different heads of the Employees' State Insurance Scheme	85



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

अधिशासी सारांश

प्रस्तुत दस्तावेज में क.रा.बी. निगम के वित्तीय वर्ष 2019–2020 का परिशोधित बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन है।

क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी तथा मजदूरी की हानि के फलस्वरूप रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु, मातृत्व की विषम आकस्मिकताओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, क.रा.बी. निगम निम्नलिखित मुख्य पहलों की सीमा पर है, जैसे आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना, देश के प्रत्येक जिले में औषधालय–सह–शाखा कार्यालय तथा 30 नए अस्पतालों का निर्माण, जिससे काफी हद तक बीमाकृतों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्तरीय चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता में बढ़ोतरी संभावित है। क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना और आयुष्मान भारत–पी.एम.जे.ए.वाई. के बीच सहयोग लेने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ भागीदारी की है जिससे ऐसी पद्धति विकसित होगी जहां चुनिंदा जिलों के क.रा.बी. निगम हितलाभार्थी ए.बी.पी.एम.–जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों व योजना सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे और ए.बी.पी.एम.–जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम की सेवाओं तक।

1.1 क.रा.बी. योजना का प्रसार :

1.1.1 द्वितीय चरण सुधार क.रा.बी. निगम 2.0 के अनुक्रम में, क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी. योजना की पूरे देश में व्याप्ति के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ एक कार्य योजना बनाई है :-

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1.	उन 71 जिला मुख्यालय क्षेत्रों/प्रमुख औद्योगिक केंद्रों जहां योजना अधिसूचित नहीं हुई है और 185 जिलों में समूचे क्षेत्र में योजना लागू करने जहां आंशिक रूप से लागू है और 81 जिले जहां कार्यान्वित नहीं हैं।	31 मार्च, 2020
2.	71 जिलों के समस्त क्षेत्र में कार्यान्वित करना जहां योजना जिला मुख्यालय क्षेत्रों या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में लागू है।	31 मार्च, 2021
3.	किसी रह गए (बैकलॉग) जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कार्यान्वित करना जहां योजना पूर्णतः कार्यान्वित नहीं है।	31 मार्च, 2022

क.रा.बी. योजना के देश के विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ, बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि तथा लाभार्थी केंद्रित सेवाओं सहित आंतरिक लक्ष्य भी तैयार किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, यह योजना 566 जिलों में विद्यमान है जिनमें 381 पूर्णतया कार्यान्वित जिले शामिल हैं। योजना 185 जिलों के जिला मुख्यालय क्षेत्रों/प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में लागू है।

1.1.2 राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी का गठन :

क.रा.बी.निगम ने अपनी 167वीं बैठक में राज्य स्तर पर पूरक निगम की व्यापक संरचना अनुमोदित की जिसके परिणामस्वरूप निगम की 172वीं बैठक में क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 58(5) के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकायध्सोसायटी की नई संरचना अनुमोदित की गई। राज्य इस निकाय को एक सोसायटी के साथ–साथ एक न्यास के रूप में भी पंजीकृत करेंगे तथा क.रा.बी. निगम उन्हें सीधे निधि जारी करेगा। स्वायत्त निकाय के गठन के लिए अब तक 18 राज्यधसंघ शासित क्षेत्र¹ सहमत

¹मिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पुरुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

EXECUTIVE SUMMARY

The present document contains the Revised Budget Estimates of ESIC for the financial year 2019 -20 and the Budget Estimates for the financial year 2020-21.

The ESIC is committed to protect Insured Persons against the adverse contingencies of sickness and consequent loss of wages, disablement and death due to employment injuries; maternity and to provide medical care to Insured Persons and their families.

In meeting these objectives, the ESIC is on the threshold of major initiatives in the modified IMP Scheme, Dispensary-cum-Branch-Offices in every district of the country and construction of 30 new hospitals which are expected to increase availability of primary and secondary level medical care to the insured population substantially. The ESIC has also entered into partnership with the National Health Authority (NHA), to take advantages of synergies between the ESI Scheme and Ayushman Bharat – PMJAY which will create an ecosystem wherein ESIC beneficiaries of selected districts will be able to access services at ABPM-JAY empanelled hospitals location and vice versa.

1.1 EXPANSION OF ESI SCHEME:

1.1.1 In continuation to second generation reforms ESIC 2.0, ESIC has worked out an action plan for All India coverage of ESI scheme with the following targets:-

S. No.	Subject	Target Year
1	To implement the Scheme in 71 District Hqrs. Area /prominent industrial centre, where the Scheme is not notified and to fully implement the Scheme in entire area of 185 Districts which are partially implemented and 81 districts which are not implemented.	31 st March, 2020
2.	To implement entire area of 71 Districts where scheme is implemented in District Headquarters area or prominent industrial center.	31 st March, 2021
3.	To implement in the entire area of any backlog Districts where the scheme is not fully implemented.	31 st March 2022

Simultaneous with the expansion of ESI Scheme to a vast geographical expanse of the country and making the benefits of social security available under ESI Scheme to all eligible employees and their family members, internal targets are also being formulated along with augmentation of IP and beneficiary centric services.

Presently, the Scheme has presence in 566 Districts which includes 381 fully implemented Districts. The Scheme is implemented in the District Hqrs. area /prominent industrial centre of 185 Districts.

1.1.2 Formation of State Autonomous Body/Society by States:

The ESI Corporation in its 167th meeting approved the broad structure of subsidiary Corporation at State level and subsequently in the 172nd meeting of the Corporation, new structure of the State Autonomous Body/Society has been approved under section 58 (5) of ESI Act, 1948. The States shall register the body as a Society as well as a Trust and ESIC shall release funds to the Bank Account of the Society directly. As on date 18 States/UTs¹ have consented to form the State ESI Society. States which have

¹States / UTs of Tamil Nadu, Punjab, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, Odisha, Chhattisgarh, Puducherry, Chandigarh, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Maharashtra Sikkim, Tripura and Madhya Pradesh



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

हो गए हैं। जिन राज्यों ने 31 मार्च, 2019 तक या तो सोसायटी का गठन कर लिया है या उसके लिए सहमति प्रदान की है, वे निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई उस उच्चतम सीमा तक व्यय के 100% वहन का लाभ पाने के हकदार हैं जिसे क.रा.बी. निगम द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने 6 राज्यों यथा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पंजाब को सोसायटी का गठन करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क.रा.बी. सोसायटियां प्रचलन में हैं। इन चार राज्यों में सोसायटी के बैंक खाते में सीधे तौर पर निधि अंतरण की जा रही है।

राज्य स्वायत्त निकायों/सोसाइटी के गठन से क.रा.बी. योजना के बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक और द्वितीयक देख-रेख के द्वारा चिकित्सा हितलाभ आपूर्त करने वाली सेवा में बहुत सुधार होगा।

1.2 अंशदान का युक्तियुक्तकरण

क.रा.बी.निगम द्वारा दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, माननीय अध्यक्ष क.रा.बी. निगम ने अंशदान की आय के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंशदान की कुल दर किसी कर्मचारी को देय मजूदरी के 4% के बराबर है जो मौजूदा 4.75% नियोक्ता के अंश और 1.75% कर्मचारी के अंश के स्थान पर क्रमशः 3.25% और 0.75% है। निर्णय के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली 1950 के नियम 51 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके संशोधित किया जाना है। संशोधित प्रावधान दिनांक 01 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा।

1.3 चिकित्सा सेवाएँ :

वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलनों में चिकित्सा हितलाभों (1.3.1 से 1.3.4) के लिए कुल ` 10,209 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2019–2020 के लिए आकलित अंशदान आय का 57% है। बजट प्राक्कलन में 2020–2021 में ` 11,807 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2020–2021 की आकलित अंशदान आय का 64% है।

1.3.1 नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था :

क.रा.बी. निगम 2.0 के अंतर्गत नामांकित नए बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जहां स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए क.रा.बी. निगम के पास कोई अवसरचना नहीं है, वहां आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (ईयूडी)² तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)³ योजना आरंभ करना प्रस्तावित था। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी उपयोगन औषधालय तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के माध्यम से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसके लिए वर्ष 2020–2021 के संबंध में ` 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। द्वितीय अर्थात् अस्पताल स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को जाने-माने निजी स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के साथ टाइ-अप व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया है और यथासमय प्रत्येक जिले में औषधालय सह शाखा कार्यालय से यह अपेक्षित होगा कि वे जिले स्तर पर रेफरल और प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाइ-अप की देखरेख करें।

इससे आगे आरंभ में नए कार्यान्वित जिलों और बाद में पूरे देश में चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने हेतु क.रा.बी. निगम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है ताकि एक इको सिस्टम तैयार किया जा सके जहां क.रा.बी. निगम लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई.) नामिकायित अस्पतालों में सेवाओं के लिए सीधे जाने में सक्षम हो सकें। क.रा.बी. लाभार्थी अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पूरे देश में नामिकायित अस्पतालों की सेवाओं की पोर्टिबिलिटी का लाभ लेने में सक्षम हो सकेंगे और ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं लेने में सक्षम हो सकेंगे। ऐसी अपेक्षा है कि इसके द्वारा क.रा.बी. निगम के उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग होगी जो अभी अल्प उपयोग में आ रहे हैं और इसके साथ ही ऐसे संस्थानों में आधारभूत ढांचे और सुविधाओं के सुधार में मदद मिलेगी।

²नियोक्ता उपयोगन औषधालय

³बीमा चिकित्सा व्यवसायी



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

either formed or consented to form the Society till 31st March, 2019 are entitled to get the benefit of 100% bearing of expenditure up to the ceiling laid down from time to time by ESI Corporation. Central Government has accorded approval for formation of Society to six States viz., Tamil Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Nagaland, Tripura and Punjab. Presently, ESI Societies are in operation in the States of Maharashtra, Chhattisgarh, Tripura and Himachal Pradesh. Fund transfer to these four States are being made directly to the Bank Account of the Society.

Formation of State autonomous bodies / Society will greatly improve service delivery of Medical Benefits to the Insured Persons and the beneficiaries of the ESI Scheme by way of better Primary & Secondary Care.

1.2 RATIONALISATION OF CONTRIBUTION

In accordance with the decision taken by ESI Corporation in its 175th Meeting held on 18.09.2018, the Hon'ble Chairman, ESIC has approved the proposal of rationalization of contribution income by reducing the combined rate of contribution to a sum equal to 4 percent of the wages payable to an employee out of which 3.25 percent being the employers' share and 0.75 percent being the employees' share in place of the existing 4.75 percent and 1.75 percent respectively. In pursuance of the decision, Rule 51 of the ESI (Central), Rules, 1950 has been amended by issue of Notification by Ministry of Labour and Employment. The amended provisions have come into effect from 1st July, 2019.

1.3 MEDICAL SERVICES:

The total provision for Medical Benefits (1.3.1 to 1.3.4) in Revised Estimates 2019-2020 is ` 10,209 Crore which is 57 % of projected contribution income for 2019-2020. Provision of ` 11,807 Crore has been made in Budget Estimates 2020-2021 which is 64 % of projected contribution income for 2020-2021.

1.3.1 Provision of Medical Services in Newly Implemented Areas:

For providing medical services to newly enrolled IPs under ESIC 2.0 where ESIC does not have adequate infrastructure for health care delivery of its own, it was proposed to introduce modified EUD² & Modified IMP³ scheme. Under this Scheme, primary care services will be provided through EUD & IMPs for which budget provision of ` 30 Crore has been made in the year 2020-2021. For providing Medical Services at the secondary level, viz Hospital level, Regional Offices have already been authorized to enter into tie-up arrangements with reputed private health care providers and in due course of time, the DCBO in each district is expected to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at the district level.

Furthermore, in order to jump start the availability of medical care in the newly implemented district in the first instance and eventually, to the entire country the ESIC has entered into a MOU with National Health Authority (NHA) to create an eco-system where ESIC beneficiaries are enabled to directly access services at Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY) empanelled hospitals. ESI beneficiaries will also be enabled to avail benefits from portability of services provided by AB PMJAY empanelled hospitals across the country and AB PM-JAY beneficiaries will be able to avail services in ESIC empanelled hospitals. It is expected that this would create higher demand for health services at those ESIC Hospitals that are currently under-utilized and in turn, support the improvement of infrastructure and facilities at such institutions.

²Employer Utilization Dispensary

³Insurance Medical Practitioner



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

आरंभ में यह महाराष्ट्र में अहमद नगर और कर्नाटक में बीदर जिले में प्रायोगिक तौर पर की जा रही है। जिसमें क.रा.बी. निगम लाभार्थी पीएमजे एवाई नामिकायित अस्पतालों में योजना के अंतर्गत सभी 1393 द्वितीयक और तृतीयक देखरेख हेतु उसका प्रयोग (एक्सेस) करने के लिए सक्षम होंगे और यह पहल शीघ्र ही 102 जिलों में और बाद में संपूर्ण देश में होगी।

ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. और क.रा.बी. योजना परस्पर अभिसरण के मुख्य लाभ

1. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तक क.रा.बी. निगम हितलाभार्थियों को पहुंच प्राप्त होगी।
2. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं पाने में सक्षम होंगे।
3. क.रा.बी. निगम के हितलाभार्थी अपने क.रा.बी. योजना कार्ड को ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के लाभार्थी अपना ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड अल्प उपयोग में आ रहे क.रा.बी. निगम अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।

इन सेवाओं के लिए टोकन राशि के रूप में ` 5 करोड़ परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में और ` 500 करोड़ बजट प्राक्कलन 2020–2021 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1.3.2 अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) :

क.रा.बी. निगम देशभर में करीब 1552 (दिसंबर 2019 तक) टाइ-अप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें मई 2017 से यूटीआइ टीएसएल की सेवाओं को बिल प्रक्रमण एजेंसी (बीपीए) के रूप में लिया गया है। रेफरल यूटीआइ मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किए गए भुगतानों का ऑनलाइन अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और टाइ-अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। समयानुसार बिलों के निपटान में लंबन कम हुआ है और बिलों के निपटान को व्यवस्थित करने के लिए निगम ने दिनांक 7 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 180वीं बैठक में अनुमोदित किया है कि बीपीए द्वारा बिलों की संवीक्षा के बाद टाइ-अप अस्पतालों को देय राशि का 80: अग्रिम के रूप में जारी होगा और शेष 20% संवीक्षा के पश्चात जारी होगा। यह प्रणाली को तरलता प्रदान करने और गत्यावरोध रोकने के लिए अपेक्षित है। अति विशिष्टता उपचार बिलों की देयताएं चुकाने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 1484.15 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जो वर्ष 2018–2019 के दौरान वास्तविक व्यय से ऊपर 15% की वृद्धि है। इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 1543.10 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

1.3.3 चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्राप्ति :

क.रा.बी. निगम ने उपस्करों की खरीद हेतु व्यवस्थित सुधार किए हैं जैसे विभिन्न अस्पतालों के लिए उपस्करों के प्रतिमानकों की समीक्षा तथा समरूप विनिर्दिशों सहित केंद्रीकृत खरीद, जेर्इएम (जेम) के माध्यम से प्राप्ति आदि। इन उपस्करों के प्राप्ति के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में क्रमशः ` 231 करोड़ तथा ` 226 करोड़ की निधि आबंटित की गई है।

1.3.4 आयुष

क.रा.बी. निगम देश भर के सभी क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों और औषधालयों में आयुष सेवाओं का भी विस्तार कर रहा है। लगभग ` 21 करोड़ की लागत वाला नैदानिक सुविधाओं सहित 30 बिस्तरों वाले एलोपैथिक के साथ 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल का निर्माण नरेला दिल्ली में किया जा रहा है जहां ओपीडी सेवाएं आरंभ की जा चुकी हैं और वर्तमान में सेवाएं चल रही हैं।

1.3.5 स्वास्थ्य पासबुक (हेल्थ पासबुक)

बीमाकृत व्यक्ति के उपचार के उसको अपने स्वयं के रिकार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ और विविध सेवा प्रदाता संस्थानों में बीमाकृत व्यक्ति की पहचान भी स्थापित करने के लिए नए कार्यान्वित क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता सहित सभी बीमाकृत व्यक्तियों



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Initially, a pilot is being conducted in Ahmednagar district in Maharashtra and Bidar district in Karnataka wherein ESIC beneficiaries would be able to access all 1393 secondary and tertiary care packages under the scheme in all PMJAY empanelled Hospitals and this initiative will very soon be scaled up to 102 districts and eventually across the country.

Key Benefits of AB PM-JAY and ESIS convergence

1. ESIC beneficiaries will get access to healthcare providers under AB PM-JAY.
2. AB PM-JAY beneficiaries will be able to avail services in ESIC empanelled hospitals.
3. Beneficiaries of ESIC can use their ESIS card to access free treatment at AB PM-JAY empanelled hospitals.
4. Similarly, beneficiaries of AB PM-JAY can use their PM-JAY card to access free treatment at ESIC under-utilized hospitals.

For these services, a token amount of ` 5 crore is being provided in Revised Estimates 2019-2020 and ` 500 crore in Budget Estimates 2020-2021.

1.3.2 Super Speciality Treatment (SST) :

ESIC is providing SST services through 1552 (up to December, 2019) tie-up hospitals across India wherein services of UTI ITSL have been taken on board as a Bill Processing Agency (BPA) since May 2017. Referrals are now being generated though UTI module online. Payments through this system are being monitored online to bring transparency and timely payment to the tie up hospitals. Over a period of time, some amount of pendency in clearing bills has accumulated and in order to streamline the process of bill clearance so that services to insured persons are not disrupted, the Corporation in its 180th Meeting held on 7th January, 2020 has approved that after scrutiny of bills by the BPA, 80% of the amount payable to tie-up hospitals would be released upfront and the remaining 20% would be released after further scrutiny. This is expected to impart the necessary fluidity to the system and prevent bottlenecks. To discharge SST Bills liability, a sum of ` 1484.15 Crore has been allocated in the Revised Estimates 2019-2020 which is an increase of 15% over the actual expenditure during 2018-2019. Similarly, an amount of ` 1543.10 Crore has been allocated in the Budget Estimates 2020-2021.

1.3.3 Procurement of medical and other equipment:

ESIC has undertaken systemic reforms for purchase of equipments. Review of norms of equipments for various hospitals, centralized purchase with uniform specifications, procurement through GeM etc are a few of them. For procurement of these equipments, an amount of ` 231 Crore and ` 226 Crore has been allocated in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively in the capital account.

1.3.4 AYUSH

ESIC is also expanding AYUSH services across India in all ESIC/ESIS Hospitals and Dispensaries. A 50 bedded AYUSH Hospital along with 30 bedded allopathic hospital and diagnostic facilities is being constructed at Narela Delhi at a cost of ` 21 Crore in which, OPD services have been started and are running at present.

1.3.5 Health Passbook

In order to make available his/ her own record of treatment to the insured person as also to establish the identity of the insured person across various service providing institutions, it has been decided



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

को स्वास्थ्य पासबुक वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 और बजट प्राक्कलन 2020–2021 में क्रमशः ` 1.50 करोड़ तथा ` 5 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

1.3.5 चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में, क.रा.बी. निगम 6 चिकित्सा महाविद्यालयों (प्रत्येक में 100 सीट), इसके अतिरिक्त 3 चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया गया और राज्यों को सौंप दिए गए (कोयम्बतूर, मंडी और पेरीपल्ली), क.रा.बी. निगम 5 स्नातकोत्तर संस्थान, 2 दंत्य महाविद्यालय (प्रत्येक में 50 सीट) तथा 2 नर्सिंग महाविद्यालय (प्रत्येक में 40 सीट) भी संचालित कर रहा है। वर्ष 2020–2021 शैक्षणिक वर्ष के लिए चिकित्सा और दंत्य महाविद्यालयों में आबंटित सीटों में से 339 सीटों (317 एमबीबीएस + 22 बीडीएस) पर बीमाकृत व्यक्ति के पात्र अर्हक प्रतिपालय को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात स्नातक और परा-स्नातक चिकित्सकों की तैनाती वरीयता के आधार पर क.रा.बी. योजना द्वारा संचालित अस्पतालों में की जाएगी और इसके पश्चात तैनाती क.रा.बी. निगम अस्पतालों में की जाएगी। क.रा.बी. निगम चिकित्सा अस्पताल, गुलबर्गा के लिए ओटी तकनीक तथा चिकित्सा रिकार्ड तकनीक में प्रत्येक के लिए 20 सीटों सहित परा चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने हेतु अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। इन चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन के लिए कुल बहिर्गमी परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 क्रमशः ` 501 करोड़ तथा ` 568 करोड़ (संभावित पूर्ण परियोजनाओं के पूंजीगत अवमूल्यन, दोनों शामिल) प्राक्कलित किया गया है।

1.4 नकद एवं अन्य हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में नकद हितलाभों के लिए ` 3383 करोड़ का कुल प्रावधान है जिसमें आय अंशदान का 19 प्रतिशत है। वर्ष 2020–2021 बजट प्राक्कलन के लिए ` 2238 करोड़ का प्रावधान है जिसमें वर्ष 2020–2021 में अंशदान आय का 12 प्रतिशत है। इसमें ` 1426 करोड़ का प्रावधान स्थायी निरुशक्तता निधि और ` 855 करोड़ आश्रितजन हितलाभ निधि हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में प्रावधान किया गया है और बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर स्थायी निश्चक्तता हितलाभ निधि ` 544.70 करोड़ और ` 451.90 करोड़ आश्रितजन हितलाभ का बजट प्राक्कलन 2020–2021 में किया गया है।

1.4.1 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

क.रा.बी. निगम ने अपनी 174वीं बैठक में प्रत्येक जिले में औषधालय सह शाखा कार्यालय की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया ताकि प्रत्येक जिले में प्राथमिक देखभाल सेवा के लिए क.रा.बी. निगम की उपस्थिति दर्ज हो सके, बावजूद इसके कि यह जिला अंशतः कार्यान्वित है या पूर्णतः या उस क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित औषधालय मौजूद है। औषधालय सह शाखा कार्यालय, औषधालय एवं शाखा कार्यालयों दोनों के प्रकार्यों के निष्पादन के साथ नियोक्ता उपयोगन औषधालय/बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी क्लीनिक से जुड़े लाभार्थियों को औषधियों के वितरण हेतु केंद्रीकृत फार्मसी वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति दावों की प्रक्रिया भी करेंगे। वर्तमान में, इन योजनाओं को 566 जिलों में या तो अंशतः या पूर्णतः अधिसूचित किया गया है। नए अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा देखभाल के संबंध में क.रा.बी. निगम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 373 नए क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालय सह औषधालयों के लिए संस्थानिक प्रदान की गई, जिसमें से माह दिसंबर 2019 तक 32 औषधालय सह शाखा कार्यालयों का प्रचालन आरंभ हो गया है। माह मार्च 2020 के अंत तक 225 और औषधालय सह शाखा कार्यालयों के खुलने की संभावना है। औषधालय सह शाखा कार्यालय के प्रचालन से आशा है कि संपूर्ण नकद हितलाभ में सीधी अनुपातिक वृद्धि होगी। साथ ही साथ औषधि वितरण को पूरा करने में संतुष्टि स्तर को प्राप्त करने और प्रतिपूर्ति सुविधाओं के लिए भी यह कार्य करेंगे। शाखा कार्यालय सह औषधालयों के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में क्रमशः ` 30 करोड़ तथा ` 300 करोड़ की वृद्धि आबंटित की गई है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

to distribute health passbooks to all insured persons with priority for the newly implemented areas. For this purpose, a provision of ` 1.50 crore and ` 5 crores have been made in Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.

1.3.6 Medical Education

Presently, ESIC is running 06 Medical Colleges (100 seats each). In addition, 3 Medical Colleges have been constructed and handed over to the States (Coimbatore, Mandi and Parriphally). The ESIC is also running 05 PG Institutes, two Dental Colleges (50 seats each year) and two Nursing Colleges (40 seats each). Out of the allotted seats, provision has been made for preferential admissions to eligible ward of IPs in 339 seats (317 for MBBS + 22 BDS) in its Medical and Dental Colleges for the Academic Year 2020-2021. Besides this, the Graduates and Post graduate doctors after completion of their course from these institutions would preferably be posted to ESIS (State) run hospitals, followed by posting in ESIC Hospitals. Permission to start para medical courses with 20 seats each in Operation Theatre Technology and Medical Records Technology have also been received for the ESIC Medical College Gulbarga. The total outgo for managing these medical education institutions has been estimated at ` 501 Crore and ` 568 Crore (both include depreciation on capitalised value of projects likely to completed) in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.

1.4. CASH AND OTHER BENEFITS

The total provision for Cash Benefits for Revised Estimates 2019-2020 is ` 3383 Crore which is 19 percent of contribution income. For Budget Estimates 2020-2021, provision is ` 2238 Crore which is 12% of contribution income for 2020-2021. This includes a provision of ` 1,426 Crore in the Permanent Disability Fund and ` 855 Crore in the Dependent Benefit Fund for Revised Estimates 2019-20 and ` 544.70 Crore in the PDB fund and ` 451.90 Crore in the DB fund for BE 2020-21 based on actuarial valuation.

1.4.1 Dispensary-Cum-Branch Office (DCBO)

The ESI Corporation in its 174th meeting has approved setting up of a DCBO in every district to mark the presence of ESIC for primary care service in each district, irrespective of whether a district has been partially implemented or fully implemented or existence of a State-run Dispensary in the area. A DCBO would perform the functions of both Dispensary and Branch office along with centralised pharmacy dispensing unit for distribution of drugs to beneficiaries attached to EUD / IMP clinic. They will also process reimbursement claims of insured persons. Presently, the Scheme has been notified, either partially or fully, in 566 districts. In order to have better outreach of ESIC especially with respect to primary level of medical care in the newly notified districts/areas, 373 new ESIC Branch Office cum dispensaries have been sanctioned out of which, 32 DCBOs have been made operational up to December 2019. By end of March 2020, 225 more DCBOs are expected to be opened. The operationalization of DCBOs will have direct proportionate increase in overall Cash Benefits as also serve to meet satisfaction levels in medicine distribution and reimbursement facilities. For operating DCBOs an amount of ` 30 Crore and ` 300 Crore has been allocated in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

1.4.2 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

क.रा.बी. निगम ने अपनी 175वीं बैठक में क.रा.बी. निगम योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) के लिए 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' अनुमोदित की जिसके अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को बेराजगारी अथवा जब वे नया रोजगार ढूँढ रहे हों, जीवनकाल के दौरान में एक बार नकद हितलाभ के रूप में राहत सीधे उनके खाते में देय होगी। इसके लिए वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन के लिए प्रत्येक हेतु कुल ` 50 लाख की राशि प्रदान की गई।

1.5 चिकित्सा संस्थाएँ और अन्य परियोजनाएँ (परिशिष्ट-III देखें)

- 15.1 वर्ष 2018–2019 के दौरान क.रा.बी. निगम ने 20 परियोजनाएँ⁴ पूरी कर ली हैं जिसमें कुल ` 3,035.58 करोड़ की राशि पूँजीकृत की गई है।
- 15.2 कठोर निगरानी के साथ–साथ व्यवस्थित समीक्षा तथा मामला विशेष अभिगम के विकास के साथ और संबंधित प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि⁵ जिसे परियोजना निगरानी एजेंसियों⁶ द्वारा निधि उपलब्ध कराकर अनुमान है कि वर्ष 2008–2009⁷ की सभी अपूर्ण परियोजनाएँ (क.रा.बी. अस्पताल, कानपुर तथा अंधेरी के बजाए) मार्च 2020 तक पूर्ण होंगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–2020 के दौरान अनुमान है कि 7 अस्पताल और 8 औषधालय परियोजनाएँ क्रमशः ` 708.02 करोड़ तथा ` 4.60 करोड़ की अनुमानित लागत से पूर्ण हो जाएंगी।
- 15.3 भारत सरकार के निदेशानुसार क.रा.बी. निगम के भवनों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के संस्थापन का कार्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेरसर्स राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रामेंट्स लिमिटेड (आरईआइएल) को सौंपा गया है। 19 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 153 स्थलों/अवस्थितियों का आरईआरएल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। आरटीएसपीपी के संस्थापन हेतु छायारहित छतों के ऊपर कुल उपलब्ध क्षेत्र 1,14,476 वर्ग मीटर है तथा 8.61 मेगा वाट (एम.डब्ल्यू) उपयोग किया जा सकता है। आरईआइएल ने क.रा.बी. निगम भवनों पर सौर ऊर्जा के संस्थापन हेतु भिन्न राज्यों में डेवलपर्स चयनित किए हैं। अब तक आरईआइएल ने 4.56 मेगा वाट के लिए क.रा.बी. निगम भवनों पर रुफ टॉप सौर ऊर्जा पैनल संस्थापित किया है।
- 15.4 चिकित्सा संस्थानों और अन्य परियोजनाओं पर कुल परिव्यय निम्नानुसार प्राक्कलित किया गया है :–

क्र. सं.	परियोजनाएँ	परियोजनाओं की संख्या	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (` करोड़ में)	बजट प्राक्कलन 2020–2021 (` करोड़ में)
1.	चिकित्सा शिक्षा संस्थान	22	306.97	191.00
2.	अस्पताल / औषधालय			
2.1	चालू परियोजनाएँ	41	121.54	78.45
2.2	नई परियोजनाएँ	67	631.48	1153.53
3.	क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय			
3.1	चालू परियोजनाएँ	23	26.60	22.21
3.2	नई परियोजनाएँ	0	0.00	0.00
	कुल	153	1,086.59	1445.19

⁴ 1) क.रा.बी.नि. चिकित्सा महाविद्यालय, सनत नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश; 2) डीआईएमएस बिलिंग, तिरुवनंतपुरम, केरल; 3) शाखा कार्यालय, कोल्लम; 4) शाखा कार्यालय, कोल्लम, केरल; 5) शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल; 6) 5 चिकित्सक औषधालय, कोल्लम, केरल; 7) 2 चिकित्सक औषधालय एवं शाखा कार्यालय, मायलोम, केरल; 8) स्टाफ क्वार्टर्स, साल्ट लेक, पश्चिम बंगाल (सिलिंग); 9) स्टाफ क्वार्टर्स, साल्ट लेक, पश्चिम बंगाल (इलैक्ट्रिकल); 10) क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर, ओडिशा; 10) 5 चिकित्सक औषधालय एवं शाखा कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स झारसुगुडा, ओडिशा; 11) क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय निवेशक आवास, क.रा.बी.नि.आदर्श अस्पताल कैम्पस, नामकुम, रांची, झारखण्ड; 12) क.रा.बी.नि. अस्पताल, आदित्यपुर, झारखण्ड; 13) क.रा.बी.नि.चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा; 14) 100 विस्तर क.रा.बी., वाशी, मुंबई; 15) क.रा.बी. औषधालय, विलाकुडी, केरल; 16) नर्सिंग महाविद्यालय, इंदिरा नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक; 17) 2 चिकित्सक औषधालय, कुलशेखरपुरम, केरल; 18) क.रा.बी. औषधालय, वाडावतुर, केरल; 19) क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुचेरी; 20) क.रा.बी.नि. चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर अस्पताल, गुलबर्गा, कर्नाटक

⁵ बैंक गारंटी

⁶ परियोजना निगरानी एजेंसी

⁷ क.रा.बी. नि. अस्पताल, बसाईदारापुर, पीजीआईएमएसआर अंधेरी, क.रा.बी. अस्पताल, नाचाराम, ओखला तथा कानपुर



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

1.4.2 Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna

The ESI Corporation in its 175th Meeting has approved the "ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA" for Insured Persons (IP) covered under the ESI Scheme in which once in a lifetime relief shall be payable as Cash Benefit to IPs directly to their Bank Accounts in case of unemployment and while they search for new employment. For this the Revised Estimates for 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 have provided for a sum of ` 50 lakhs each.

1.5. MEDICAL INSTITUTIONS AND OTHER PROJECTS (SEE APPENDIX-III)

- 1.5.1 During the year 2018-2019, ESIC has completed 20 projects⁴ in which a total amount of ` 3,035.58 Crores have been capitalized.
- 1.5.2 With systematic review and developing case specific approach along with strict monitoring and making available fund equal to the amount of BG⁵ submitted by respective PMAs⁶, It is expected that all unfinished projects of 2008-2009⁷ will be completed by March 2020 (except ESI Hospital Kanpur and Andheri). Besides this, during the year 2019-2020 it is expected to complete 7 Hospitals and 8 Dispensaries projects at approx. costs of ` 708.02 Crore and ` 4.60 Crore respectively.
- 1.5.3 On Government of India directions, installation of Solar Power Project on Roof Top of ESIC buildings has been assigned by the MoL&E, GoI to M/s Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL). Feasibility studies of 153 sites / locations across 19 States / UTs have been completed by REIL. Total shade free rooftop area of 1,14,476 Sqm is available for installing RTSPP and 8.61 MW can be harnessed. REIL has selected different developers in different States for installations of Solar Power on ESIC Building. As on date REIL has installed roof top Solar Power Panel on ESIC buildings for 4.56 MW.
- 1.5.4 The total outlay for execution of medical institutions and other projects has been estimated as per detail given below:

Sl. No.	Projects	Projects in numbers	Revised Estimates 2019-2020 (` in Crore)	Budget Estimates 2020-2021 (` in Crore)
1.	Medical Education Institutions	22	306.97	191.00
2.	Hospitals / Dispensaries			
2.1	Ongoing Projects	41	121.54	78.45
2.2	New Projects	67	631.48	1153.53
3	ROs / SROs and Branch Offices			
3.1	Ongoing Projects	23	26.60	22.21
3.2	New Projects	0	0.00	0.00
	Total	153	1,086.59	1445.19

⁴[1] ESIC Medical College, Sanathnagar, Hyderabad, A.P.; 2) DIMS building, Thiruvananthapuram, Kerala; 3) Branch Office, Kollam; 4) Branch Office, Kollam, Kerala; 5) Branch Office, Ernakulam, Kerala; 6) 5 Doctor Dispensary, Kollam, Kerala; 7) 2 Doctor Dispensary & Branch Office, Mylom, Kerala; 8) Staff Quarters at, Salt Lake, W.B.(Civil); 9) Staff Quarters at, Salt Lake, W.B.(Electrical); 9) ESI Hospital, Bhubaneshwar, Odisha; 10) 5 Doctor Dispensary & Branch Office & Staff Quarters, Jharsuguda, Odisha; 11) Regional Office & R.D. Residence, ESIC Model Hospital Campus, Namkum, Ranchi, Jharkhand; 12) ESIC Hospital, Adityapur, Jharkhand; 13) ESIC Medical College & Hospital, Faridabad, Haryana; 14) 100 Bedded ESI Hospital, Vashi, Mumbai; 15) ESI Dispensary, Vilakudy, Kerala; 16) Nursing College, Indira Nagar, Bangalore, Karnataka; 17) 2 Doctor Dispensary, Kulashekharapuram, Kerala; 18) ESI Dispensary, Vadavathur, Kerala; 19) Regional Office, Puducherry; 20) ESIC Medical College and 500 Bedded Hospital, Gulbarga, Karnataka]

⁵Bank Guarantee

⁶Project Monitoring Agencies

⁷ESIC Hospital Basaidarapur, PGIMSR Andheri, ESI Hospitals Nacharam, Okhla and Kanpur.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

1.6 वर्ष 2019–2020 के दौरान उपलब्धियाँ :

- (क) डाटा सेंटर का डिजास्टर रिकवरी सेंटर के स्थानांतरण की गतिविधि पूरी हो गई है तथा डिजास्टर रिकवरी केंद्र अब पूर्णतरू प्रचालन में है। परिणामतः डेटा सेंटर से दिन प्रतिदिन की गति पुनः स्थापित की गई है।
- (ख) अंशदान प्राप्तियों के लिए अधिक बैंकों को एकीकृत करने के लगातार प्रयासों में भारतीय स्टेट बैंक के गेटवे के अलावा नियोक्ताओं को विकल्प दिया गया है कि वे आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आइडीबीआइ बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के गेटवे से भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा पहले से ही लागू कर दी गई है और इसके परिणामस्वरूप लेनदेन के प्रभारों में बचत हुई है।
- (ग) निगम के अनुमोदन के अनुसार क.रा.बी. निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के संबंध में अनुपयोगी तथा निपटान नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् नए कंप्यूटर प्राप्तण कर सभी इकाइयों में इन्स्टाल कर दिए गए हैं तथा अक्टूबर, 2019 तक लगभग ` 62.17 करोड़ इस मद पर खर्च किए जा चुके हैं।
- (घ) भारत सरकार की ई-मेल नीति के अनुसार, क.रा.बी. मेल मैसेजिंग प्रणाली एनआइसी मेल मैसेजिंग में अंतरित हो गई है। वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में लगभग ` 80 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 83 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एनआइसी द्वारा संचालित एपीएआर प्लेटफॉर्म 'स्पैरो' में क.रा.बी. निगम कर्मचारियों की एपीएआर में एकीकृत की गई है।
- (ङ) प्रचालन तथा अनुरक्षण सेवाएं जारी रखने हेतु निविदा तय की जा चुकी है तथा मेसर्स सीएमएस को ` 74.73 करोड़ (अंतरण (ट्रांजिट) लागत सहित) की लागत पर प्रदान किया गया है। इसके साथ ही क.रा.बी. निगम सेवाएं प्राप्त करने, तकनीकी सुधार के लिए संसाधनों और एप्लीकेशन परिवर्तन की वास्तविक मांग पर बनाए/तय दरों की लागत अदा करेगा। तदनुसार सीएमएस ने रेलटेल से 09.09.2019 को परियोजना ली और अंतरण 26.09.2019 को समाप्त हुआ। ईआरपी कार्यकलापों पर व्यय हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 146 करोड़ का तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 69 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- (च) पुराने राउटरों के बदले लगभग 1600 स्थानों पर एसडी डब्ल्यूएन राउटरों के लिए आदेश दिया गया है। इनकी संभावना है कि ये मार्च 2020 तक अवरिथत हो जाएंगे। यह क.रा.बी. निगम एप्लीकेशनों के प्लेटफॉर्म को ब्रॉड बैण्ड/आइएलएल पर संचालित होने में सक्षम करेगा।
- (छ) क.रा.बी. निगम ने सेवा प्रदाता से प्रबंधन के लिए इन हाउस एप्लीकेशनों का स्रोत कूट (सोर्स कोड) लिया है जिससे सॉफ्टवेयर विकास की नीति पर नियंत्रण हो तथा उन्हीं लाइनों पर नवीकरण हो। क.रा.बी. निगम ने पंचदीप परियोजना (प्रोजेक्ट पंचदीप) के नेटवर्क फैसेलिटेशन सेंटर कम्पोनेन्ट और करीब 100 सॉफ्टवेयर लाइसेंसों के प्राप्त/नवीकरण की प्रक्रिया अपने हाथ में ली है।
- (ज) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई निवेश नीति के कार्यान्वयन होने और निवेश हेतु परामर्शदाता, पोर्टफोलियो प्रबंधक और कस्टोडियन की अनुमोदित नई निवेश नीति के तहत चयन होने के पश्चात्, दिनांक 01.04.2019 नवीन निविदा को भी अंतिम रूप दे दिया गया है तथा दो और पोर्टफोलियो प्रबंधकों को कार्य प्रदान हेतु पत्र (लैटर ऑफ अवार्ड) दिया गया है। निवेश प्रबंधन प्रभारों के लिए ` 1.5 करोड़ तथा ` 2.00 करोड़ का क्रमशः परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में प्रावधान किया गया है।
- (झ) मानवीय हस्तक्षेप तथा स्वचालित भुगतान प्रोटोकॉल (ऑटोमेशन पेमेण्ट प्रोटोकॉल) हटाने के उद्देश्य से क.रा.बी. निगम में एक ई-भुगतान पद्धति (ई-पेमेण्ट सिस्टम) विकसित की गई है। यह सभी भुगतान पाने वालों (बीमाकृत व्यक्ति/कर्मचारी/पेंशनर/आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता) के लिए ईआरपी ड्रावइन डायरेक्ट ऑनलाइन भुगतान पद्धति है जो भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

1.6 Achievements during 2019-2020

- a) The Data centre to Disaster Recovery Centre migration activity has been completed and Disaster Recovery Centre is now fully operational. Subsequently, day-to-day running has been re-established from the Data Centre.
- b) In the continued endeavour to integrate more banks in the contribution receipts gateway in addition to SBI, Employers have now been provided with an option to make their payments through payment gateways of ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, IDBI Bank and Bank of Baroda. This functionality has already been deployed and has resulted in saving of Transaction Charges.
- c) After the implementation of the Condemnation and Disposal Policy for IT Equipment, new computer systems have been procured and installed in almost all units and ` 62.17 crores have already been spent on this account up to October 2019.
- d) In accordance with Email Policy of Government of India, ESI Mail Messaging System has been migrated to NIC Mail Messaging. An amount of ` 80 lakhs approximately has been provided in Revised Estimates 2019-2020 and ` 83 lakhs in Budget Estimates 2020-2021. Similarly, APAR of all ESIC employees have been integrated in the 'SPARROW' APAR platform run by NIC.
- e) Tender for continuation of operation and maintenance services has been finalized and has been awarded to M/s CMS for two years at a cost of ` 74.73 crores (including Transition cost). In addition, ESIC will pay for cost of services availed in cost of resources for technology improvement and application change request on actual requirement on rates discovered. Accordingly, CMS has taken over the project w.e.f 9.9.19 from RailTel and transition has been completed on 26.9.19. For incurring expenditure on ERP activities, ` 146 crore has been provided in Revised Estimates 2019-2020 and ` 69 Crores has been kept in Budget Estimates 2020-2021.
- f) In place of the old routers, SD WAN routers have been ordered for about 1600 locations which are expected to be in place by March 2020. This will enable the ESIC applications platform to function on broadband/ILL.
- g) ESIC has taken over source code of inhouse applications from the service provider for management and strategic control of software development and modifications. On the same lines, ESIC has also taken over the process of procurement/ renewal of around 100 software licenses and network facilitation component of Project Panchdeep.
- h) After the implementation of New Investment Policy of ESIC and the selection of Consultant, Portfolio Manager and Custodian for investment in accordance with approved investment policy, investment activities have already started from 01.04.2019. In accordance with the directions of the Chairman, Standing Committee, fresh tender has also been finalized and two more Portfolio Managers have been issued with Letters of Award. For Investment Management charges an amount of ` 1.5 crore and ` 2.00 crores have been provided in Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.
- i) In order to remove manual interventions and automate payment protocol, an e-payment system has been introduced in ESIC. This is an ERP driven direct online payment system to all payees (IP/employee/ pensioner/supplier/service provider) through SBI Portal without manual intervention. Initially, this



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के है। प्रारंभ में यह ई—भुगतान पद्धति मुख्यालय और क.रा.बी. निगम अस्पतालों में लागू की गई है और इसने वर्तमान पद्धति को बदल दिया है जिसमें मानवीय तैयारियों द्वारा एनईएफटी/ईसीएस/आरटीजीएस टेक्स्ट फाइलों को बनाकर ई—मेल/पेन ड्राइव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को फाइल भेजी जाती थी। अगले चरण में यह ई—भुगतान पद्धति निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में लागू की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ई—भुगतान पद्धति का वित्तीय प्रभाव लगभग 40 लाख वार्षिक होगा।

1.6.2 2020–2021 में नई पहलें :

2020–2021 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप आरंभ करने का प्रस्ताव है:

- (क) सभी घरेलू एप्लीकेशन (इनहाउस एप्लीकेशन) को क्लाउड प्लेटफार्म पर रूपांतरित करना, एकाधिक एजेंसियों पर निर्भरता कम करना।
- (ख) अंगीकृत किए गए दिशा—निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आइ.टी.) परामर्शदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में तैनात करना और एनआइएसजी टीम को सशक्त करना।
- (ग) ई—एचआरएमएस की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना।
- (घ) एमपीएलएस से आइएलएल में कनेक्टिविटी का प्रवर्जन (माइग्रेशन) जिससे सभी स्थानों में पहुँच (एक्सेस) आसान हो।

1.7 भर्ती

वर्ष के दौरान निम्नलिखित रिक्तियां भरी गई : –

क्र.सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	भरी गई रिक्तियां
1.	शिक्षण संकाय की भर्ती—08 क.रा.बी.निगम चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं हेतु प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर	100	प्रक्रिया पूर्ण
2.	अवर श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक की भर्ती	1,870	प्रक्रियाधीन
3.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती—2018	539	
4.	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II की भर्ती—2018	771	
5.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) की भर्ती	79 (52 – सिविल एवं 27–इलेक्ट्रिकल)	प्रक्रिया पूर्ण
6.	विशेषज्ञ ग्रेड-II (वरिष्ठ और कनिष्ठ स्केल) की भर्ती	329 (कनि. स्केल 257 एवं वरि. स्केल 72)	
7.	नर्सिंग तथा परा चिकित्सा संवर्ग की भर्ती	2,189	

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में 32 करोड़ तथा 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1.8 प्रशासन

वर्ष 2018–2019 के दौरान प्रशासनिक लागत कुल आय की 4.23 प्रतिशत थी। चालू वर्ष (2019–2020) में इसके लगभग 7.75 प्रतिशत और 7.25 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में होने का अनुमान है। मुख्य रूप से आकलित अंशदान आय के युक्तिकरण के कारण यह नियम 31(क) के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित 15 प्रतिशत ऊपरी सीमा के अंतर्गत ही है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

e-payment system has been deployed in Headquarters' Office and ESIC Hospitals and has substituted the existing system of manual preparation of NEFT/ECS/RTGS text files and sending the file to SBI by email/pen drive for payment. In the next phase the e-payment system would be rolled out in all Regional Offices/Sub-Regional Offices and Branch Offices of the Corporation. The financial impact of the e-payment system through SBI would be approximately ` 40 lakhs per year.

1.6.2 New Initiatives in 2020-2021:

During 2020-2021, it is proposed to initiate the following activities:

- a) Shifting of all in house applications to the Cloud platform, reducing dependencies on multiple agencies.
- b) Engagement of IT consultants in various categories as per adopted guidelines and strengthening of the NISG team.
- c) Planning and implementation of e- HRMS
- d) Migration of connectivity from MPLS to ILL for ease of access in all locations

1.7 Recruitment

The following vacancies have been filled up during the year.

Sl. No.	Post	No. of Vacancies	Vacancies Filled
01	Recruitment of Teaching Faculty – Professor, Associate Professor & Assistant Professor for 08 ESIC Medical Education Institutions	100	Process Completed
02	Recruitment of UDC & Steno	1,870	Under process
03	Recruitment of Social Security Officers - 2018	539	
04	Recruitment of Insurance Medical Officer Gr. II - 2018	771	
05	Recruitment of Junior Engineer (Civil & Electrical)	79 (52 – Civil & 27 – Electrical)	Process Completed
06	Recruitment of Specialist Gr. II (Sr. and Jr. Scale)	329 (Jr. Scale 257 & Sr. Scale – 72)	
07	Recruitment of Nursing and Para-medical Cadres	2,189	

Accordingly, provisions of ` 32 Crore and ` 35 Crore have been made in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively

1.8 Administration

The administrative cost as a part of the total income was at 4.23 % during the year 2018-19. It is expected that administrative cost to be approximately 7.75 % in the current year (2019-20) and 7.25 % in the financial year 2020-2021 mainly due to rationalisation of projected Contribution Income. This is well within the ceiling of 15 % as prescribed by the Central Government for administrative expenses under Rule 31A.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

1.8.1 स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, स्वच्छता कार्य योजना संबंधी अनुवीक्षण तथा बुकिंग उद्देश्य हेतु एक अलग बजट बनाया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में क्रमशः ` 2.16 करोड़ तथा ` 2.96 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

1.9 लिंग एवं बाल बजट

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए लिंग बजट वार्षिक कार्ययोजना 2019–2020 के अनुसार, क.रा.बी.निगम के लिए नए दिशानिर्देशों को यू.एन. वूमेन की मदद से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए लिंग निर्धारण के आधार पर अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम में लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ` 4664.25 करोड़ तथा ` 5115.30 करोड़ क्रमशः परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 के लिए किया गया है। लिंग एवं बाल बजट का शीर्षवार विस्तृत बजट आबंटन व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा सं. 8.5 तथा 15.1 में क्रमशः वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में दिया गया है।

1.10 नई योजनाओं / नए कार्यकलापों पर निधि परिव्यय का सारांश :

क्र. सं.	वर्ष 2020–2021 के बजट में प्रमुख नई योजनाएं/नए क्रियाकलाप	निधि आबंटन (` करोड़ में)
1.	आयुष्मान भारत के तहत व्यय – पीएमजे.एवार्ड	500.00
2.	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय पर व्यय	300.00
3.	आशोधित ईयूडी तथा आईएमपी योजना [#]	40.00
4.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों में नए चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्राप्ति	226.00
5.	उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर व्यय	105.00
6.	चिकित्सा, परा चिकित्सा अभियंता तथा अनुसंचिवीय संवर्ग के विभिन्न पदों की भर्ती	35.00
7.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत व्यय	2.96
8.	हेल्थ पासबुक पर व्यय	5.00
9.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	0.50
10.	जागरूकता तथा प्रचार	30.00
11.	अस्पतालों/औषधालयों का उन्नयन और नवीकरण	78.00
	कुल	1322.46

[#] आईएमपी अर्थात् बीमा चिकित्सा व्यवसायी तथा ईयूडी अर्थात् नियोक्ता उपयोगन औषधालय



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

1.8.1 Swachhata Action Plan (SAP)

In pursuance of Ministry of Labour and Employment, Government of India directions, a separate budget head for the purpose of booking and monitoring the expenditure related to SAP has been created. Under this head a budget provision has been provided at ` 2.16 Crore and ` 2.96 Crore in the Revised Estimates 2018-2019 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.

1.9 GENDER AND CHILD BUDGET

As per Gender Budget Annual Action Plan 2019-20 for Ministry of Labour and Employment, Government of India, the new guidelines for ESIC have been approved based on the Gender Assessment undertaken by MoLE with help of UN Women. Further, as per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC Gender & Child Budget Cell has been constituted. Across all budget heads under ESI Scheme, an approximate budget provision for Women have been worked out at ` 4,664.25 crores and ` 5,115.30 crores in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively. The detailed budget head wise allocation of Gender and Child Budget is provided at Para No. 8.5 and 15.1 of Explanatory Memorandum to the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates for the year 2020-21 respectively.

1.10 SUMMARY OF FUNDS OUTLAY ON MAJOR ACTIVITIES:

Sl. No.	Major activities in Budget of 2020-2021	Fund allocation (` in Crore)
1.	Expenditure under Ayushman Bharat – PMJAY	500.00
2.	Expenditure on DCBO	300.00
3.	Modified EUD & IMP Scheme#	40.00
4.	Procurement of new medical & other equipment in ESIC Hospitals/ Dispensaries	226.00
5.	Expenditure on advanced IT Infrastructure & Software licences	105.00
6.	Recruitment to the various post of Medical, Paramedical, Engineer and Ministerial cadres	35.00
7.	Expenditure under Swachhata Action Plan (SAP)	2.96
8.	Expenditure on Health Passbook	5.00
9.	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	0.50
10.	Awareness and Publicity	30.00
11.	Uplifting & Renovation of Hospitals/ Dispensaries	78.00
	TOTAL	1322.46


#IMP stands for Insurance Medical Practitioner and EUD stands for Employer Utilization Dispensary




वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

1.11 वर्ष 2019–2020 के दौरान निधि अंतर्वाह तथा बहिर्वाह का सारांश

चित्र संख्या 1: जहाँ धन व्यय हो रहा है—व्यय (बजट प्राक्कलन 2020–2021)



चित्र संख्या 2 : जहाँ से धन आ रहा है—राजस्व (बजट प्राक्कलन 2020–2021)





FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

1.11 Summary of Funds Inflow and Funds Outflows during 2020-2021

Figure No.1: Where the Money Goes—Expenditure (Budget Estimates 2020-2021)





Figure No.2: Where the Money Comes from—Revenue (Budget Estimates 2020-2021)





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क.रा.बी. निगम का बजट एक नजर में

	लेखा शीर्ष	वार्ताविक 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020	बजट प्राक्कलन 2020-2021
क. राजस्व प्राप्तियाँ :					(` लाख में)
i)	अंशदान	22,27,913.27	18,33,390.00	17,91,000.00	18,50,000.00
ii)	ब्याज	4,62,997.48	4,95,203.00	5,15,731.05	6,15,081.30
iii)	किराया, पौरकर तथा कर	5,147.43	11,265.00	300.00	300.00
iv)	दिल्ली राज्य सरकार का अंश चिकित्सा हितलाभ के निमित्त जो प्रथमतः निगम द्वारा व्यय किया गया।	0.00	9,000.00	0.00	0.00
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियाँ	4,878.00	4,800.00	4,900.00	5,000.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ	2,317.09	2,300.00	4,000.00	4,500.00
vii)	विविध	28,010.73	2,000.00	3,800.00	4,000.00
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ :	27,31,264.00	23,57,958.00	23,19,731.05	24,78,881.30
ख.	राजस्व व्यय				
क)	हितलाभ				
i)	चिकित्सा हितलाभ :	8,72,137.97	10,57,329.24	10,20,955.00	11,80,747.00
ii)	नकद हितलाभ :	1,17,099.77	1,77,959.00	3,38,339.00	2,23,856.00
iii)	अन्य हितलाभ :	247.29	383.00	382.00	388.00
	कुल हितलाभ :	9,89,485.03	12,35,671.24	13,59,676.00	14,04,991.00
ख)	प्रशासनिक व्यय	1,15,555.08	1,60,154.47	1,79,817.00	1,79,868.00
ग)	पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	11,05,040.11	14,14,159.61	15,39,493.00	15,84,859.00
ग.	पूंजीगत व्यय				(` लाख में)
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	880.29	994.00	2,660.00	2,221.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	72,104.03	1,28,745.00	75,302.00	1,23,198.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	22,867.91	34,551.00	30,697.00	19,100.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियाँ	18,694.29	39,246.00	47,998.00	33,783.00
	कुल पूंजीगत व्यय	1,14,546.52	2,03,536.00	1,56,657.00	1,78,302.00
	राजस्व व्यय से राजस्व आय का आधिक्य	16,26,223.89	9,43,798.39	7,80,238.05	8,94,022.30



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

E.S.I.C. - BUDGET AT A GLANCE

	Head of Account	Actuals 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
A.	REVENUE RECEIPTS				(` in Lakhs)
i)	Contribution	22,27,913.27	18,33,390.00	17,91,000.00	18,50,000.00
ii)	Interest	4,62,997.48	4,95,203.00	5,15,731.05	6,15,081.30
iii)	Rent, Rates & Taxes	5,147.43	11,265.00	300.00	300.00
iv)	Delhi State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	9,000.00	0.00	0.00
v)	Fees, Fines & Forfeiture	4,878.00	4,800.00	4,900.00	5,000.00
vi)	Medical Education Receipts	2,317.09	2,300.00	4,000.00	4,500.00
vii)	Miscellaneous	28,010.73	2,000.00	3,800.00	4,000.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	27,31,264.00	23,57,958.00	23,19,731.05	24,78,881.30
B.	REVENUE EXPENDITURE				
a)	BENEFITS:				
i)	Medical Benefits:	8,72,137.97	10,57,329.24	10,20,955.00	11,80,747.00
ii)	Cash Benefits:	1,17,099.77	1,77,959.00	3,38,339.00	2,23,856.00
iii)	Other Benefits:	247.29	383.00	382.00	388.00
	Total Benefits:	9,89,485.03	12,35,671.24	13,59,676.00	14,04,991.00
b)	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	1,15,555.08	1,60,154.47	1,79,817.00	1,79,868.00
c)	Provision for Capital Construction	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	11,05,040.11	14,14,159.61	15,39,493.00	15,84,859.00
C	CAPITAL EXPENDITURE				(` in Lakhs)
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	880.29	994.00	2,660.00	2,221.00
ii)	Hospitals & Dispensaries	72,104.03	1,28,745.00	75,302.00	1,23,198.00
iii)	Medical Education Projects	22,867.91	34,551.00	30,697.00	19,100.00
iv)	Other Assets	18,694.29	39,246.00	47,998.00	33,783.00
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	1,14,546.52	2,03,536.00	1,56,657.00	1,78,302.00
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE	16,26,223.89	9,43,798.39	7,80,238.05	8,94,022.30



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलन बजट एवं लेखा उप समिति तथा स्थायी समिति द्वारा क्रमशः 30.01.2019 और 31.01.2019 को अनुमोदित किए गए थे। ये प्राक्कलन दिनांक 19.02.2019 को आयोजित करा.बी. निगम की 177वीं बैठक में अंगीकृत किए गए थे। केन्द्र सरकार ने पत्र संख्या जी–20017/01/2019 एस.एस.–1 दिनांक 04.06.2019 तथा 11.07.2019 के द्वारा बजट का अनुमोदन किया।

वर्ष 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। “बजट एक नजर में” में इन प्राक्कलनों को राजस्व और व्यय के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्राक्कलनों के अनुसार, अंशदान से आय चिकित्सा हितलाभों, नकद हितलाभों और प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

2. 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हैं :–

2.1 प्राप्तियां

- i. नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 में विहित दरों के अनुसार देय है। वर्ष 2019–2020 के लिए, नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारी को देय मजदूरी का 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान 0.75 प्रतिशत है जो 01.07.2019 से प्रभावी है। दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी अनुसार, पूर्वोक्त नियमों के नियम 52 के अंतर्गत ` 176/- प्रतिदिन की मजदूरी का आहरण करने वाले कर्मचारी वर्तमान में अंशदान के भुगतान से छूट प्राप्त हैं। तदनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए, अंशदान को कर्मचारी को देय मजदूरी के 4 प्रतिशत तक घटाकर अंशदान आय को तर्कसंगत बनाया गया है। इस प्रकार, घटे हुए अंशदान की दर पर बजट प्राक्कलन 2020–2021 के लिए अंशदान से ` 18500/- करोड़ की आय का अनुमान है।
- ii. वर्ष 2019–2020 के पहले सात महीनों के रुझान।
- iii. वर्ष 2019–2020 की अवधि के दौरान बकाया की वसूली के ` 643.05 करोड़ के लक्ष्य तथा 4/2019 से 12/2019 की अवधि हेतु ` 302.92 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां।
- iv. करा.बी. सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि तथा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से आय।
- v. 2018–2019 की वास्तविक आय में पूर्व अवधि की मद्दें शामिल नहीं हैं।
- vi. दिल्ली में, जहां योजना करा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्षतः शासित है, प्रारंभ में चिकित्सा देखरेख पर पूरा खर्च निगम द्वारा वहन किया गया था जिसे बाद में दिल्ली सरकार द्वारा साझा किया जाना था। करा.बी. निगम द्वारा वहनीय राशि से अधिक किए गए व्यय को यथासमय दिल्ली सरकार से वापिस लिया जाना है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार वर्ष 1989–90 तक चिकित्सा देखरेख तथा अधिकतम सीमा से अधिक किए गए व्यय के 1/8वें अंश का भुगतान कर रही थी। वर्ष 1990–91 से, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने उनके अंश का भुगतान इस तर्क के आधार पर नहीं किया है कि करार की अनुपस्थिति में वह अधिकतम खर्च से ज्यादा किए गए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तथापि, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली सरकार को ` 1974.16 करोड़ का दावा भेजा जा चुका है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण, 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलनों तथा 2020–2021 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से जब भी कोई राशि प्राप्त होगी, उसे प्राप्ति के वर्ष में वास्तविक आय में शामिल किया जाएगा।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2019-2020 AND THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2020-2021

The Budget Estimates of receipts and expenditure of the Employees' State Insurance Corporation for the financial year 2019-2020 were approved by the Budget & Accounts Sub-Committee and Standing Committee on 30.01.2019 and 31.01.2019 respectively. These estimates were adopted by the ESI Corporation in its 177th meeting held on 19.02.2019. The Central Government approved the Budget vide their letter No. G-20017/01/2019-SS-I dated 4.6.19 and 11.7.19.

The Revised Estimates for the year 2019-2020 and Budget Estimates for the financial year 2020-2021 have been prepared. "Budget at a Glance" indicates these estimates under broad major heads of revenue and expenditure. According to estimates, income from contribution is sufficient to cover the expenditure on medical benefits, cash Benefits and the administrative expenses

2. The Revised Estimates for 2019-2020 and Budget Estimates for 2020-2021 have been prepared taking into account the following :-

2.1 RECEIPTS

- i. Employers' and employees' shares of contribution are payable by the employers as per the rates prescribed by Rule 51 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950. For the year 2019-20, the rate of employers' contribution is 3.25% of the wages payable to an employee and the employees' contribution is 0.75% effective 1.7.19. Employees drawing wages up to ` 176/- per day are presently exempted from payment of their contribution, under Rule 52 of the ibid Rules, effective 6.9.19. Accordingly, for the year 2020-2021, contribution income has been rationalised by reducing contributions to a sum equal to 4 percent of the wages payable to an employee. Hence, Contribution Income for Budget Estimates 2020-2021 has been projected at ` 18,500 Crores at reduced rate of Contribution.
- ii. Trends noticed during the first seven months of 2019-2020.
- iii. Target of ` 643.05 Crore for recovery of arrears during 2019-2020 and actual receipt of ` 302.92 Crore for the period 4/2019 to 12/2019.
- iv. Income from interest on investment of E.S.I. General Reserve, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund.
- v. Prior period items are not included in actual 2018-2019.
- vi. In Delhi, where the Scheme is directly administered by the E.S.I. Corporation, the entire expenditure on medical care was incurred initially by the Corporation and was subsequently sharable with Government of Delhi. Expenditure incurred beyond the amount bearable by ESIC is recoverable from the Government of Delhi in due course. The Govt. of NCT of Delhi had been sharing and paying 1/8th share of expenditure on medical care plus expenses incurred over and above the ceiling up to the year 1989-90. From the year 1990-91 the Govt. of NCT of Delhi did not pay their share on the plea that they are not liable to pay the expenditure beyond the ceiling in the absence of agreement. However, the claim of ESIC for ` 1,974.16 Crore as on 31.3.2018 has already been made with the Delhi Govt. Keeping in view of non-response of Govt. of NCT of Delhi, no provisions have been made in Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021. Any sum of money, whenever received by the ESIC from the Govt of NCT of Delhi, would be booked as actuals in the year of receipt.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

2.2 व्यय

2.2 (1) चिकित्सा हितलाभ

दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) के औषधालयों को छोड़कर, जहाँ योजना प्रत्यक्षतः निगम द्वारा प्रशासित है, शीर्ष 'क – चिकित्सा हितलाभ' के अंतर्गत व्यय को निगम तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 7:1 के अनुपात में साझा किया जाता है। तथापि, दिनांक 19.2.19 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2019–20 से तीन वर्ष के लिए क०रा०बी० योजना के संचालन पर होने वाले संपूर्ण व्यय, निर्धारित अधिकतम सीमा तक, को क०रा०बी० निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

व्यावसायिक रोग केंद्र

निगम ने क०रा०बी० अस्पताल, क०क० नगर, चेन्नई, (तमिलनाडू), क०रा०बी० अस्पताल, जोका, (प०बं), क०रा०बी० अस्पताल, अंधेरी, (मुंबई), क०रा०बी० अस्पताल, इंदौर, (म०प्र०) और क०रा०बी० अस्पताल, बसईदारापुर, (दिल्ली) में व्यावसायिक रोग केंद्रों की स्थापना की है। इन अस्पतालों के संचालन का संपूर्ण व्यय क०रा०बी० निगम द्वारा वहन किया जा रहा है जो परिशोधित प्राक्कलन 2019–2010 और बजट प्राक्कलन 2020–21 के लिए क्रमशः ` 941.73 करोड़ और ` 1025.41 करोड़ है।

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं

अति विशिष्ट उपचार के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण होने तक, ऐसे संस्थानों के चालू खर्चों की पूर्ति के लिए बजट प्रावधान किए जा रहे हैं। तदनुसार, वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 के लिए क्रमशः ` 501 करोड़ और ` 568 करोड़ (मूल्यहास सहित) के प्रावधान किए गए हैं।

अस्पतालों एवं औषधालयों में आईटी रोल आउट के परिचालन खर्च पर व्यय

आईटी रोल आउट के कारण अस्पतालों एवं औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण के परिचालन खर्च के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 97.56 करोड़ तथा वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन में ` 46.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल

निगम ने दिनांक 14.12.2001 को सम्पन्न अपनी बैठक में चिकित्सा देखरेख की गुणवत्ता में सुधार लाने और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए राज्य के कम–से–कम एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया गया या राज्य में एक नया अस्पताल स्थापित किया गया। आदर्श अस्पतालों के अलावा निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लिया है/राज्य में नए अस्पतालों की स्थापना की है और ये सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

क.रा.बी. निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित) तथा औषधालयों के व्यय का वहन करने हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 4,341.65 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 4,699.66 करोड़ (अति विशिष्टता उपचार तथा उपस्करों की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा नोएडा स्थित औषधालयों तथा निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के अतिरिक्त 5 व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा 42 आदर्श अस्पताल एवं 6 चिकित्सा महाविद्यालय और 5 स्नातकोत्तर संस्थाएं क.रा.बी.निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जा रहे हैं और व्यय प्राक्कलन (स्नातकोत्तर संस्थान जहाँ लागू है, सहित) निम्नानुसार है :–



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

2.2 EXPENDITURE

2.2 (1) Medical Benefit

The expenditure under the Head 'A-Medical Benefit' except in Delhi and dispensaries in Noida (U.P.) where the Scheme is directly administered by the Corporation, is shared between the Corporation and the concerned State Governments in the prescribed ratio of 7:1. However, as per the decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.2.19, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, shall be borne by the ESIC for three years starting from 2019-20.

OCCUPATIONAL DISEASES CENTRE

The Corporation has set up Occupational Disease Centers at E.S.I. Hospital, K.K. Nagar, Chennai, (Tamil Nadu), E.S.I. Hospital, Joka, (W.B.), E.S.I. Hospital, Andheri (Mumbai), ESI Hospital, Indore (M.P) and E.S.I. Hospital, Basaidarapur (Delhi). The entire expenditure on running of these Hospitals is being borne by the E.S.I. Corporation which is ` 941.73 Crore and ` 1025.41 Crore respectively for Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021.

MEDICAL EDUCATION PROJECTS

Budget provisions are being made to meet for the ongoing expenditure in such institutions till take over by State Govts. for making them centres of excellence for super specialty treatment. Accordingly, the Budget provisions for the year 2019-2020 and 2020-2021 have been done for ` 501 Crore and ` 568 Crore respectively (including depreciation).

EXPENDITURE ON ACCOUNT OF OPERATING EXPENSES OF IT-ROLL OUT IN HOSPITALS AND DISPENSARIES

A sum of ` 97.56 Crore has been made in Revised Estimate 2019-2020 towards operating expenses on computerization of Hospital & Dispensaries on account of IT Roll out and ` 46.20 Crore has been made in the Budget Estimate for the year 2020-2021.

MODEL HOSPITALS AND ESIC HOSPITALS

The ESI Corporation in its meeting held on 14.12.2001 decided to set up Model Hospitals in each state, to improve the quality of medical care, and also to serve as a benchmark for the Hospitals run by the State Governments. In accordance with this decision, at least one hospital in a State was taken over or a new hospital was constructed in the State to be run as ESIC Model Hospital. In addition to the model hospitals, the Corporation has taken over some of the State hospitals/ constructed new hospitals in the States and they are being run directly by ESIC.

For incurring expenditure by ESIC Hospitals (including Model Hospitals) and Dispensaries, a sum of ` 4341.65 Crore has been provided in the Revised Estimates 2019-2020 and ` 4699.66 Crore (including SST and cost of equipment) has been provided in Budget Estimate 2020-2021. As on 31.3.2019 there are 5 Occupational Disease Centers, 42 Model Hospitals, 6 Medical Colleges and 5 PG Institutes besides D(M)D and the dispensaries of Delhi & NOIDA which are run by ESIC directly and the estimates of expenditure (including PGIs wherever applicable) is as below:-



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	क.रा.बी. निगम व्यावसायिक रोग केंद्र/ अस्पताल/ नए अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (` लाख में)			बजट प्राक्कलन 2020–2021 (` लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
1.	जोका	19,520.00	1,900.00	21,420.00	20,723.00	1,500.00	22,223.00
2.	के.के. नगर	13,542.00	1,000.00	14,542.00	14,588.00	1,300.00	15,888.00
3.	अंधेरी	10,710.00	200.00	10,910.00	11,162.00	90.00	11,252.00
4.	नंदा नगर, इंदौर	9,038.15	450.00	9,488.15	9,814.00	450.00	10,264.00
5.	बसईदारापुर	36,813.00	1,000.00	37,813.00	41,814.60	1,100.00	42,914.60
6.	बेलतला	8,357.50	350.00	8,707.50	9,118.00	300.00	9,418.00
7.	आश्रमम	7,709.00	200.00	7,909.00	7,656.00	205.00	7,861.00
8.	राउरकेला	3,223.00	150.00	3,375.00	3,405.00	160.00	3,565.00
9.	लुधियाना	13,955.00	130.00	14,085.00	14,720.00	150.00	14,870.00
10.	राजाजी नगर	25,322.00	900.00	26,222.00	26,778.00	1,000.00	27,778.00
11.	बापू नगर	7,795.00	650.00	8,445.00	8,534.00	690.00	9,224.00
12.	सनत नगर अस्पताल	12,342.00	2,800.00	15,142.00	13,848.00	3,100.00	16,948.00
13.	जयपुर	8,053.00	750.00	8,803.00	8,715.00	1,000.00	9,715.00
14.	जम्मू	3,004.00	260.00	3,264.00	3,506.00	350.00	3,856.00
15.	नामकुम	4,447.00	140.00	4,587.00	5,269.00	150.00	5,419.00
16.	फुलवारीशरीफ	3,367.00	250.00	3,617.00	3,707.00	200.00	3,907.00
17.	चंडीगढ़	4,558.30	350.00	4,908.30	5,059.40	300.00	5,359.40
18.	नोएडा	22,272.00	1,700.00	23,972.00	23,073.00	900.00	23,973.00
19.	उद्योगमंडल	6,483.00	290.00	6,773.00	6,935.00	320.00	7,255.00
20.	नरोड़ा	1,259.00	57.00	1,316.00	1,389.00	42.00	1,431.00
21.	आदित्यपुर	4,061.00	85.00	4,146.00	4,313.00	120.00	4,433.00
22.	एषुकोण	4,477.00	125.00	4,602.00	4,789.00	130.00	4,919.00
23.	सनत नगर (अ.वि.उ. अस्पताल)	8,320.00	2,000.00	10,320.00	8,821.00	800.00	9,621.00
24.	गुरुग्राम	10,379.00	230.00	10,609.00	11,185.00	270.00	11,455.00
25.	भिवाड़ी	2,681.50	10.00	2,691.50	2,752.00	12.00	2,764.00
26.	तिरुनेलवेली	3,907.00	320.00	4,227.00	4,340.00	360.00	4,700.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



SI No	ESIC ODC/ Hospital/ New Hospital/ Medical College	Revised Estimate 2019-2020 (` In lakhs)			Budget Estimate 2020-2021 (` In lakhs)		
		Excluding Equipment	Equipment	Total	Excluding Equipment	Equipment	Total
1	Joka	19,520.00	1,900.00	21,420.00	20,723.00	1,500.00	22,223.00
2	K.K. Nagar	13,542.00	1,000.00	14,542.00	14,588.00	1,300.00	15,888.00
3	Andheri	10,710.00	200.00	10,910.00	11,162.00	90.00	11,252.00
4	Nanda Ngr. Indore	9,038.15	450.00	9,488.15	9,814.00	450.00	10,264.00
5	Basaidarapur	36,813.00	1,000.00	37,813.00	41,814.60	1,100.00	42,914.60
6	Beltola	8,357.50	350.00	8,707.50	9,118.00	300.00	9,418.00
7	Asramam	7,709.00	200.00	7,909.00	7,656.00	205.00	7,861.00
8	Rourkela	3,223.00	150.00	3,375.00	3,405.00	160.00	3,565.00
9	Ludhiana	13,955.00	130.00	14,085.00	14,720.00	150.00	14,870.00
10	Rajaji Nagar	25,322.00	900.00	26,222.00	26,778.00	1,000.00	27,778.00
11	Bapu Nagar	7,795.00	650.00	8,445.00	8,534.00	690.00	9,224.00
12	Sanath Nagar Hosp.	12,342.00	2,800.00	15,142.00	13,848.00	3,100.00	16,948.00
13	Jaipur	8,053.00	750.00	8,803.00	8,715.00	1,000.00	9,715.00
14	Jammu	3,004.00	260.00	3,264.00	3,506.00	350.00	3,856.00
15	Namkum	4,447.00	140.00	4,587.00	5,269.00	150.00	5,419.00
16	Phulwarisharif	3,367.00	250.00	3,617.00	3,707.00	200.00	3,907.00
17	Chandigarh	4,558.30	350.00	4,908.30	5,059.40	300.00	5,359.40
18	Noida	22,272.00	1,700.00	23,972.00	23,073.00	900.00	23,973.00
19	Udyogmandal	6,483.00	290.00	6,773.00	6,935.00	320.00	7,255.00
20	Naroda	1,259.00	57.00	1,316.00	1,389.00	42.00	1,431.00
21	Adityapur	4,061.00	85.00	4,146.00	4,313.00	120.00	4,433.00
22	Ezhukone	4,477.00	125.00	4,602.00	4,789.00	130.00	4,919.00
23	Sanath Nagar (SST Hosp.)	8,320.00	2,000.00	10,320.00	8,821.00	800.00	9,621.00
24	Gurugram	10,379.00	230.00	10,609.00	11,185.00	270.00	11,455.00
25	Bhiwadi	2,681.50	10.00	2,691.50	2,752.00	12.00	2,764.00
26	Tirunelveli	3,907.00	320.00	4,227.00	4,340.00	360.00	4,700.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

27.	बद्री	3,425.00	0.00	3,425.00	3,483.00	0.00	3,483.00
28.	पी.या	7,201.00	300.00	7,501.00	7,737.00	200.00	7,937.00
29.	मानेसर	6,038.50	80.00	6,118.50	6,259.00	100.00	6,359.00
30.	વापી (ગुજરાત)	1,833.00	30.00	1,863.00	1,908.50	30.00	1,938.50
31.	फરીદાબાદ	2,2227.5	900.00	23,127.50	23,938.00	950.00	24,888.00
32.	स्नातकोत्तर આયુર્વિજ્ઞાન એવં અનુસંધાન સંસ્થાન તથા ક.રા.બી.નિગમ ચિકિત્સા મહાવિદ્યાલય, જોકા	3,102.00	30.00	3,132.00	3,303.00	32.00	3,335.00
33.	स्नातકोत्तર આયુર્વિજ્ઞાન એવં અનુસંધાન સંસ્થાન તથા ક.રા.બી.નિગમ ચિકિત્સા મહાવિદ્યાલય, કે.કે. નગર	2,955.00	140.00	3,095.00	3,185.00	310.00	3,495.00
34.	સ્નાતકોત્તર આયુ. એવં અનુસંધાન સંસ્થાન, અંધેરી	320.00	0.00	320.00	372.00	0.00	372.00
35.	ક.રા.બી. તથા સ્ના. આ. એવં અનુસંધાન સંસ્થાન, બસર્ઈદારાપુર	1,612.00	200.00	1,812.00	1,715.00	200.00	1,915.00
36.	ક.રા.બી.નિ. ચિ. મ. તથા સ્ના. આ. એવં અન. સંસ્થાન, રાજાજી નગર	2,640.00	0.00	2,640.00	2,797.00	0.00	2,797.00
37.	ગુલબર્ગા ચિકિત્સા મહાવિદ્યાલય	7,042.00	400.00	7,442.00	7,990.00	500.00	8,490.00
38.	ગુલબર્ગા દંત્ય મહાવિદ્યાલય	1,261.00	500.00	1,761.00	1,522.00	600.00	2,122.00
39.	એસ. નગર ચિકિત્સા મહાવિદ્યાલય	1,935.00	400.00	2,335.00	1,987.80	550.00	2,537.80
40.	જાજમંડ, કાનપુર	2,340.00	240.00	2,580.00	2,846.00	250.00	3,096.00
41.	વારાણસી	2,359.00	200.00	2,559.00	2,715.00	300.00	3,015.00
42.	સાહિબાબાદ	6,958.00	600.00	7,558.00	7,660.00	600.00	8,260.00
43.	સરોજિની નગર, લખનऊ	2,706.00	160.00	2,866.00	3,058.00	160.00	3,218.00
44.	અંકલેશ્વર, ગુજરાત	1,782.00	200.00	1,982.00	2,122.00	180.00	2,302.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



27	Baddi	3,425.00	0.00	3,425.00	3,483.00	0.00	3,483.00
28	Peenya	7,201.00	300.00	7,501.00	7,737.00	200.00	7,937.00
29	Manesar	6,038.50	80.00	6,118.50	6,259.00	100.00	6,359.00
30	Vapi(Gujarat)	1,833.00	30.00	1,863.00	1,908.50	30.00	1,938.50
31	Faridabad	2,2227.5	900.00	23,127.50	23,938.00	950.00	24,888.00
32	PGIMSR & ESIC M.CollegeJoka	3,102.00	30.00	3,132.00	3,303.00	32.00	3,335.00
33	PGIMSR & ESIC M.College K.K. Nagar	2,955.00	140.00	3,095.00	3,185.00	310.00	3,495.00
34	PGIMSR Andheri	320.00	0.00	320.00	372.00	0.00	372.00
35	ESI&PGIMSR Basaidarapur	1,612.00	200.00	1,812.00	1,715.00	200.00	1,915.00
36	ESIC MC&PGIMSR Rajajinagar	2,640.00	0.00	2,640.00	2,797.00	0.00	2,797.00
37	Gulbarga Medical College	7,042.00	400.00	7,442.00	7,990.00	500.00	8,490.00
38	Gulbarga Dental College	1,261.00	500.00	1,761.00	1,522.00	600.00	2,122.00
39	S. Nagar M.College	1,935.00	400.00	2,335.00	1,987.80	550.00	2,537.80
40	Jajmau, Kanpur	2,340.00	240.00	2,580.00	2,846.00	250.00	3,096.00
41	Varansai	2,359.00	200.00	2,559.00	2,715.00	300.00	3,015.00
42	Sahibabad	6,958.00	600.00	7,558.00	7,660.00	600.00	8,260.00
43	Sarojinagar, Lucknow	2,706.00	160.00	2,866.00	3,058.00	160.00	3,218.00
44	Ankleshar, Gujarat	1,782.00	200.00	1,982.00	2,122.00	180.00	2,302.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

45.	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	1,419.00	450.00	1,869.00	1,730.00	450.00	2,180.00
46.	बिहार (पटना)	1,314.00	100.00	1,414.00	1,834.00	120.00	1,954.00
47.	बिबेवाडी, महाराष्ट्र	2,764.00	300.00	3,064.00	3,182.00	400.00	3,582.00
48.	अलवर (राजस्थान)	13,888.00	100.00	1,488.00	1,868.00	100.00	1,968.00
49.	बरेली	1,239.50	80.00	1,319.50	1,543.00	100.00	1,643.00
50.		347.50	200.00	547.50	826.00	500.00	1,326.00
51.	झिलमिल	18,259.00	400.00	18,659.00	19,411.00	200.00	19,611.00
52.	ओखला	13,605.00	490.00	14,095.00	14,356.00	400.00	14,756.00
53.	रोहिणी	15,505.00	250.00	15,755.00	17,407.00	280.00	17,687.00
54	निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली	21,895.00	50.00	21,945.00	24,616.00	70.00	24,686.00
	कुल	4,11,068.45	23,097.00	4,34,165.45	4,47,385.30	22,581.00	4,69,966.30

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में ई.बी.आर.एफ. तथा मूल्यहस के लिए प्रावधान की राशि सम्मिलित नहीं है।

राज्य सरकारों को भुगतान

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 31.07.2014 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में दिनांक 01.04.2015 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति उच्चतम सीमा को ` 150/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वृद्धि सहित ` 1,500/- से बढ़ाकर ` 2,000/- करने का निर्णय किया। उच्चतम सीमा की वृद्धि में राज्यों की ओर से वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा अति विशिष्टता उपचार तथा अन्य व्यय का वहन शामिल है।

दिनांक 07.08.2015 को आयोजित निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2015 से बढ़ाई गई उच्चतम सीमा (अति विशिष्टता उपचार सहित) को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका प्रयोग चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा राज्यों में नई पहलों कार्यान्वित करने हेतु किया जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–2018 तथा उससे आगे ` 150/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि को वापस लिया जाएगा। निर्णयानुसार दिनांक 01.09.2015 से अति विशिष्टता उपचार के व्यय का वहन पूर्णतः क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित निर्णय किया है।

- क. वर्ष 2018–2019 हेतु प्रशासन के लिए ` 1,250/- तथा अन्य के लिए ` 1,750/- की उप उच्चतम सीमा के साथ धारा 58(39) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में ` 2,150/- से ` 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति वृद्धि।
- ख. वर्ष 2019–2020 से प्रशासनिक उप–उच्चतम सीमा ` 3,000/- प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर सीपीआइ के समान बढ़ाई जाएगी।
- ग. ` 3,000/- की उच्चतम सीमा 2018–2019 से 2020–2021 निर्धारित की जाएगी तथा राज्यों के डब्ल्यूपीआइ तथा व्यय प्रतिरूप के आधार पर 2021–2022 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

45	Kolhapur, Maharashtra	1,419.00	450.00	1,869.00	1,730.00	450.00	2,180.00
46	Bihta(Patna)	1,314.00	100.00	1,414.00	1,834.00	120.00	1,954.00
47	Bibwewadi, Maharashtra	2,764.00	300.00	3,064.00	3,182.00	400.00	3,582.00
48	Alwar (Rajasthan)	13,888.00	100.00	1,488.00	1,868.00	100.00	1,968.00
49	Bareilly-	1,239.50	80.00	1,319.50	1,543.00	100.00	1,643.00
50	Rudrapur	347.50	200.00	547.50	826.00	500.00	1,326.00
51	Jhilmil	18,259.00	400.00	18,659.00	19,411.00	200.00	19,611.00
52	Okhla	13,605.00	490.00	14,095.00	14,356.00	400.00	14,756.00
53	Rohini	15,505.00	250.00	15,755.00	17,407.00	280.00	17,687.00
54	D(M)D	21,895.00	50.00	21,945.00	24,616.00	70.00	24,686.00
	Total	4,11,068.45	23,097.00	4,34,165.45	4,47,385.30	22,581.00	4,69,966.30

Note : Above figures do not include amount of Provision for Depreciation and EBRF.

PAYMENT TO STATE GOVERNMENTS:

ESI Corporation in its 162nd meeting held on 31.07.2014 decided that per capita ceiling be enhanced from ` 1,500 to ` 2,000 with an additional increase of 150 per Insured Person per year w.e.f. 01.04.2015 for a period of 5 (five) years. The increase of ceiling included the expenditure on super specialty treatment and other expenditure incurred by SSMC/ SMC on behalf of States.

ESI Corporation it its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation. It was also decided that the ceiling (including SST expenditure) increased from 01.04.2015 may not be rolled back as the same can be utilized for improving the medical services and implementing the new initiatives in the States. However, the annual increase of ` 150 per IP per year stands withdrawn w.e.f the financial year 2018-19 and onwards. As per decision, Super Specialty Treatment expenditure is fully born by ESIC w.e.f. 01.09.2015.

Further, ESI Corporation in its 170th meeting held on 15.12.2016 decided the following.

- a. Increase in per capita ceiling of sharing expenditure with State Govts. u/s 58 (3) from ` 2,150/- to ` 3,000/- per Insured Person with sub ceiling of ` 1,250/- for Administration and ` 1,750/- for Others for the year 2018-19.
- b. From 2019-20 Administrative sub-ceiling will be increased in line with CPI within the overall ceiling of ` 3,000/- per capita.
- c. The ceiling of ` 3,000/- will be fixed from 2018-2019 to 2020-2021 and reviewed annually from 2021-2022 on the basis of WPI and expenditure pattern of the States.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

- घ. राज्य सरकार निगम के बजट में समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय-समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा वर्तमान वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।
- कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।
 - किसी योजना का वित्त पोषण जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं की गई है, को उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण की नियमितता क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।
 - किसी भी वस्तु पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
 - महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि पुनर्विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।
- ड. वर्ष 2019–2020 के लिए निधि, प्रथम तिमाही के लिए ` 2,150/- की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी की जाएगी। तथापि, वर्ष 2019–2020 के लिए पीआइपी परिशोधित उच्चतम सीमा के अनुसार निधि जारी करने के लिए क.रा.बी. निगम को 31 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- च. प्रस्तुत योजना को, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधिवत मश्वनीटर किया जाएगा। दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को जारी पत्र संख्या वी-24/11/10/2001-चि.1 के अनुसार तिमाही आधार पर निधि जारी की जाएगी।

पूर्व में, 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित निगम की अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया गया कि ` 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति का अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा उन राज्यों की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त किया जाएगा जिन राज्यों के सभी क.रा.बी. योजना अस्पताल वित्तीय वर्ष के दौरान 70% या अधिक का अधिभोग दर्ज करते हैं। इस प्रयोजन हेतु, परिशोधित बजट 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 के लिए क्रमशः ` 60.00 करोड़ प्रत्येक की कुल राशि प्रस्तावित की गई है।

निगम निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को 100% व्यय देने हेतु अब प्रावधान कर रहा है, जिसमें राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में तथा शेष 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जाएगा। यह निर्णय किया गया कि क.रा.बी. निगम उस राज्य में उच्चतम सीमा तक व्यय का 100% वहन करेगी जहां राज्य क.रा.बी. निगम/सोसायटी का गठन किया गया है।

तदनुसार, वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन वर्ष 2020–2021 हेतु क्रमशः ` 4,162.17 करोड़ तथा ` 4,525.47 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।

क.रा.बी. निगम सुधार 2.0

46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर स्थायी समिति/निगम की बैठक में चर्चा की गई तथा क.रा.बी. निगम द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है :-

(i) सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में क.रा.बी. निगम व्याप्ति का प्रसार

क.रा.बी. योजना का विस्तार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। मणिपुर में योजना का विस्तार प्रक्रियाधीन है।

(ii) जिले, जहां वर्तमान में योजना संचालित है, के संपूर्ण क्षेत्र में क.रा.बी. योजना व्याप्ति का विस्तार

द्वितीय जनरेशन सुधार क.रा.बी. निगम 2.0 के क्रम में क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति हेतु निम्नलिखित लक्ष्यों सहित एक कार्ययोजना बनाई है :-



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

- d. The State Govt. shall present Project Implementation Plan (PIP) in accordance with the guidelines issued by ESI Corporation from time to time, by 31st October every year for the next financial year for its inclusion in the Budget of the Corporation. The PIP should contain the proposal for next financial year and the progress made during the first six months of the current year.
 - i) No scheme should be included which has not been duly approved by the ESIC.
 - ii) Should it be proposed, during the course of a financial year, to finance any scheme which has not been included in the estimates of that year, the sanction of the ESIC shall be obtained for the method of financing it.
 - iii) The funds shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been approved.
 - iv) The Director General, ESI Corporation may be authorised to re-appropriate funds from one primary unit of appropriation to another.
- e. Funds for 2019-20, will be released as per current ceiling of ` 2150/- for the first quarter. However, the PIPs for the year 2019-2020 should be submitted by 31st March, 2020 to the ESIC for release of fund as per revised ceiling.
- f. The plan submitted would be duly monitored by ESI Corporation for effective implementation. The funds shall be released on quarterly basis in accordance with the letter No. V-24/11/10/2001-Med.I issued on 19th April, 2016.

Earlier, the Corporation in its meeting held on 15th December, 2011 has approved an additional incentive of ` 200/- per IP, to be borne by ESIC, over the ceiling amount to those States in which all the ESIS hospitals register occupancy of 70% or more during a given financial year. For this purpose, a sum of ` 60.00 Crore each have been proposed for the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.

The Corporation is now making provision for 100 % expenditure to the State governments up to the prescribed ceiling, paying 90% of the amount in advance and the balance 10% on 'receipt of' Audit Certificate' from the concerned State Accountant General. It has been decided that ESIC will bear 100 % of expenditure up to the ceiling in the States where State ESI Corporation/ Society is set up.

Accordingly, ` 4,162.17 Crore and ` 4,525.47 Crore respectively have been proposed for Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021.

ESIC REFORMS 2.0

The recommendations of 46th Indian Labor Conference were discussed in Standing Committee/ Corporation Meeting and the followings initiatives have been undertaken by ESIC.

(i) EXPANSION OF ESIC COVERAGE TO ALL STATES/UTs.

The ESI Scheme has been extended to Arunachal Pradesh, Mizoram, and Andaman & Nicobar Island. Extension of scheme to Manipur is under process.

(ii) EXTENSION OF ESI SCHEME COVERING WHOLE OF THE AREA OF DISTRICTS WHERE SCHEME IS RUNNING AT PRESENT

In continuation of second generation reforms ESIC 2.0, ESIC has worked out an action plan for All India coverage of ESI scheme with the following targets:-



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1.	71 जिला मुख्यालय क्षेत्र/प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जहां योजना अधिसूचित नहीं है, उनमें योजना कार्यान्वित करना तथा जिन 185 जिलों में योजना आंशिक रूप से कार्यान्वित है और 81 जिलों में, जहां योजना कार्यान्वित नहीं है, वहां उनके संपूर्ण क्षेत्र में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2020
2.	71 जिले, जहां जिला मुख्यालय क्षेत्र अथवा प्रमुख औद्योगिक केंद्र में योजना कार्यान्वित है, वहां उनके संपूर्ण क्षेत्र में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2021
3.	पिछले बकाये (बैकलॉग) जिले, जहां योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं है, वहां उनके संपूर्ण क्षेत्र में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2022

क.रा.बी. योजना का देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में शीघ्रता से विस्तार तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराने के साथ नए दृष्टिकोण के अनुसार कार्यान्वयन की प्राप्ति हेतु बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि तथा लाभार्थी केंद्रित सेवाओं सहित आंतरिक लक्ष्य भी तैयार किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, 381 पूर्ण कार्यान्वित जिलों सहित योजना 566 जिलों में कार्यान्वित है। योजना 185 जिलों के जिला मुख्यालय क्षेत्र प्रमुख औद्योगिक केंद्र में कार्यान्वित है।

(iii) निर्माण कामगार

कार्यान्वित क्षेत्रों में निर्माण कामगारों के लिए क.रा.बी. व्याप्ति का विस्तार किया गया है। दिनांक 01 अगस्त, 2015 से निर्माण क्षेत्र कामगारों को हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त किया गया है। हालांकि यह मामला वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

नई पहले –

चूंकि, पहले से विद्यमान क्षेत्रों तथा नए क्रियान्वित क्षेत्रों में क.रा.बी. निगम 2.0 के क्रियान्वयन से लगभग 01 (एक) करोड़ बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। अतः क.रा.बी. निगम ने आशोधित कर्मचारी उपयोगन औषधालय (ईयूडी) तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइ.एम.पी.) योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जहां क.रा.बी. निगम के पास स्वास्थ्य देखरेख प्रदान प्रदान करने के लिए स्वयं की पर्याप्त अवसंरचना नहीं है, वहां क.रा.बी. निगम 2.0 के अंतर्गत नए नामांकित बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आशोधित कर्मचारी उपयोगन औषधालय (ईयूडी)^९ तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)^{१०} योजना द्वारा करने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी उपयोगन औषधालय तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी के माध्यम से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसके लिए वर्ष 2020–2021 में ` 30.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। द्वितीयक अर्थात् अस्पताल स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रसिद्ध निजी चिकित्सा देखरेख प्रदाता के साथ टाइ-अप व्यवस्थापन करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है तथा कुछ समय से जिला स्तर पर अभिनिर्देशन के लिए सभी टाइ-अप तथा प्रतिपूर्ति प्रत्येक जिले में देखी जाना संभावित है।

इससे आगे आरंभ में नए कार्यान्वित जिलों और बाद में पूरे देश में चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने हेतु क.रा.बी. निगम ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है ताकि एक इको सिस्टम तैयार किया जा सके जहां क.रा.बी. निगम लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई.) नामिकायित अस्पतालों में सेवाओं के लिए सीधे जाने में सक्षम हो सकें। क.रा.बी. लाभार्थी अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पूरे देश में नामिकायित अस्पतालों की सेवाओं की पोर्टिबिलिटी का लाभ लेने में सक्षम हो सकेंगे और ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं लेने में सक्षम हो सकेंगे। ऐसी अपेक्षा है कि इसके द्वारा क.रा.बी. निगम के उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग होगी जो अभी अल्प उपयोग में आ रहे हैं और इसके साथ ही ऐसे संस्थानों में आधारभूत ढाँचे और सुविधाओं के सुधार में मदद मिलेगी।

^९नियोक्ता उपयोगन औषधालय

^{१०}बीमा चिकित्सा व्यवसायी



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

S. No.	Subject	Target Year
1	To implement the Scheme in 71 District Hqrs. Area /prominent industrial center, where the Scheme is not notified and to fully implement the Scheme in entire area of 185 Districts which are partially implemented and 81 districts which are not implemented.	31 st March, 2020
2.	To implement entire area of 71 Districts where scheme is implemented in District Headquarters area or prominent industrial center.	31 st March, 2021
3.	To implement in the entire area of any backlog Districts where the scheme is not fully implemented.	31 st March 2022

Simultaneous with the expansion of ESI Scheme to a vast geographical expanse of the country and making the benefits of social security available under ESI Scheme to all eligible employees and their family members, internal targets are also being formulated along with augmentation of IP and beneficiary centric services.

Presently, the Scheme has presence in 566 Districts which includes 381 fully implemented Districts. The Scheme is implemented in the District Hqrs. area /prominent industrial centre of 185 Districts.

(iii) Construction Workers -

ESI Coverage has been extended to Construction workers in the implemented areas. Construction site Workers have been covered to avail benefits under the ESI Scheme w.e.f. 1st August, 2015. However, the matter is presently sub-judice in the Hon'ble Supreme Court.

NEW INITIATIVES: -

As there has been increase of around one Crore IP since implementation of ESIC 2.0 in already existing areas and newly implemented areas, ESIC has also proposed to introduce modified EUD & IMP Scheme. For providing medical services to newly enrolled IPs under ESIC 2.0 where ESIC does not have adequate infrastructure for health care delivery of its own, it was proposed to introduce modified EUD⁸ & Modified IMP⁹ scheme. Under this Scheme, primary care services will be provided through EUD & IMPs for which budget provision of ₹ 30 Crore has been made in the year 2020-2021. For providing Medical Services at the secondary, viz Hospital level, Regional Offices have already been authorized to enter into tie-up arrangements with reputed private health care providers and in due course of time, the DCBO in each district is expected to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at the district level.

Furthermore, in order to jump start the availability of medical care in the newly implemented district in the first instance and eventually, to the entire country the ESIC has entered into a MOU with National Health Authority (NHA) to create an eco-system where ESIC beneficiaries are enabled to directly access services at Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY) empanelled hospitals. ESI beneficiaries will also be enabled to avail benefits from portability of services provided by AB PMJAY empanelled hospitals across the country and AB PMJAY beneficiaries will be able to avail services in ESIC empanelled hospitals. It is expected that this would create higher demand for health services at those ESIC Hospitals that are currently under-utilized and in turn, support the improvement of infrastructure and facilities at such institutions.

⁸Employer Utilization Dispensary

⁹Insurance Medical Practitioner



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

आरंभ में यह महाराष्ट्र में अहमद नगर और कर्नाटक में बीदर जिले में प्रायोगिक तौर पर की जा रही है जिसमें क.रा.बी. निगम लाभार्थी पीएमजे.एवाई नामिकायित अस्पतालों में योजना के अंतर्गत सभी 1393 द्वितीयक और तृतीयक देखरेख हेतु उसका प्रयोग (एक्सेस) करने के लिए सक्षम होंगे और यह पहल शीघ्र ही 102 जिलों में और बाद में संपूर्ण देश में होगी।

ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. और क.रा.बी. योजना परस्पर अभिसरण के मुख्य लाभ

1. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता तक क.रा.बी.निगम हितलाभार्थियों को पहुंच प्राप्त होगी।
2. ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थी क.रा.बी. निगम नामिकायित अस्पतालों में सेवाएं पाने में सक्षम होंगे।
3. क.रा.बी. निगम के हितलाभार्थी अपने क.रा.बी. योजना कार्ड को ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।
4. इसी प्रकार ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. के लाभार्थी अपना ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. कार्ड अल्प उपयोग में आ रहे क.रा.बी. निगम अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा के लिए प्रयोग (एक्सेस) कर सकते हैं।

इन सेवाओं के लिए ठोकन राशि के रूप में ` 5 करोड़ परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में और ` 500 करोड़ बजट प्राक्कलन 2020–2021 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अति विशिष्टता उपचार

क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित अस्पतालों तथा टाइअप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार हेतु 2019–2020 के लिए ` 1,484.15 करोड़ का परिशोधित प्राक्कलन और 2020–2021 के लिए ` 1,543.10 करोड़ के बजट प्राक्कलन का प्रावधान किया गया है।

2.2 (2) नकद हितलाभ

बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, कुछेक विनिर्दिष्ट रोगों के कारण विस्तारित बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट से उत्पन्न अस्थायी या स्थायी निःशक्तता की आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ तथा किसी व्यावसायिक रोग या रोजगार चोट के फलस्वरूप किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के जीवित सदस्य (यों) को पेंशन के रूप में आश्रितजन हितलाभ का भुगतान किया जाता है। अंत्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर देय वर्तमान अंत्येष्टि व्यय राशि ` 10,000 से बढ़ाकर ` 15,000 कर दी है। इन हितलाभों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित दरों पर किया जाता है। परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में नकद हितलाभों के लिए ` 3383 करोड़ का कुल प्रावधान है जिसमें अंशदान आय का 19 प्रतिशत है। वर्ष 2020–2021 बजट प्राक्कलन के लिए ` 2238 करोड़ का प्रावधान है जिसमें वर्ष 2020–2021 में अंशदान आय का 12 प्रतिशत है। इसमें ` 1426 करोड़ का प्रावधान स्थायी निःशक्तता निधि और ` 855 करोड़ आश्रितजन हितलाभ निधि हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में प्रावधान किया गया है और बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर स्थायी निःशक्तता हितलाभ निधि ` 544.70 करोड़ और ` 451.90 करोड़ आश्रितजन हितलाभ का बजट प्राक्कलन 2020–2021 में किया गया है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के साथ–साथ बीमायोग्य रोजगार की 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक अवधि के बाद कारखाना बंद होने पर 6 माह की अधिकतम अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए एक अन्य योजना पर विचार किया गया और निगम ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है जो दिनांक 01.04.2005 से लागू है। आगे, हितलाभों की आवधिकता 24 महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित की गई है तथा हकदारी की शर्त के रूप में बीमायोग्य रोजगार की अवधि भी घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Initially, a pilot is being conducted in the districts of Ahmednagar district in Maharashtra and Bidar district in Karnataka wherein ESIC beneficiaries would be able to access all 1393 secondary and tertiary care packages under the scheme in all AB PMJAY empanelled Hospitals and this initiative will very soon be scaled up to 102 districts and eventually across the country.

Key Benefits of AB PM-JAY and ESIS convergence

1. ESIC beneficiaries will get access to healthcare providers under AB PM JAY.
2. AB PM-JAY beneficiaries will be able to avail services in ESIC empanelled hospitals.
3. Beneficiaries of ESIC can use their ESIS card to access free treatment at AB PM JAY empanelled hospitals.
4. Similarly, beneficiaries of AB PM JAY can use their PM JAY card to access free treatment at ESIC under-utilized hospitals.

For these services, a token amount of ` 5 crore is being provided in Revised Estimates 2019-2020 and ` 500 crore in Budget Estimates 2020-2021.

Super Specialty Treatment.

A provision of ` 1,484.15 Crore has been made in the Revised Estimates 2019-2020 and ` 1,543.10 Crore in Budget Estimate for 2020-2021 for Super speciality Treatment through tie-up hospital network and by the hospitals run by ESIC directly.

2.2 (2) Cash Benefits:

Cash benefits are paid to insured persons in adverse contingencies of sickness or extended sickness on account of certain specified diseases, maternity, temporary or permanent disablement arising out of an employment injury and dependants' benefit to the surviving member(s) of the family, if an insured person who dies as a result of an occupational disease or an employment injury. Funeral Expenses are also met. The ESI Corporation in its 175th meeting held on 18.09.2018 has enhanced the Funeral Expenses from existing ` 10,000/- to ` 15,000/- being paid on the death of Insured Person. The rates at which these benefits are payable are prescribed in Rules 54 to 59 of the E.S.I. (Central) Rules, 1950. The total provision for Cash Benefits for Revised Estimates 2019-2020 is ` 3383 Crore which is 19 percent of contribution income. For Budget Estimates 2020-2021, provision is ` 2238 Crore which is 12% of contribution income for 2020-2021. This includes a provision of ` 1,426 Crore in the Permanent Disability Fund and ` 855 Crore in the Dependent Benefit Fund for Revised Estimates 2019-2020 and ` 544.70 Crore in the PDB fund and ` 451.90 Crore in the DB fund for BE 2020-2021 based on actuarial valuation.

RAJIV GANDHI SHRAMIK KALYAN YOJNA

A scheme to provide medical benefits as well as unemployment allowance upto a maximum period of six months after a minimum qualifying period of five years of insurable employment on closure of factories was conceived and approved by the Corporation which is in force w.e.f. 1.4.2005. Further, the periodicity of benefits has been extended to a maximum period of twenty-four months and the period of insurable employment as



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

बेरोजगारी भत्ते के दावे के प्रस्तुतीकरण की अवधि दिनांक 01.07.2010 से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। हितलाभ की दर प्रथम 12 माह के लिए पहली औसत दैनिक मजदूरी का 50% है तथा अगले 13 से 24 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25% है, जिसे दिनांक 06.09.2016 को आयोजित करा दी गयी। निगम की 169वीं बैठक के दौरान निर्णय किया गया है।

2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में इस योजना हेतु क्रमशः ₹ 9.00 करोड़ तथा ₹ 11.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

भारत में रोजगार पैटर्न में बदलाव और रोजगार के मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जो दीर्घकालिक रोजगार से निश्चित अल्पकालिक नियुक्तियों में बदल गया है, करा.बी.निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) के लिए “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना” नामक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना बेरोजगारी के मामले में, बीमाकृत व्यक्तियों को, जीवन में एक बार जब वे नई नौकरी खोज रहे होते हैं, जीवन में एक बार 90 दिनों तक मजदूरी की 25 प्रतिशत की दर से नकद के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में उन्हें राहत दी जाती है। बेरोजगारी किसी भी प्रकार की हो सकती है सिवाय कुछ आकस्मिकताओं के, जैसे कि कदाचार के लिए दंड, अधिवर्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। यह योजना 01.07.2018 से लागू की गई है। इस नई योजना के लिए 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन 2020–2021 के लिए प्रत्येक हेतु ₹ 0.50 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

2.2 (3) प्रशासनिक व्यय

प्रशासनिक व्यय में “वेतन एवं भत्ते” एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर व्यय का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 7वें वेतन आयोग के प्रभाव, वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। तथापि, किफायती उपायों को ध्यान में रखा गया है।

केन्द्र सरकार ने नियम 31क के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 1997–98 से कुल राजस्व आय की 15% नियत की है। 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में और 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में प्रशासनिक व्यय इन वर्षों के दौरान कुल राजस्व आय का क्रमशः 7.75% और 7.25% बनता है।

वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ :

- 3.1 चालू वित्त वर्ष 2019–2020 में निगम का राजस्व ₹ 23,197.31 करोड़ होने का अनुमान है जबकि पहले ₹ 23,579.58 करोड़ का अनुमान लगाया गया था।

अंशदान :

- 3.2 अक्टूबर 2019 तक राजस्व की प्रवृत्ति को देखते हुए, शेष माह के लिए बीमांकन प्राक्कलन के अनुसार प्रवृत्ति तथा पैरा 2.1 में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से ₹ 17,910.00 करोड़ आय का अनुमान है। परिशोधित प्राक्कलन में योजना के कार्यान्वयन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति, जिलावार कार्यान्वयन एवं दिनांक 01.01.2017 से मजदूरी की उच्चतम सीमा में ₹ 15,000/- से ₹ 21,000/- की वृद्धि पर भी विचार किया गया है। दिनांक 31.3.2020 को कुल अनुमानित व्याप्ति 316.87 लाख कर्मचारी होने की सम्भावना है।
- 3.3 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की कुल बकाया राशि ₹ 3,108.65 करोड़ में से ₹ 1,354.60 करोड़ फिलहाल विभिन्न कारणों से वसूली योग्य नहीं है। बकाया तथा गैर-वसूली योग्य राशि का ब्योरा निम्नलिखित है :



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

a condition for entitlement has also been reduced to 3 years. Also, the period of submission of claim for Unemployment Allowance has been enhanced from 6months to 9 months w.e.f. 1.07.2010. The rate of benefit is 50% of the average daily wages for first 12 months and 25% of the last average daily wage for next 13 to 24 months which has been decided during 169th meeting of ESI Corporation held on 06.09.2016.

The Revised Estimates for 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 provides for a sum of ` 9.00 Crore and ` 11.00 Crore respectively for this Scheme.

ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA

Considering the change in employment pattern and the current scenario of employment in India which has transformed from long term employment to fixed short term engagements, the ESI Corporation has approved an ambitious Scheme named "ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA" for Insured Persons (IP) covered under the Employees' State Insurance Act, 1948. This scheme is a relief payable once in life time in cash directly to the Bank Accounts of the insured persons in case of unemployment and while they search for new engagement @ 25% of wages up to 90 days. The unemployment may be of any kind except certain contingencies like punishment for misconduct, superannuation and voluntary retirement. The Scheme has been implemented from 01.07.2018. For this new scheme the Revised Estimates for 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 have been provided for a sum of ` 0.50 Crore each.

2.2 (3) Administrative Expenses:

Administrative expenditure includes "Pay & Allowances" and provision for retirement benefits to administrative employees and expenditure on general office management has been projected keeping in view of 7th pay commission impact, the usual increase in the price of goods and cost of services and recruitments; however, austerity measures have been kept in view.

The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31A as 15% of total revenue income with effect from the year 1997-98. The administrative cost in the Revised Estimates for 2019-2020 and in the Budget Estimates for 2020-2021 works out to 7.75% and 7.25% respectively of the likely total revenue income during these years.

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2019-2020

I. RECEIPTS:

- 3.1 The revenue of the Corporation for the current financial year 2019-2020 is estimated at ` 23,197.31 Crore as against ` 23,579.58 Crore estimated earlier.

CONTRIBUTION:

- 3.2 The income from contributions has been estimated at ` 17,910.00 Crore keeping in view the trend of revenue up to October 2019, trend as per Actuarial estimation for remaining months and keeping the factors mentioned in para 2.1. The revised estimates also consider the additional coverage of employees during the year, district wise implementation and rise in wage ceiling from ` 15,000/- to ` 21,000/- w.e.f. 01.01.2017. The total estimated coverage as on 31.03.2020 is likely to be 316.87 lakhs employees.
- 3.3 Out of the total amount of arrears of contribution & interest of ` 3,108.65 Crore as on 31.3.2019, an amount of ` 1,354.60 Crore is not recoverable for the present, due to various reasons. Details of arrears and the amount not recoverable are furnished below :



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क.	फिलहाल लावसूल बकाया राशि	(` करोड़ में)
क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	1,085.77
ख)	परिसमापन के अधीन राशि	126.31
ग)	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	8.98
घ)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जो बंद हैं गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता—पता मालूम नहीं, से देय राशि	132.49
ड)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हैं गई है परन्तु निष्पादित नहीं हुई	1.05
योग		1,354.60
ख.	रुग्ण उद्योगों से प्राप्य राशि	
(i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी स्वीकृत की जानी है	77.98
(ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई है	32.71
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु लम्बित वसूली—योग्य प्राप्य राशि	1,643.36
कुल योग		3,108.65

निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45—सी से 45—आई के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से नियोक्ताओं से राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियोजन तथा दाण्डिक कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उचित कार्रवाई भी की गई है।

3.4 ब्याज

प्राक्कलित तथा परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में दर्शाए जा रहे ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि और आकस्मिकता आरक्षित निधि और पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा किया गया है। कुल प्राक्कलित ब्याज तथा उसका नियोजन निम्न प्रकार है :-

(` करोड़ में)

	परिशोधित प्राक्कलन (2019–20)
गैर-उद्दिष्ट निधि पर ब्याज़	5,157.31
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	1,748.37
कुल	6,905.69

3.5 मुआवजे

किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ के भुगतानों की घटना—दर अखिल भारतीय औसत के 150% से अधिक और उस राज्य में बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक पाए जाने पर इस प्रकार के व्यय की राशि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(2) के अधीन करार द्वारा यथा नियत रूप में राज्य सरकार और निगम के बीच बांटी जाती है। चूंकि बीमारी हितलाभ की घटना—दर निर्धारित सीमा के भीतर है, इसलिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

A.	Arrears not recoverable for the time being	(` In Crore)
a)	Amount of arrears disputed in courts	1,085.77
b)	Amount under liquidation	126.31
c)	Amount pending with claim commissioner	8.98
d)	Amount due from factories/Estts. Which have been closed and whereabouts of employers not known	132.49
e)	Amount for which decree obtained but not executed	1.05
TOTAL		1,354.60
B.	Dues from sick industries	
i)	Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	77.98
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	32.71
C.	Recoverable due pending for Recovery with Recovery Officer	1,643.36
GRAND TOTAL		3,108.65

The Corporation is vigorously pursuing the recovery of arrears with employers through its own Recovery Machinery set up under Section 45-C to 45-I of the ESI Act. Prosecution and penal action if felt necessary under the provisions of the E.S.I. Act has also been taken.

3.4 INTEREST

The interest figures estimated and shown in the Revised Estimates 2019-2020 are pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. The total interest estimated and its appropriation is as follows: -

	(` In Crore)
	RE (2019-20)
Interest on Non-earmarked Fund	5,157.31
Interest on Earmarked Reserve Fund	1,748.37
Total	6,905.69

3.5 COMPENSATION

Where the incidence of sickness benefits payment to Insured Persons in any state is found to exceed 150% of the all India Average and the average number of sickness benefit days in that state is more than 3 days, the amount of such expense is shared between the State Government and the Corporation as may be fixed by an Agreement, U/S 58 (2) of E.S.I. Act. As incidence of sickness benefit was within the prescribed limit, no provision has been made in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

3.6 किराया, पौरकर और कर

इस शीर्ष के अधीन, (i) कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) और (ii) अस्पतालों तथा औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) के संबंध में वसूली-योग्य किराया, पौरकर तथा कर दर्शाए गए हैं। निगम द्वारा निर्मित तथा अपने स्वामित्व वाले अस्पताल तथा औषधालय भवनों से संबंधित किराया, परन्तु उच्चतम सीमा से बाहर, बांटने योग्य व्यय का भाग होता है। इस प्रकार यह निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है। हालांकि, चूंकि निगम, तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. योजना से संबंधित 100% व्यय का वहन किया जाएगा, अतः कर की समानुपातिक कटौती पर विचार नहीं किया गया है। केवल कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में ` 3.00 करोड़ की राशि प्राक्कलित की गई है जो प्रमुख रूप से स्टाफ से मकान किराया भत्ता की वसूली के संबंध में है।

3.7 शुल्क, जुर्माने तथा जब्तियाँ

इस शीर्ष में निगम को अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंश, की समय पर अदायगी न कर पाने पर नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जानों के कारण आय शामिल है।

3.8 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियों में छात्रों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जैसे शिक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं चिकित्सा शिक्षा के रूप में प्राप्त अन्य राशियां शामिल हैं।

3.9 विविध प्राप्तियाँ

इनमें अनुलिपि पहचान-पत्रों की कीमत से हुई आय, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदानों की वसूलियां, न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई राशियों सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूलियां, अन्य मौजूदा शीर्षों के अंतर्गत वगीकृत न की जा सकने वाली आय तथा अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा में अस्वीकृत राशि की वसूलीय गत वर्षों में किए गए सेवा व्ययों की वसूली तथा नकद हितलाभ की वसूली आवेदकों द्वारा भर्ती हेतु जमा कराए गए शुल्क क.रा.बी. निगम कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ पर अंशदान आदि शामिल हैं।

II. व्यय :

वर्ष 2019–2020 के दौरान राजस्व लेखों में ` 15,394.93 करोड़ के व्यय का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ` 14,141.59 करोड़ प्रत्याशित था। राजस्व व्यय के ब्योरे निम्न प्रकार हैं :–

(क) चिकित्सा हितलाभ :

4.1 इस शीर्ष के अधीन ` 10,209.55 करोड़ का प्रावधान (356.13 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) प्राक्कलित किया गया है।

4.2 अस्पताल/औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत धन व्यवस्था में (i) चालू भवन की पूंजीगत लागत के 1.67% की दर से अस्पताल एवं औषधालय भवनों का मूल्यहस (` 153.94 करोड़) और (ii) प्रदर्शित व्यय पर भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (` 276.18 करोड़) तथा (iii) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए किराया तथा नगरपालिका कर (` 37.00 करोड़) शामिल हैं। विशेष मरम्मत पर व्यय मूल्यहस आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों की मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया व्यय चिकित्सा हितलाभ व्यय में प्रभारित किया जाता है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

3.6 RENT, RATES AND TAXES

Rents, Rates and Taxes are recoverable in respect of (i) Office buildings (including staff quarters), and (ii) Hospitals and dispensaries (including staff quarters). The rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation forms part of the shareable expenditure but outside the ceiling. It thus gets apportioned between the Corporation and State Governments in the prescribed ratio of 7:1. However, since the Corporation would be bearing 100% expenditure in respect of the ESI Scheme for three years, proportionate deduction of rent has not been considered. Only rent in respect of Office buildings and staff quarters amounting to ` 3.00 Crore has been estimated, chiefly on account of HRA recoveries from staff.

3.7 FEES, FINES & FORFEITURES

This Head includes receipts on account of damages levied on the employers due to their failure to pay contribution, both employers' and employees' share, to the Corporation in time.

3.8 MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

Medical education receipts include the fee paid by the students, like tuition fee, hostel fee and any other amount received on account of medical education.

3.9 MISCELLANEOUS RECEIPTS

These include receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and disallowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees etc.

II. EXPENDITURE:

The expenditure on revenue account during 2019-2020 is estimated at ` 15,394.93 Crore as against ` 14,141.59 Crore anticipated originally. The details of revenue expenditure are discussed below:

A. MEDICAL BENEFIT:

4.1 The total provision under this Head has been estimated at ` 10,209.55 Crore (for 356.13 lakhs IPs.).

4.2 HOSPITAL/DISPENSARIES

The provision under this head comprises (i) depreciation of hospitals and dispensary buildings (` 153.94 Crore) at the rate of 1.67% of capital cost (excluding cost of land) of commissioned building and (ii) repair and maintenance of the building (` 276.18 Crore) at projected expense and (iii) Rent & Municipal taxes for hospitals and dispensaries (` 37.00 Crore). The expenditure on special repairs is charged to the Depreciation Reserve Fund while that of R&M of Hospitals & Dispensaries Buildings is charged to medical benefit expenditure.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

(ख) नकद हितलाभ :

‘ 1,779.59 करोड़ के मूल प्रावधान की तुलना में विवरण ‘ख’ में दिए गए व्योरे के अनुसार परिशोधित व्यय ` 3,383.39 करोड़ है जो स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ व्यवस्था के लिए बीमांकन मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ` 9.00 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी, हितलाभ दिनों की औसत संख्या तथा प्रति कर्मचारी, बीमारी हितलाभ तथा अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर की औसत राशि नीचे दर्शायी गयी है :-

	वर्ष	बीमारी हित लाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
(क) प्रतिवर्ष प्रतिकर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2003–2004	1.80	0.53
	2004–2005	1.55	0.44
	2005–2006	1.34	0.38
	2006–2007	1.12	0.32
	2007–2008	0.98	0.30
	2008–2009	0.94	0.23
	2009–2010	0.85	0.21
	2010–2011	0.55	0.21
	2011–2012	0.53	0.21
	2012–2013	0.57	0.20
	2013–2014	0.47	0.20
	2014–2015	0.45	0.21
	2015–2016	0.37	0.17
	2016–2017	0.33	0.14
	2017–2018	0.29	0.10
	2018–2019	0.28	0.10
ख) प्रतिदिन प्रतिकर्मचारी औसत औसत हितलाभ दर (` में)	2003–2004	80.05	94.22
	2004–2005	80.68	94.68
	2005–2006	83.11	95.21
	2006–2007	84.08	99.65
	2007–2008	96.98	99.63
	2008–2009	121.12	124.57
	2009–2010	126.80	134.10
	2010–2011	136.37	154.86
	2011–2012	160.82	177.01
	2012–2013	159.42	219.51
	2013–2014	194.25	237.52
	2014–2015	217.91	264.45
	2015–2016	261.72	287.39
	2016–2017	251.43	300.42
	2017–2018	260.19	307.36
	2018–2019	301.41	379.94

बीमारी हितलाभ तथा अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के संबंध में की गई धन व्यवस्था में उपर्युक्त को ध्यान में रखा गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

(B) CASH BENEFITS:

The revised expenditure of ` 3,383.39 Crore vide details in the Statement 'B' against an original provision of ` 1,779.59 Crore is mainly based on the actuarial valuation including amount for PDB and DB provisions. It also includes a provision of ` 9.00 Crore for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna.

The average number of benefit days per annum per employee and the average amount of daily rate of sickness benefit and temporary disablement benefit per employee have been shown below :-

	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
a) Average number of Benefit days per annum per employee (in no. of days)	2003-2004	1.80	0.53
	2004-2005	1.55	0.44
	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
b) Average benefit rate per day per employee (In `)	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.10
	2003-2004	80.05	94.22
	2004-2005	80.68	94.68
	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	379.94

The provisions made in respect of sickness benefit and temporary disablement benefit takes the above into account.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

ग. अन्य हितलाभ :

5. विविध मदों पर यानी चिकित्सा बोर्ड तथा न्यायाधिकरणों को दिए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा परिवहन पर स्वयं किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए भुगतान, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी की हानि के लिए देय राशि के रूप में खर्च इत्यादि पर व्यय को कवर करने हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 3.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु ` 100/- प्रति लाभार्थी यात्रा व्यय का भुगतान भी शामिल है।

घ. प्रशासनिक व्यय

वर्ष 2019–2020 के लिए प्रशासन पर कुल व्यय ` 1,798.17 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि पहले ` 1,601.54 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। इसमें विधिक विवादों में अधिनिर्णय हेतु भुगतान के कारण ` 138 करोड़ का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2019–2020 के लिए प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक लागत कुल राजस्व का 7.75% बनती है।

(क) स्थापना व्यय (ई.बी.आर.एफ.सहित)

वर्ष 2019–2020 हेतु स्थापना व्यय पर कुल व्यय ` 1,103.68 करोड़ दर्शाया है, जबकि पहले ` 1,094.90 करोड़ प्राक्कलित था।

(ख) अन्य प्रशासनिक व्यय

- 6.1 पूर्व बजट प्राक्कलन में ` 506.64 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में ` 694.49 करोड़ की धन व्यवस्था की गई है।

पूंजीगत निर्माण निधि

- 7.1 निगम ने 2 फरवरी, 1974 को सम्पन्न अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10% अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं और कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दिनांक 19 फरवरी, 1983 को सम्पन्न निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 5% कर दिया जाए। फिर, दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न निगम की 129वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.04.2005 से इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 1% कर दिया जाए। तत्पश्चात् निगम की 177वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था कि पांच वर्षों के लिए निधि में कोई और परिवर्धन नहीं किए जाएंगे। तदनुसार, कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

आकस्मिकता आरक्षित निधि

- 7.2 निगम की दिनांक 17 मार्च, 1973 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया था कि ` 1.00 करोड़ की न्यूनतम राशि की शर्त के अंदर निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाए (यह राशि ` 1.00 करोड़ से कम होने पर संपूर्ण राशि)। स्थायी समिति तथा निगम की 27/28 नवम्बर, 1986 को सम्पन्न बैठकों में निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ` 75.00 करोड़ तक सीमित रखी जाए। इस निधि में उक्त सीमा तक राशि जमा होने के कारण परिशोधित प्राक्कलन में कोई धन व्यवस्था नहीं की गई है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

- 8.1 पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करते हुए 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में निर्माण कार्यों पर ` 1,086.59 करोड़ (कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

C. OTHER BENEFITS:

5. The provision of ` 3.82 Crore has been done in Revised Estimate 2019-2020 to cover expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ` 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

D. ADMINISTRATIVE EXPENSES

The total expenditure on Administration for the year 2019-2020 is projected as ` 1,798.17 Crore against ` 1,601.54 Crore estimated earlier. This includes a provisioning of ` 138 crores on account of payment for award in legal disputes. The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 7.75 % for the year 2019-2020.

(a) ESTABLISHMENT EXPENSES (Including EBRF)

The total expenditure on Establishment expenses for the year 2019-2020 is projected as ` 1,103.68 Crore against ` 1,094.90 Crore estimated earlier.

(b) OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

- 6.1 A provision of ` 694.49 Crore has been made in the Revised Estimates 2019-2020 as against ` 506.64 Crore in the Budget Estimates earlier.

CAPITAL CONSTRUCTION FUND

- 7.1 The Corporation in its meeting held on 2nd February, 1974 decided that 10% of the total revenue derived from employers' and employees' contribution was to be credited to the Capital Construction Reserve Fund for construction of hospitals, dispensaries, other medical institutions, office buildings and staff quarters. Subsequently, in the meeting of the Corporation held on 19th February, 1983, it was decided to reduce that provision to 5% of contribution. Further, in the 129th meeting of the Corporation held on 17.12.2004, it was decided to reduce that provision to 1% of Contribution w.e.f. 1.4.2005. Subsequently, it was decided not to make any further additions to the fund for five years in the 177th meeting of the Corporation. Accordingly, no provisions have been made.

CONTINGENCY RESERVE FUND

- 7.2 The Corporation in its meeting held on 17th March, 1973, decided that 20% of the excess of income over expenditure on revenue account subject to a minimum of ` 1.00 Crore (whole of the excess when it is less than 1.00 crore) was to be credited to this fund. The Standing committee and the Corporation in their meeting held on 27th/28th November, 1986 decided that the balance in this Fund should be limited to ` 75 crore only. No provision has been made in the Revised Estimates as the fund has reached the ceiling.

EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

- 8.1 In the Revised Estimates for 2019-2020, the expenditure on construction works has been estimated at ` 1,086.59 Crore (` 26.60 Crore for construction of office buildings and Staff quarters, ` 753.02 Crore



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

- ८.२ १. 26.60 करोड़, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹ 753.02 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹ 306.97 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया गया है। अनुमानित व्यय के विवरण परिशिष्ट-3 में दिए गए हैं।
वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में गैर परियोजना पूंजीगत व्यय पर 479.98 करोड़ का व्यय प्राक्कलित है, जिसमें कम्प्यूटर के लिए ₹ 216 करोड़ तथा उपस्कर (कार्यालय और चिकित्सा उपस्कर, दोनों) के लिए ₹ 245.97 करोड़ का बड़ा व्यय सम्मिलित है।

व्यय से आय का आधिक्य

- ८.३ परिशोधित प्राक्कलन के अनुसार व्यय से अधिक आय के पूर्व अनुमान ₹ 9,437.98 करोड़ की तुलना में ₹ 7,802.38 करोड़ अनुमानित है।
८.४ निगम एक सेवा संगठन है, इस कारण इसके संचालन में लाभ का कोई तत्व नहीं है इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10(25) (क) के अंतर्गत क.रा.बी. निधि को निगम द्वारा आयकर के भुगतान से विशेष छूट दी गई है।

लिंग और बाल बजट

- ८.५ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए लिंग बजट वार्षिक कार्य योजना 2019–2020 के अनुसार, क.रा.बी.निगम के लिए नए दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र विमेंस की मदद से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए लिंग निर्धारण के आधार पर अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम द्वारा एक लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹ 4,664.25 करोड़ (शिशु कन्या के लिए ₹ 123.19 का बजट प्रावधान) समेत किया गया है।

महिलाओं के लिए मुख्य शीर्षवार लिंग बजट प्रावधान विस्तृत रूप से निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	योजना का विवरण/बजट शीर्ष	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (₹ करोड़ में)
महिलाओं हेतु 100% प्रावधान		
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	431.82
2.	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पल्जियों को प्रसव भत्ता	7.00
महिलाओं के पक्ष में 30% (प्रो-वूमन) हेतु प्रावधान		
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	3,721.89
4.	नकद हितलाभ (मातृत्व हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	503.54
	कुल	4,664.25

वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन

- I. **प्राप्तियां**
९. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए निगम का अनुमानित राजस्व ₹ 24,788.81 करोड़ है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 में ₹ 23,197.31 करोड़ दर्शाया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

for construction of hospitals, dispensaries and staff quarters and ` 306.97 Crore for construction of medical education projects), considering the progress of Projects undertaken. The details of estimated works are at Appendix-III.

- 8.2 In the Revised Estimates for 2019-2020, the expenditure on Non-Project Capital Expenditure has been estimated at 479.98 Crore. This includes major expenditure of 216 Crore for Computers and 245.97 Crore for Equipment (both Office & Medical equipment).

EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

- 8.3 As per the Revised Estimates, the excess of income over expenditure is estimated at ` 7,802.38 Crore as compared to earlier estimates of ` 9,437.98 Crore.
- 8.4 The Corporation being a service organization, there is no element of profit in its operations and therefore, specific exemption under Sec 10 (25) (A) of Income Tax Act is granted for Employees State Insurance Fund from payment of income tax by Corporation.

GENDER AND CHILD BUDGET

- 8.5 As per Gender Budget Annual Action Plan 2019-20 for Ministry of Labour Employment, Government of India, the new guidelines for ESIC have been approved based on the Gender Assessment undertaken by MoL&E with help of UN Women. Further, as per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC has set up a Gender & Child Budget Cell. Across all budget heads under ESI Scheme. An approximate budget provision for Women has been worked out at ` 4,664.25 Crore (including budget provision for female child at ` 123.19 Crore) in the Revised Estimates 2019-2020.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Revised Estimates 2019-20 (` in Crore)
100% provision towards women		
1.	Maternity Benefit Scheme	431.82
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	7.00
Pro-women (at least 30% of provision)		
3.	Medical Benefit Scheme	3,721.89
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	503.54
	Total	4,664.25

BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2020-2021

I. RECEIPTS

9. The revenue of the Corporation for the financial year 2020-2021 is estimated at ` 24,788.81 Crore as against ` 23,197.31 Crore shown in Revised Estimates 2019-2020.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

अंशदान

- 9.1 जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है, 6.5% की अंशदान दर से 4% में घटौती के कारण वर्ष 2020–2021 के लिए अंशदान से आय ` 18,500 करोड़ प्राक्कलित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 के लिए यह ` 17,910 करोड़ है। इस वृद्धि में कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट-1) के अनुसार (क) नए क्षेत्रों में 2020–2021 के दौरान लगभग 2.89 लाख कर्मचारियों की अतिरि व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2020–2021 में कर्मचारियों की भारित औसत संख्या 318.31 लाख अनुमानित है।
- 9.2 तालिका में 2015–2016 से प्रतिव्य अंशदान आय दिखाई गई है :-

2015–2016 वार्षिक	2016–2017 वार्षिक	2017–2018 वार्षिक	2018–2019 वार्षिक	2019–2020 परिशोधित प्राक्कलन	2020–2021 बजट प्राक्कलन
` 6,054	` 6,127*	` 6,258	` 7,127	` 5,678	` 5,812

*यह आंकड़े एसपीआरई अभियान तथा मजदूरी की उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 की अंतिम तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति आय की घटी हुई राशि दर्शाते हैं।

9.3 ब्याज

बजट प्राक्कलन में प्राक्कलित तथा दर्शाए गए ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि और आकस्मिकता आरक्षित निधि के निवेश और पूंजी निर्माण आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा कर दिया है। निवेश पर ब्याज की दर में तेजी से गिरावट आई है, अतः निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के साथ वृद्धि नहीं हुई। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन उपरांत निवेश में विविधता के प्रभाव वर्ष 2020–2021 से परिलक्षित होंगे। कुल प्राक्कलित ब्याज तथा उसका विनियोजन निम्न प्रकार है :-

(` करोड़ में)

	बजट प्राक्कलन (2020–21)
गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज	6150.81
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज	2085.18
कुल	8,235.99

मुआवजा

- 9.4 मुआवजा केवल उन्हीं राज्यों से प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक होती है और अखिल भारतीय औसत से 150% अधिक होती है। चूंकि बीमारी हितलाभ की घटना दर विहित सीमा के भीतर है, इसलिए वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.5 अस्पताल/औषधालय भवनों का किराया

इस शीर्ष के अधीन, (i) कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) और (ii) अस्पतालों तथा औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) के संबंध में वसूली–योग्य किराया, पौरकर तथा कर दर्शाए गए हैं। निगम द्वारा निर्मित तथा अपने स्वामित्व वाले अस्पताल तथा औषधालय भवनों से संबंधित किराया, परन्तु उच्चतम सीमा से बाहर, बांटने योग्य व्यय का भाग होता है। इस प्रकार यह निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है। हालांकि चूंकि निगम, तीन वर्षों के लिए क.रा.बी. योजना से संबंधित 100% व्यय का वहन किया जाएगा, अतः कर की समानुपातिक कटौती पर विचार नहीं किया गया है। केवल कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में ` 3.00 करोड़ की राशि प्राक्कलित की गई है जो प्रमुख रूप से स्टाफ से मकान किराया भत्ता की वसूली के संबंध में है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

CONTRIBUTIONS

- 9.1 For reasons of reduction in rate of contributions from 6.5% to 4% as explained earlier, income from Contributions for the year 2020-2021 has been estimated at ` 18500 Crore as against ` 17910 Crore in the Revised Estimates 2019-20. This projection has also taken into account the (a) anticipated additional coverage of about 2.89 lakhs employees during 2020-2021 in new areas as per the implementation programme (Appendix-I); and (b) the trends of contribution income. The weighted average number of employees in 2020-2021 is estimated at 318.31 lakhs.
- 9.2 The table shows the per capita income from contribution since 2015-2016:

2015-2016 Actuals	2016-2017 Actuals	2017-2018 Actuals	2018-2019 Actuals	2019-2020 RE	2020-2021 BE
` 6,054	` 6,127*	` 6,258	` 7,127	` 5,678	` 5,812

* The figure reflects reduced amount of per capita income due to increase in number of employees in last quarter of 2016-17 on account of increase in wage ceiling and SPREE drive.

9.3 INTEREST

The interest figures estimated and shown in the BE is pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. Rate of interest on investment has sharply declined; hence in spite of increase in investible surplus total interest income has not increased in line with investments. The impact of diversification in investment after operationalization of Portfolio Management System will be visible from the year 2020-2021. The total estimated interest and its appropriation is as follows: -

(` in Crore)

	BE (2020-2021)
Interest on Non-earmarked Reserve Fund	6150.81
Interest on Earmarked Reserve Fund	2085.18
Total	8,235.99

COMPENSATION

- 9.4 The compensation is charged from those states in which the average number of sickness benefit days per employees per annum exceeds three days and is more than 150% of the all India average. As the incidence of Sickness benefit is within the prescribed limit, no provision has been made in Budget Estimates 2020-2021.

9.5 RENT OF HOSPITAL/DISPENSARY BUILDINGS

Rents, Rates and Taxes are recoverable in respect of (i) Office buildings (including staff quarters), and (ii) Hospitals and dispensaries (including staff quarters), are shown under this head. The rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation forms part of the shareable expenditure but outside the ceiling. It thus gets apportioned between the Corporation and State Governments in the prescribed ratio of 7:1. However, since the Corporation would be bearing 100% expenditure in respect of the ESI Scheme for three years, proportionate deduction of rent has not been considered. Only rent in respect of Office buildings and staff quarters amounting to ` 3.00 Crore has been estimated, chiefly on account of HRA recoveries from staff.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

9.6 शुल्क, जुर्माने तथा जब्तियाँ

इस शीर्ष में निगम को अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंश, की समय पर अदायगी न कर पाने पर नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जानों के कारण आय शामिल है।

9.7 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियों में छात्रों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जैसे शिक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं चिकित्सा शिक्षा के रूप में प्राप्त अन्य राशियां शामिल हैं।

9.8 विविध प्राप्तियाँ

इनमें अनुलिपि पहचान-पत्रों की कीमत से हुई आय, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदानों की वसूलियां, न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई राशियों सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूलियां, अन्य मौजूदा शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत न की जा सकने वाली आय तथा अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा में अस्वीकृत राशि की वसूलीय गत वर्षों में किए गए सेवा व्ययों की वसूली तथा नकद हितलाभ की वसूली आवेदकों द्वारा भर्ती हेतु जमा कराए गए शुल्क क.रा.बी. निगम कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ पर अंशदान आदि शामिल हैं।

II व्यय

10.1 वर्ष 2019–2020 के लिए ` 15,394.93 करोड़ के परिशोधित प्राक्कलन की तुलना में राजस्व लेखाओं में वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन में ` 15,848.59 करोड़ का कुल व्यय है। प्रावधानों में ` 453.66 करोड़ तक की बढ़ोतरी की निम्नलिखित पैरा में व्याख्या की गई है।

क. चिकित्सा हितलाभ

चिकित्सा हितलाभों पर व्यय के लिए कुल ` 11,807.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्चतर प्रावधानों में अन्य मदों के साथ-साथ क्रियान्वित कार्यक्रम के अंतर्गत 2.89 लाख कर्मचारियों की प्रत्याशित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल है। किए गए प्रावधानों के ब्यौरों की व्याख्या एतदाधीन की गई है :—

राशि (` करोड़ में)

I) क.रा.बी.नि. राज्य सरकारों को देय	4,525.47
II) इन पर क.रा.बी. निगम द्वारा खर्च का प्रत्यक्ष वहन :	
क) व्यावसायिक रोग केन्द्र वाले अस्पताल/आदर्श अस्पताल/अन्य अस्पताल/औषधालय	3,761.83
ख) अति विशिष्टता उपचार	1,543.10
ग) बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	7.00
घ) अस्पताल एवं औषधालय के मूल्यहास का प्रावधान	200.54
ड) मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	314.06
च) नगरपालिका कर	37.00
छ) चिकित्सा शिक्षा	567.91
ज) आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	40.00
झ) क.रा.बी. निगम सुधार 2.0	10.00
ञ) स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	0.56
ट) आयुष्मान भारत	500.00
ठ) औषधालय-सह-शाखा कार्यालय द्व्यंडी.सी.बी.ओ.ऋ	300.00
कुल :	11,807.47



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

9.6 FEES, FINES & FORFEITURES

This Head includes receipts on account of damages levied on the employers due to their failure to pay contribution, both employers' and employees' share, to the Corporation in time.

9.7 MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

Medical education receipts include the fee paid by the students, like tuition fee, hostel fee and any other amount received on account of medical education.

9.8 MISCELLANEOUS RECEIPTS

These include receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and disallowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees etc.

II. EXPENDITURE

10.1 Total expenditure in the Budget Estimates for 2020-2021 in the Revenue account is ` 15,848.59 Crore as against the Revised Estimates of ` 15,394.93 Crore for 2019-2020. The increase in provisions to an extent of ` 453.66 Crore is explained in the following paragraphs.

A. MEDICAL BENEFIT

11.1 A total provision of ` 11,807.47 Crore has been made towards Medical Benefits expenditure. The higher provisions include anticipated additional coverage of 2.89 lakh employees under the implementation programme. The details of the provisions made are explained hereunder:—

(` In Crore)

(I) E.S.I.C. Payable to State Governments		4,525.47
(II) Expenditure to be incurred directly by the E.S.I.C in:		
a)	Hospital with ODCs/ Model Hospital/ Other Hospitals/dispensaries	3,761.83
b)	Super Specialty Treatment	1,543.10
c)	Confinement allowance to Insured Women & Wives of IPs	7.00
d)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	200.54
e)	Repairs & Maintenance (Hospitals & Dispensary)	314.06
f)	Municipal Taxes	37.00
g)	Medical Education	567.91
h)	Modified Employer Utility Dispensary	40.00
i)	Health Passbook & IVRS	10.00
j)	Swachhata Action Plan(SAP)	0.56
k)	Ayushman Bharat	500.00
l)	DCBO	300.00
	TOTAL :	11,807.47



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

11.2 वर्ष 2014–15 से प्रतिकर्मचारी प्रतिवर्ष चिकित्सा देखरेख पर व्यय का निगम के अंश की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है :—

2015–2016 वास्तविक	2016–2017 वास्तविक	2017–2018 वास्तविक	2018–2019 वास्तविक	2019–2020 परिशोधित प्राक्कलन	2020–2021 बजट प्राक्कलन
₹ 3,230.78	₹ 2,806.18*	₹ 2,847.20	₹ 2,790.03	₹ 3,236.70	₹ 3,709.42

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

11.3 यदि राज्य चालित सभी अस्पतालों में वर्ष 2019–2020 के दौरान 70% से अधिक अधिभोग दर्ज होता है तो राज्य सरकार को ₹ 200.00 प्रतिबीमाकृत व्यक्ति की राशि के भुगतान के लिए ₹ 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ख. नकद हितलाभ

12. वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन तथा जिलावार व्याप्ति के कारण 2.89 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020–2021 के दौरान नकद हितलाभों पर ₹ 2,238.56 करोड़ के खर्च का अनुमान है। वर्धित प्रावधान भी संबंधित उद्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किए जाने वाले स्थायी निःशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के पूँजीकृत मूल्य के बीमांकिक निर्धारण के फलस्वरूप हैं।

अन्य हितलाभ

12.1 ₹ 3.88 करोड़ के प्रावधान में विविध मदों पर हुए खर्च यथा—चिकित्सा बोर्डों, अधिकरणों को अदा किए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सवारी खर्च हेतु बीमाकृत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति, उक्त बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी में हुए नुकसान के प्रति भुगतान आदि सम्मिलित हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹ 100/- प्रति हित लाभार्थी यात्रा खर्च का भुगतान भी शामिल है।

13.1 प्रतिव्यक्ति व्यय

प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष नकद हितलाभों की विभिन्न कोटियों की औसत अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है :

(₹ में)

क्र. सं.	हितलाभ	2015–2016 वास्तविक	2016–2017 वास्तविक	2017–2018* वास्तविक	2018–2019 वास्तविक	2019–20 परिशोधित प्राक्कलन	2020–21 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	136.98	123.54	127.47	120.24	149.00	157.08
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	19.31	17.20	17.03	15.08	17.75	21.97
iii)	मातृत्व हितलाभ	47.22	40.69	75.46	117.54	136.96	158.72
iv)	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	48.56	44.28	38.21	31.13	34.58	38.29
v)	स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	0.00	211.11	0.00	48.20	452.07	171.12
vi)	आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	109.60	235.68	0.00	31.97	271.05	141.97



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

- 11.2 The average approximate cost of Corporations' share of expenditure on medical care per capita per annum since 2015-16 is as under:

2015-16 Actuals	2016-17 Actuals	2017-18 Actuals	2018-19 Actuals	2019-20 RE	2020-21 BE
` 3,230.78	` 2,806.18*	` 2,847.20	` 2,790.03	` 3,236.70	` 3,709.42

* Calculated as per weighted average number of employees.

- 11.3 Provision of ` 60 crore has been provided for payment of additional amount of ` 200.00 per IP to the State Government if all the state-run hospitals records more than 70% occupancy during the year 2019-2020.

B. CASH BENEFITS

12. Expenditure on Cash Benefits during 2020-2021 is estimated at ` 2,238.56 Crore keeping in view the Revised Estimates 2019-2020 and the likely additional coverage of 2.89 lakhs employees on account of district wise coverage. The increased provision is also attributable to the actuarial assessment of capitalized value of Permanent Disablement Benefit and Dependent Benefit transferable to the respective earmarked fund.

OTHER BENEFITS

- 12.1 A provision of ` 3.88 Crore covers expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ` 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

13.1 EXPENDITURE PER CAPITA

The average approximate cost of various categories of Cash Benefits per capita per annum works out as below

(In `)							
SI. No	BENEFIT	2015-16 Actuals	2016-17 Actuals	2017-18 * Actuals	2018-19 Actuals	2019-20 RE	2020-21 BE
i)	Sickness Benefit	136.98	123.54	127.47	120.24	149.00	157.08
ii)	Extended sickness Benefit	19.31	17.20	17.03	15.08	17.75	21.97
iii)	Maternity Benefit	47.22	40.69	75.46	117.54	136.96	158.72
iv)	Temporary Disablement Benefit	48.56	44.28	38.21	31.13	34.58	38.29
v)	Permanent Dis. Benefit (Capitalised value)	0.00	211.11	0.00	48.20	452.07	171.12
vi)	Dependants' Benefit (Capitalised value)	109.60	235.68	0.00	31.97	271.05	141.97



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

vii)	अन्त्येष्टि खर्च	8.11	6.60	6.55	5.48	8.24	10.50
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	2.26	1.67	1.76	2.69	2.85	3.46
ix)	अटल बीमित योजना	—लागू नहीं—	—लागू नहीं—	—लागू नहीं—	—लागू नहीं—	0.16	0.16
x)	अन्य हितलाभ	1.33	1.09	1.04	0.80	1.21	1.22
	कुल	373.37	681.86	267.52	373.13	1,073.82	704.47

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या अनुसार परिकलित।

13.4 अंशदान से आय की प्रतिशतता के अनुसार हितलाभों पर खर्च निम्नानुसार है :

हितलाभ	2015–16 वास्तविक	2016–17* वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 वास्तविक	2019–20 परिशोधित प्राक्कलन	2020–21 बजट प्राक्कलन
चिकित्सा हितलाभ	53.36%	60.21%	34.21%	39.14%	57.00%	63.82%
नकद तथा अन्य हितलाभ	6.16%	14.62%	3.20%	5.26%	18.91%	12.12%

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या अनुसार परिकलित।

प्रशासनिक व्यय :

- बजट प्राक्कलन 2020–2021 में प्रशासन पर व्यय के लिए ` 1798.68 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ` 744.78 करोड़ की तुलना में इसमें वेतन एवं भत्तों के निमित्त ` 757.17 करोड़ की व्यवस्था की गई है। परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 के आंकड़ों में ` 12.39 करोड़ की वृद्धि, वेतन–वृद्धि का प्रभाव, महंगाई भत्ते में प्रदर्शित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के कारण है।
- 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अधीन ` 632.11 करोड़ का प्रावधान वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय तथा कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है।
- वर्ष 2020–2021 के लिए कुल राजस्व की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक लागत 7.25% बनती है।

लिंग तथा बाल बजट

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, क.रा.बी.निगम ने एक लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अलावा, क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी.निगम के लिए लिंग बजट वार्षिक योजना 2020–2021 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भी योजना बनाई है, जिसमें लिंग लैंस के माध्यम से क.रा.बी.मा की सभी योजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन, सेक्स–विच्छेदित डेटा के लिए क.रा.बी.मा की सभी योजनाएं शामिल हैं। क.रा.बी.मा योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में परिशोधित प्राक्कलन 2020–2021 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ` 5115.30 करोड़ किया गया है।
- महिलाओं के लिए लिंग बजट प्रावधान का व्योरे मुख्य शीर्षवार निम्न प्रकार है :



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Vii)	Funeral Expenses	8.11	6.60	6.55	5.48	8.24	10.50
viii)	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	2.26	1.67	1.76	2.69	2.85	3.46
ix)	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	--NA--	--NA--	--NA--	--NA--	0.16	0.16
x)	Other Benefits	1.33	1.09	1.04	0.80	1.21	1.22
	Total	373.37	681.86	267.52	373.13	1,073.82	704.47

* Calculated as per weighted average number of employees

13.4 The expenditure on benefits as a percentage of income from contribution is under :

BENEFIT	2015-16 Actuals	2016-17 Actuals	2017-18 * Actuals	2018-19 Actuals	2019-20 RE	2020-21 BE
Medical Benefit	53.36%	60.21%	34.21%	39.14%	57.00%	63.82%
Cash and Other Benefits	6.16%	14.62%	3.20%	5.26%	18.91%	12.12%

* Calculated as per weighted average number of employees

ADMINISTRATIVE EXPENSES:

- 14.1 provision of ` 1,798.68 Crore has been made for expenses on administration in the Budget Estimates 2020-2021. It includes ` 757.17 Crore towards Pay and Allowances against ` 744.78 Crore in the Revised Estimates for 2019-2020. The increase of ` 12.39 Crore over the figures of Revised Estimates 2019-2020 is due to impact of increments, projected increase in dearness allowance, promotion, retirement.
- 14.2 The provision for ` 632.11 Crore under "Other Administrative Expenses" has been made keeping in view the increase in price of goods and cost of services, Recruitment expenses and Repair & Maintenance of Office building.
- 14.3 The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 7.25 % for the year 2020-2021.

GENDER AND CHILD BUDGET

- 15.1 In pursuance of the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC has set up a Gender & Child Budget Cell. Besides this, the ESIC has also planned for various activities under Gender Budget Annual Plan 2020-2021 for ESIC including third party assessment of all schemes of ESI through gender lens, conducting training / workshop / seminar for gender sensitization, collating sex-disaggregated data for all schemes of ESI. Across all budget heads under ESI Scheme. An approximate budget provision for Women has been worked out at ` 5,115.30 Crore in the Budget Estimates 2020-2021 respectively.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र.सं.	योजना/बजट शीर्ष के व्योरे	बजट प्राक्कलन 2019–2020 (` करोड़ में)
	महिलाओं हेतु 100% प्रावधान	
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	505.23
2.	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पल्सियों को प्रसव भत्ता	7.00
	प्रो-वुमेन (लगभग 30% का प्रावधान)	
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	4,307.37
4.	नकद हितलाभ (मातृत्व हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	295.71
	कुल	5115.30

पूंजीगत निर्माण एवं आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान :

- 16.1 निगम की 177वीं बैठक में किए गए निर्णयों के अनुपालन में, जैसा ऊपर व्यवस्था की गई, कोई प्रावधान नहीं किया गया।
- 16.2 आकस्मिकता आरक्षित निधि में वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त निधि में शेष ` 75.00 करोड़ के निर्धारित स्तर पर है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

- 17.1 बजट प्राक्कलन वर्ष 2020–2021 के लिए पूंजीगत लेखा परिव्यय हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बनाई गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :–
- (i) चिकित्सा संस्थाओं के लिए ` 191.00 करोड़
 - (ii) अस्पतालों औषधालयों के लिए ` 1,231.98 करोड़
 - (iii) क्षेत्रीयधृप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ` 22.21 करोड़
- 17.2 वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में, गैर-परियोजना पर खर्च ` 337.83 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर के लिए ` 75 करोड़ और उपकरण (दोनों कार्यालय और चिकित्सा उपकरण) के लिए ` 242.81 करोड़ का मुख्य व्यय शामिल है।

व्यय से आय का आधिक्य

18. वर्ष 2019–2020 के परिशोधित प्राक्कलन में प्रत्याशित ` 7802.38 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में राजस्व लेखे पर खर्च से ` 8940.22 करोड़ की अधिक निवल आय प्रत्याशित है।
19. राजस्व लेखा में आय एवं व्यय के अलावा वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क–आवतियां एवं विवरण ख–व्यय में अन्य लेखा शीर्षों अर्थात् ऋण जमा, आरक्षित निधियां, पेशगियां, प्रेषण एवं नकद शेष आदि के प्राक्कलन भी समाविष्ट हैं। वार्षिक अंशदान एवं संबंधित आरक्षित निधियों में शेष राशियों के निवेश पर जमा ब्याज के द्वारा आरक्षित निधियों से संबंधित प्रवधान प्राप्ति भाग में दर्शाई गई है। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध शेष में जमा या निकासी को वर्ष के दौरान विस्तृत शीर्ष आरक्षित निधि निवेश के सामने व्यय भाग में दर्शाया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Budget Estimates 2020 - 21 (` in Crore)
100% provision towards women		
1.	Maternity Benefit Scheme	505.23
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	7.00
Pro-women (at least 30% of provision)		
3.	Medical Benefit Scheme	4,307.37
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	295.71
	Total	5115.30

Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds

- 16.1 No provision has been made in pursuance of decision taken in the 177th meeting of the Corporation as explained above.
- 16.2 No provision has been made in the Budget Estimates for 2020-2021 in respect of Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund continues to remain at the prescribed level of ` 75 Crore.

EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

- 17.1 The projections made towards Capital Account Outlay for BE 2020-2021 under various heads are as follows:
- (i) For Medical Institutions ` 191.00 Crore
 - (ii) For Hospitals/Dispensaries ` 1,231.98 Crore
 - (iii) For ROs/SROs ` 22.21 Crore
- 17.2 In the Budget Estimates for 2020-2021, the expenditure on Non-Project capital expenditure has been estimated at ` 337.83 Crore which includes major expenditure of ` 75 Crore for Computers and ` 242.81 Crore for Equipment (both Office & Medical equipment).

EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

18. A net excess of ` 8,940.22 Crore of income over expenditure on revenue account has been anticipated in the Budget Estimates for 2020-2021, as compared to that of ` 7,802.38 crore in Revised Estimates for 2019 – 20.
19. Apart from the receipt and expenditure on revenue account, the financial statement, viz. Statement A-Receipts and Statement B-Expenditure also contain the estimates in respect of other heads of account, viz. Debt Deposits, Reserve Funds, Advances, Remittances and Cash balance etc. The provision in respect of reserve funds by way of annual contribution and credit of interest on investment of the balances in the concerned reserve funds are indicated on the receipt side. Addition to or withdrawals from the balance already available in reserve funds have been shown on the expenditure side against the detailed head of Reserve Funds Investment during the year.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

अंत रोकड़ शेष

- 20 31 मार्च, 2020 एवं 2021 को बैंकों में अंत रोकड़ शेष तथा हाथ रोकड़ शेष ` 20.00 करोड़ प्रत्याशित है। दिनांक 31.03.2020 एवं 31.03.2021 को ` 20.00 करोड़ की राशि खाता संख्या 1 (संग्रह खातों) में रहेगी तथापि, जहां तक संभव हो, हाथ/बैंक में नकद को न्यूनतम स्तर तक प्रतिबंधित किया जाएगा।
21. परिशिष्ट-II के विवरण दर्शाते हैं :
- क. अंशदानों से प्रतिव्यक्ति आयय
 - ख. राजस्व लेखा पर प्रतिव्यक्ति व्यय तथा
 - ग. अंशदान आय का अंतर।

(३५८१)

संध्या शुक्ला
वित्त आयुक्त



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

CLOSING CASH BALANCE

20. The closing cash balance with banks and cash in hand is anticipated at ` 20 Crore on 31st March, 2020 and 2021. Amount of ` 20 Crore as on 31.3.2020 and 31.03.2021 may remain in Account No.1 (Collection Accounts). However, the cash in hand/bank will be restricted to the bare minimum as far as feasible.
21. The Statement in Appendix-II shows:
 - a. Per capita income from contributions;
 - b. Per capita expenditure on revenue account and
 - c. Margin in contribution income.

SANDHYA SHUKLA
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

वर्ष 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन

विवरण—क प्राप्ति

	लेखा शीष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
	राजस्व के मुख्य शीष				
I.	अंशदान	22,27,913.27	18,33,390.00	17,91,000.00	18,50,000.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर निगम द्वारा आरम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार का अंश	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	राजस्व के अन्य शीष				
iii.	ब्याज़	4,62,997.48	4,95,203.00	5,15,731.05	6,15,081.30
iv.	किराया, पौरकर तथा कर				
	(i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	214.05	300.00	300.00	300.00
	(ii) अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	4933.38	10,965.00	0.00	0.00
V.	छुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां	4,878.00	4,800.00	4,900.00	5,000.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	2,317.09	2,300.00	4,000.00	4,500.00
vii.	विविध	28,010.73	2,000.00	3,800.00	4,000.00
	कुल—राजस्व	27,31,264.00	23,57,958.00	23,19,731.05	24,78,881.30
	ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, ऐशगियां तथा धन प्रेषण				
	साधारण ऋण, राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा लौटाया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनिधिक ऋण क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि				
I.	कर्मचारियों का अभिदान	17,448.67	19,337.00	17,400.00	19,000.00
ii.	कर्मचारियों के अभिदान पर ब्याज़	7,400.00	8,318.00	8,579.48	9,437.43
iii.	कुल अनिधिक ऋण	24,848.67	27,655.00	25,979.48	28,437.43



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2019-2020 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2020-2021 STATEMENT-A RECEIPT

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
	Principal Heads of Revenue				
I.	CONTRIBUTION	22,27,913.27	18,33,390.00	17,91,000.00	18,50,000.00
ii.	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Other Heads of Revenue					
iii.	Interest	4,62,997.48	4,95,203.00	5,15,731.05	6,15,081.30
iv.	Rent, Rates & Taxes				
	I. Office of the Corporation (including staff quarters)	214.05	300.00	300.00	300.00
	II. Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	4933.38	10,965.00	0.00	0.00
v.	Fees, Fines & Forfeiture	4,878.00	4,800.00	4,900.00	5,000.00
vi.	Medical Education Receipts	2,317.09	2,300.00	4,000.00	4,500.00
vii.	Miscellaneous	28,010.73	2,000.00	3,800.00	4,000.00
	TOTAL REVENUE	27,31,264.00	23,57,958.00	23,19,731.05	24,78,881.30
Debts, Reserve Funds, Deposits, Advances and Remittances					
	Ordinary debt, loans refunded by the State Govt.(Maharashtra)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ORDINARY DEBT	0.00	0.00	0.00	0.00
Unfunded Debts ESIC General Provident Fund					
I.	Employees' subscription	17,448.67	19,337.00	17,400.00	19,000.00
ii.	Interest on employees' subscription	7,400.00	8,318.00	8,579.48	9,437.43
iii.	Total unfunded debts	24,848.67	27,655.00	25,979.48	28,437.43



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
	आरक्षित निधि :				
क.	स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालय भवनों का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	1,793.56	2,207.66	1,001.44	1,001.44
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	187.39	180.00	186.23	224.74
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं–वर्ष के दौरान पेशगियाँ	-1,662.00	-9,761.00	-9,089.00	-9,984.00
ख.	अस्पताल तथा औषधालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	8,194.72	21,432.73	6,745.31	11,404.93
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	8,106.80	7,799.00	7,794.31	9,406.02
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं–वर्ष के दौरान पेशगियाँ	-5,973.00	-29,480.00	-31,183.00	-41,600.00
ग.	अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा (संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन)				
i	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	28,086.75	2,207.66	28,494.00	28,494.00
ii	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	5,857.16	5,635.00	7,630.58	9,208.44
iii	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं–वर्ष के दौरान अग्रिम	0.00	0.00	-47,998.00	-33,783.00
घ.	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
i.	वार्षिक प्रावधान	15,134.92	4,6840.00	39,174.00	45,861.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	47,669.74	45,861.00	44,182.29	52,693.55
iv.	घटाएं–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-23,921.60	-44,500.00	-48,157.00	-38,329.00
ड.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
i.	वार्षिक प्रावधान	17,107.55	33,610.00	85,500.00	45,182.24



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
	Reserve Funds:				
A	Depreciation Reserve Fund Account of building for the offices of Corporation including staff quarters.				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	1,793.56	2,207.66	1,001.44	1,001.44
ii.	Interest realised on investment	187.39	180.00	186.23	224.74
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	-1,662.00	-9,761.00	-9,089.00	-9,984.00
B	Depreciation Reserve Fund Account of Hospital and Dispensary Building (including staff quarters).				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	8,194.72	21,432.73	6,745.31	11,404.93
ii.	Interest realised on investment	8,106.80	7,799.00	7,794.31	9,406.02
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct-Advances during the year	-5,973.00	-29,480.00	-31,183.00	-41,600.00
C	Depreciation Reserve Fund Account of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	28,086.75	2,207.66	28,494.00	28,494.00
ii.	Interest realised on investment	5,857.16	5,635.00	7,630.58	9,208.44
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	0.00	0.00	-47,998.00	-33,783.00
D	Permanent (Partial & total) Disablement Benefit Reserve Fund Account				
i.	Annual Provisions	15,134.92	4,6840.00	39,174.00	45,861.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	47,669.74	45,861.00	44,182.29	52,693.55
iv.	Deduct-actual payments during the year	-23,921.60	-44,500.00	-48,157.00	-38329.00
E	Dependents Benefit Reserve Fund Account				
i	Annual Provisions	17,107.55	33,610.00	85,500.00	45,182.24



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
		(` लाख में)			
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	450.10	29,283.00	27,912.05	33,289.02
iv.	घटाएँ–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-19,617.10	-32,000.00	-38576.00	-32073.00
च.	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	-22,431.61	38,634.00	27,580.55	31,727.09
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	654.37	0.00	600.00	600.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	76,607.14	433.00	1,715.17	2,045.58
iv.	घटाएँ–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-2.48	0.00	0.00	0.00
छ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि–पेंशन				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	-22,431.61	52,563.00	19,680.08	22041.69
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	654.37	600.00	700.00	750.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	76,607.14	73,700.00	67,108.10	80,035.78
iv.	घटाएँ–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-43,915.20	-63,700.00	-51,800.00	-61,100.00
ज.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि–उपदान				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	6,269.12	9,638.00	3608.73	4042.78
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	5,673.44	5,458.00	5,224.05	6,230.40
iii.	घटाएँ–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-7,769.26	-12,300.00	-9,100.00	-10,600.00
झ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि–छुट्टी नकदीकरण				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	8,790.20	4,842.00	1812.83	2030.37
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	4,007.80	3,850.00	4,131.00	4,926.79
iii.	घटाएँ–वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-4,015.46	-6,100.00	-4,700.00	-5,500.00
ऋ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	1,609.33	600.00	224.63	251.59
ii.	पेंशनभोगी से प्राप्त अंशदान	461.59	600.00	600.00	600.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,090.00	1,049.00	1,097.81	1,309.29

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	450.10	29,283.00	27,912.05	33,289.02
iv.	Deduct-actual payments during the year	-19,617.10	-32,000.00	-38576.00	-32073.00
F	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	-22,431.61	38,634.00	27,580.55	31,727.09
ii.	Other receipts	654.37	0.00	600.00	600.00
iii.	Interest realised on investment	76,607.14	433.00	1,715.17	2,045.58
iv.	Deduct actual payments during the year	-2.48	0.00	0.00	0.00
G	Employees Benefit Reserve Fund – Pension				
I.	Annual Provision for the year	-22,431.61	52,563.00	19,680.08	22041.69
ii.	Other receipts	654.37	600.00	700.00	750.00
iii.	Interest realised on investment	76,607.14	73,700.00	67,108.10	80,035.78
iv.	Deduct actual payments during the year	-43,915.20	-63,700.00	-51,800.00	-61,100.00
H	Employees Benefit Reserve Fund - Gratuity				
I.	Annual Provisions for the year	6,269.12	9,638.00	3608.73	4042.78
ii.	Interest realised on investment	5,673.44	5,458.00	5,224.05	6,230.40
iii.	Deduct actual payments during the year	-7,769.26	-12,300.00	-9,100.00	-10,600.00
I	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment				
i.	Annual Provision for the year	8,790.20	4,842.00	1812.83	2030.37
ii.	Interest realised on investment	4,007.80	3,850.00	4,131.00	4,926.79
iii.	Deduct actual payments during the year	-4,015.46	-6,100.00	-4,700.00	-5,500.00
J	Employees Benefit Reserve Fund - Pensioner's Medical Scheme				
i.	Annual Provision for the year	1,609.33	600.00	224.63	251.59
ii.	Contribution received from pensioners	461.59	600.00	600.00	600.00
iii.	Interest realised on investment	1,090.00	1,049.00	1,097.81	1,309.29



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-1,116.20	-1,300.00	-1,600.00	-2,300.00
ट.	पूंजीगत निर्माण निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक राशि	22,279.13	18,333.90	0.00	0.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	घटाएँ—वर्ष के दौरान भवनों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसियों को दी गई पेशगियां				
i.	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	-880.29	-994.00	-2,660.00	-2,221.00
ii.	अस्पताल एवं औषधालय	-72,104.03	-12,8745.00	-75,302.00	-1,23,198.00
iii.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ	-22,867.91	-34,551.00	-30,697.00	-19,100.00
ट.	आकस्मिकता आरक्षित निधि लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधियां	88,584.87	41,925.95	1,43,915.85	30,605.95
	जमा				
i.	प्रतिभूति जमा	394.14	1,150.00	900.00	1,000.00
ii.	अन्य जमा	7,973.39	5,000.00	2500.00	2,800.00
iii.	कुल जमा	8,367.53	6,150.00	3,400.00	3,800.00
	पेशगियां				
i.	स्थायी पेशगियां	1.83	10.00	10.00	10.00
ii.	निगम के कर्मचारियों को पेशगी				
क.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	4.21	5.00	0.00	0.00
ख.	स्थानांतरण पर परिवहन भत्ता अग्रिम	16.18	30.00	100.00	100.00
ग.	दौरे पर परिवहन भत्ता अग्रिम	134.29	150.00	180.00	200.00
घ.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	872.18	1,100.00	1,500.00	1,700.00
ड.	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	29.63	70.00	25.00	25.00
च.	अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.14	1.00	1.00	1.00
छ.	गृह निर्माण अग्रिम	8.00	200.00	3,000.00	3,500.00
ज.	कम्प्यूटर अग्रिम	144.21	400.00	1,000.00	1,100.00
झ.	विविध अग्रिम (त्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम, चिकित्सा एवं पंखा अग्रिम)	191.99	650.00	500.00	500.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
iv.	Deduct actual payments during the year	-1,116.20	-1,300.00	-1,600.00	-2,300.00
K	Capital construction fund account				
i.	Annual amount transferred to the fund	22,279.13	18,333.90	0.00	0.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Deduct advances to Construction Agencies during the year for buildings for				
i.	Offices of the corporation (with staff quarters)	-880.29	-994.00	-2,660.00	-2,221.00
ii.	Hospitals & Dispensaries	-72,104.03	-12,8745.00	-75,302.00	-1,23,198.00
iii.	Medical Education Projects	-22,867.91	-34,551.00	-30,697.00	-19,100.00
L	Contingency Reserve Fund Account	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	88,584.87	41,925.95	1,43,915.85	30,605.95
	Deposits				
i.	Deposit of securities	394.14	1,150.00	900.00	1,000.00
ii.	Other Deposits	7,973.39	5,000.00	2500.00	2,800.00
iii.	Total Deposits	8,367.53	6,150.00	3,400.00	3,800.00
	Advances				
i.	Permanent advances	1.83	10.00	10.00	10.00
ii.	Advance to employees of the Corporation:				
a.	Advance of pay on transfer	4.21	5.00	0.00	0.00
b.	Advance of TA on transfer	16.18	30.00	100.00	100.00
c.	Advance of TA on Tour	134.29	150.00	180.00	200.00
d.	Advance for LTC	872.18	1,100.00	1,500.00	1,700.00
e.	Advance purchase of motor conveyance	29.63	70.00	25.00	25.00
f.	Advance of purchase of other conveyance	0.14	1.00	1.00	1.00
g.	House Building Advance	8.00	200.00	3,000.00	3,500.00
h.	Computer advances	144.21	400.00	1,000.00	1,100.00
i.	Miscellaneous advances (festival advance, flood advance, medical & fan advance)	191.99	650.00	500.00	500.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
iii.	अन्य पेशागियां				
क.	राज्य सरकार/ निर्माण/ कर्मचारी बीमा न्यायालय को अदा की गई पेशागियां	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ख.	विविध	4,430.87	2,600.00	3,000.00	3,000.00
ग.	विशेष अग्रिम	-225.75	60.00	30.00	30.00
	कुल अग्रिम (i+ii+iii)	5,607.78	7,276.00	11,346.00	12,166.00
	धन प्रेषण				
i.	नकदी प्रेषण (क)	14,29,204.99	15,00,000.00	16,00,000.00	16,00,000.00
ii.	अन्य धन प्रेषण (ख)	22,79,905.78	24,50,000.00	23,00,000.00	23,00,000.00
	कुल धन प्रेषण	37,09,110.77	39,50,000.00	39,00,000.00	39,00,000.00
	कुल ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम एवं धन प्रेषण आदि	38,36,519.62	40,33,006.95	40,84,641.33	39,75,009.38
	कुल प्राप्तियां	65,67,783.62	63,90,964.95	64,04,372.78	64,53,890.68
	आदि रोकड़ शेष	6,345.22	2,000.00	1,658.52	2,000.00
	प्राप्तियों का कुल योग	65,74,128.84	63,92,964.95	64,06,030.90	64,55,890.68
(क)	"नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	"अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				

(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
iii.	Other Advances:				
a.	Advances paid to State Govt./ construction/ E.I. Court	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
b.	Miscellaneous	4,430.87	2,600.00	3,000.00	3,000.00
c.	Special Advance	-225.75	60.00	30.00	30.00
	Total Advance(I+II+III)	5,607.78	7,276.00	11,346.00	12,166.00
	Remittances				
i.	Cash Remittances(a)	14,29,204.99	15,00,000.00	16,00,000.00	16,00,000.00
ii.	Other Remittances(b)	22,79,905.78	24,50,000.00	23,00,000.00	23,00,000.00
	TOTAL REMITTANCES:	37,09,110.77	39,50,000.00	39,00,000.00	39,00,000.00
	Total debts, reserve Funds, deposits, advances and remittances etc.	38,36,519.62	40,33,006.95	40,84,641.33	39,75,009.38
	TOTAL RECEIPTS:	65,67,783.62	63,90,964.95	64,04,372.78	64,53,890.68
	Opening Cash balance	6,345.22	2,000.00	1,658.52	2,000.00
	GRAND TOTAL RECEIPTS :	65,74,128.84	63,92,964.95	64,06,030.90	64,55,890.68
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

SANDHYA SHUKLA
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

**वर्ष 2019–2020 के लिए परिशोधित प्राक्कलन
वर्ष 2020–2021 के लिए बजट प्राक्कलन
विवरण–ख प्राप्ति**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
राजस्व लेखे पर व्यय					
1	बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को हितलाभ :				
क.	चिकित्सा हितलाभ				
I.	i) चिकित्सा देखरेख उपचार तथा मातृत्व सुविधाओं पर खर्च में निगम के अंश के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान (वर्धित उच्चतम सीमा और अंतिम निपटान हेतु अतिरिक्त प्रावधान)	3,64,631.02	4,53,330.00	4,16,217.00	4,52,547.00
	ii) वर्धित उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	निम्न पर निगम द्वारा सीधे किया गया व्यय:				
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्र/आदर्श अस्पताल सहित अस्पताल	2,84,481.73	3,39,897.00	3,52,488.00	3,76,183.00
ख)	अति विशिष्टता उपचार	1,28,882.79	1,48,350.00	1,48,415.00	1,54,310.00
ग)	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	0.00	0.00	500.00	50,000.00
घ)	औषधालय–सह–शाखा कार्यालय पर व्यय	0.00	1500.00	3,000.00	30,000.00
ड)	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता	523.53	720.00	700.00	700.00
च)	अस्पताल एवं औषधालय का मूल्यांकन प्रावधान	16,742.22	13,773.24	15,394.00	20,054.00
छ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	16,800.00	28,199.00	27,618.00	31,406.00
ज)	अस्पताल एवं औषधालय का किराया, भाड़ा तथा कर	3,576.71	4,500.00	3,700.00	3,700.00
झ)	स्वास्थ्य बीमा	0.00	100.00	0.00	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2019-2020 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2020-2021 STATEMENT-B EXPENDITURE

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
Expenditure on Revenue Account					
1	Benefits to insured persons and their families:				
A	Medical Benefits:				
I.	i) Payment to State Govts. as Corporation's share of expenditure on medical care treatment & maternity facilities.(Additional provision for enhanced ceiling & final settlement)*	3,64,631.02	4,53,330.00	4,16,217.00	4,52,547.00
	ii) Additional Provision for enhanced ceiling	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Expenditure directly incurred by the Corporation on:				
a)	Hospital with occupational diseases centre/ Model Hospitals*	2,84,481.73	3,39,897.00	3,52,488.00	3,76,183.00
b)	Super Speciality Treatment	1,28,882.79	1,48,350.00	1,48,415.00	1,54,310.00
c)	Expenditure under Ayushman Bharat	0.00	0.00	500.00	50,000.00
d)	Expenditure on DCBO*	0.00	1500.00	3,000.00	30,000.00
e)	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	523.53	720.00	700.00	700.00
f)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	16,742.22	13,773.24	15,394.00	20,054.00
g)	Repairs & Maintenance (Hospital & Dispensary)	16,800.00	28,199.00	27,618.00	31,406.00
h)	Rent, Hired and Taxes for Hospital & Disp.	3,576.71	4,500.00	3,700.00	3,700.00
i)	Health Insurance*	0.00	100.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
अ)	स्वास्थ्य पासबुक और आईवीआरएस	150.10	500.00	650.00	1000.00
ट)	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषध गालय (एमईयूडी)/बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00
ठ)	आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)	0.00	0.00	100.00	1,000.00
ड)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) पर व्यय	0.00	56.00	56.00	56.00
III.	चिकित्सा शिक्षा	56,499.11	66,904.00	50,117.00	56,791.00
	जोड़—क—चिकित्सा हितलाभ :	8,72,137.97	10,57,329.24	10,20,955.00	11,80,747.00

*इस बजट शीर्ष को पुनः एकत्रित किया गया है

ख.	नकद हितलाभ				
i.	बीमारी हितलाभ	37,944.83	55,700.00	47,000.00	50,000.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ	4,734.42	4,870.00	5,598.00	6,994.00
iii.	मातृत्व हितलाभ	36,908.02	45,000.00	43,182.00	50,523.00
iv.	निःशक्तता हितलाभ:				
	क. अस्थायी निःशक्तता	9,775.89	14,000.00	10,909.00	12,187.00
	ख. स्थायी निःशक्तता	15,134.92	32,689.00	1,42,600.00	54,470.00
v.	आश्रितजन हितलाभ	10,039.79	22,100.00	85,500.00	45,190.00
vi.	अंत्येष्टि खर्च	1,719.25	2,500.00	2,600.00	3,342.00
vii.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	842.65	600.00	900.00	1,100.00
viii.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	0.00	500.00	50.00	50.00
	योग—ख—नकद हितलाभ	1,17,099.77	1,77,959.00	3,38,339.00	2,23,856.00
ग.	अन्य हितलाभ :				
i.	चिकित्सा बोर्ड व अपील अधिकरण	64.68	85.00	85.00	85.00
ii.	सवारी प्रभार के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	155.60	220.00	220.00	220.00
iii.	मजदूरी की हानि के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	10.94	25.00	25.00	30.00
iv.	विविध	16.07	50.00	50.00	50.00
v.	बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता	0.00	3.00	2.00	3.00
	योग—ग—अन्य हितलाभ	247.29	383.00	382.00	388.00
	योग शीर्ष—1 हितलाभ	9,89,485.03	12,35,671.24	13,59,676.00	14,04,991.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
j)	Health Passbook & IVRS*	150.10	500.00	650.00	1000.00
k)	Modified Employer Utility Dispensary(MEUD)/Insured Medical Practitioner (IMP)	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00
l)	Medified Insured Medical Practitioner (IMP)	0.00	0.00	100.00	1,000.00
ii)	Expenditure on Swachhata Action Plan (SAP)	0.00	56.00	56.00	56.00
III.	Medical Education	56,499.11	66,904.00	50,117.00	56,791.00
Total -A - Medical Benefit :		8,72,137.97	10,57,329.24	10,20,955.00	11,80,747.00

*This Budget Head has been regrouped

B.	Cash Benefits:				
i.	Sickness Benefit	37,944.83	55,700.00	47,000.00	50,000.00
ii.	Extended Sickness Benefit	4,734.42	4,870.00	5,598.00	6,994.00
iii.	Maternity Benefit	36,908.02	45,000.00	43,182.00	50,523.00
iv.	Disablement Benefits:				
a.	Temporary Disablement	9,775.89	14,000.00	10,909.00	12,187.00
	b. Permanent Disablement**	15,134.92	32,689.00	1,42,600.00	54,470.00
v.	Dependants' Benefit**	10,039.79	22,100.00	85,500.00	45,190.00
vi	Funeral Expenses	1,719.25	2,500.00	2,600.00	3,342.00
vii.	Rajiv Gandhi ShramikKalyan Yojna	842.65	600.00	900.00	1,100.00
viii.	Atal BimitVyakti Kalyan Yojna	0.00	500.00	50.00	50.00
Total - B - Cash Benefits		1,17,099.77	1,77,959.00	3,38,339.00	2,23,856.00
C.	Other Benefits:				
i.	Medical Boards & Appeal Tribunals	64.68	85.00	85.00	85.00
ii	Payment to insured person on account of conveyance charges	155.60	220.00	220.00	220.00
iii.	Payment to insured person on account of loss of wages	10.94	25.00	25.00	30.00
iv.	Miscellaneous	16.07	50.00	50.00	50.00
v.	Rehabilitation allowance to IPs.	0.00	3.00	2.00	3.00
Total - C - Other Benefits		247.29	383.00	382.00	388.00
Total Head-1 Benefits		9,89,485.03	12,35,671.24	13,59,676.00	14,04,991.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
2	प्रशासनिक व्यय				
क.	अधीक्षण :				
	अधिकारी :				
i.	वेतन	6,717.92	9,000.00	7,200.00	7,600.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	2,934.53	4,000.00	4,000.00	4,500.00
iii.	बोनस	0.00	4.00	0.00	0.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	147.12	140.00	150.00	175.00
	कुल अधिकारी	9,799.57	13,144.00	11,350.00	12,275.00
	लिपिकवर्गीय स्थापनाएँ				
i.	वेतन	25,059.60	30,000.00	28,000.00	30,000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	10,034.20	15,000.00	14,500.00	16,000.00
iii.	बोनस	928.08	950.00	1,000.00	1,100.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	190.16	3,000.00	420.00	500.00
	कुल लिपिकवर्गीय स्थापनाएँ:	36,212.04	46,250.00	43,920.00	47,600.00
	समूह 'घ' कर्मचारी				
i.	वेतन	85.15	140.00	95.00	115.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	32.32	70.00	51.00	51.00
iii.	बोनस	5.35	6.00	7.00	7.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	5.00	3.00	3.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी	122.82	221.00	156.00	176.00
	कुल 'क' अधीक्षण (i)	46,134.43	59,615.00	55,426.00	60,051.00
	ख—क्षेत्र कार्य				
	अधिकारी				
i.	वेतन	287.16	500.00	400.00	360.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	139.91	280.00	240.00	210.00
iii.	बोनस	0.00	7.00	5.00	3.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	0.06	2.00	2.00	2.00
	कुल—अधिकारी	427.13	789.00	647.00	575.00
	लिपिकवर्गीय स्थापना				
i.	वेतन	11,228.42	14,000.00	12,350.00	9,300.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	4,066.86	5,500.00	5,700.00	5,400.00
iii.	बोनस	362.37	400.00	230.00	240.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	7.81	7.00	50.00	60.00
	कुल—लिपिकवर्गीय स्थापना	15,665.46	19,907.00	18,330.00	15,000.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
2.	Administrative Expenses				
A.	Superintendence:				
	Officers:				
i.	Pay	6,717.92	9,000.00	7,200.00	7,600.00
ii.	Allowances & Honoraria	2,934.53	4,000.00	4,000.00	4,500.00
iii.	Bonus	0.00	4.00	0.00	0.00
iv	Contractual employees	147.12	140.00	150.00	175.00
	Total Officers	9,799.57	13,144.00	11,350.00	12,275.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	25,059.60	30,000.00	28,000.00	30,000.00
ii.	Allowances & Honoraria	10,034.20	15,000.00	14,500.00	16,000.00
iii.	Bonus	928.08	950.00	1,000.00	1,100.00
iv	Contractual employees	190.16	3,000.00	420.00	500.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT:	36,212.04	46,250.00	43,920.00	47,600.00
	GROUP D STAFF				
i.	Pay	85.15	140.00	95.00	115.00
ii.	Allowances & Honoraria	32.32	70.00	51.00	51.00
iii.	Bonus	5.35	6.00	7.00	7.00
iv	Contractual employees	0.00	5.00	3.00	3.00
	Total Group-D staff	122.82	221.00	156.00	176.00
	Total A supdt.(i)	46,134.43	59,615.00	55,426.00	60,051.00
	B-Field work				
	Officers				
i.	Pay	287.16	500.00	400.00	360.00
ii.	Allowances & Honoraria	139.91	280.00	240.00	210.00
iii.	Bonus	0.00	7.00	5.00	3.00
iv	Contractual employees	0.06	2.00	2.00	2.00
	Total-Officers	427.13	789.00	647.00	575.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	11,228.42	14,000.00	12,350.00	9,300.00
ii.	Allowances & Honorarium	4,066.86	5,500.00	5,700.00	5,400.00
iii.	Bonus	362.37	400.00	230.00	240.00
iv	Contractual employees	7.81	7.00	50.00	60.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT	15,665.46	19,907.00	18,330.00	15,000.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
	समूह 'घ' कर्मचारी :				
i.	वेतन	26.26	80.00	40.00	54.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	12.62	30.00	20.00	24.00
iii.	बोनस	2.52	4.00	4.00	3.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	1.57	4.00	11.00	10.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी :	42.97	118.00	75.00	91.00
	कुल-ख-क्षेत्र कार्य (ii)	16,135.56	20,814.00	19,052.00	15,666.00
घ)	क-अधीक्षण और ख-क्षेत्र कार्य अधिकारियों/स्टाफ के लिए साझा व्यय				
क.	स्टाफ कल्याण व्यय	232.84	1,000.00	1,300.00	1,300.00
ख.	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	34.19	100.00	100.00	100.00
ग.	अनुकम्पा अनुदान	0.44	15.00	5.00	5.00
घ.	भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	20.21	20.20	25.00	25.00
ड.	कर्मचारी हितलाभों पर व्यय				
i)	पेंशन	0.00	19,680.08	19,680.00	22,050.00
ii)	उपदान	2,098.04	3,608.73	3,610.00	4,050.00
iii)	छुट्टी नकदीकरण	2,942.47	1,812.83	1,820.00	2,030.00
iv)	पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	1,609.32	224.63	225.00	255.00
v)	नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का भाग	2,389.60	2,500.00	9,000.00	11,000.00
च.	समूह बचत संबद्ध बीमा योजना में क.रा.बी. निगम का भाग	9.95	100.00	125.00	125.00
	कुल (iii)	9,337.06	29,061.47	35,890.00	40,940.00
	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)	71,607.05	1,09,490.47	1,10,368.00	1,16,657.00
ग)	अन्य प्रशासनिक व्यय				
1.	विद्युत एवं शक्ति	1,974.92	2,800.00	2,800.00	3,200.00
2.	जल प्रभार	180.31	290.00	250.00	300.00
3.	बीमा	53.82	230.00	230.00	240.00
4.	किराया, पौरकर एवं कर	3,702.47	8,500.00	8,500.00	9,600.00
5.	वाहन, चालन एवं अनुरक्षण (भाड़ा प्रभार सहित)	415.56	700.00	500.00	550.00
6.	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	551.66	800.00	750.00	800.00
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	506.36	800.00	800.00	850.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
Group - D - Staff :					
i.	Pay	26.26	80.00	40.00	54.00
ii.	Allowances & Honorarium	12.62	30.00	20.00	24.00
iii.	Bonus	2.52	4.00	4.00	3.00
iv	Contractual employees	1.57	4.00	11.00	10.00
	TOTAL GROUP-D-STAFF:	42.97	118.00	75.00	91.00
	Total-B-Field work (ii)	16,135.56	20,814.00	19,052.00	15,666.00
c)	Common Expenses for A-Supdt. & B-Field Work Officers/Staffs				
a.	Staff Welfare Expenses	232.84	1,000.00	1,300.00	1,300.00
b.	Leave Salary & Pension Contribution	34.19	100.00	100.00	100.00
c.	Compassionate Grants	0.44	15.00	5.00	5.00
d.	PF Deposit Linked Insurance Scheme	20.21	20.20	25.00	25.00
e.	Exp. on Employee Benefits				
i.	Pension	0.00	19,680.08	19,680.00	22,050.00
ii.	Gratuity	2,098.04	3,608.73	3,610.00	4,050.00
iii.	Leave Encashment	2,942.47	1,812.83	1,820.00	2,030.00
iv.	Pensioners' Medical Scheme	1,609.32	224.63	225.00	255.00
v.	ESIC Share of New Pension Scheme	2,389.60	2,500.00	9,000.00	11,000.00
f.	ESIC Share of GSLIS	9.95	100.00	125.00	125.00
	Total (iii)	9,337.06	29,061.47	35,890.00	40,940.00
	TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES (i+ii+iii)	71,607.05	1,09,490.47	1,10,368.00	1,16,657.00
d)	Other Admin. Expenses				
1	Electricity and Power	1,974.92	2,800.00	2,800.00	3,200.00
2	Water Charges	180.31	290.00	250.00	300.00
3	Insurance	53.82	230.00	230.00	240.00
4	Rent, Rates and Taxes	3,702.47	8,500.00	8,500.00	9,600.00
5	Vehicles, Running and Maintenance (including Hire Charges)	415.56	700.00	500.00	550.00
6	Postage, Telephone and Communication Charge	551.66	800.00	750.00	800.00
7	Printing and Stationary	506.36	800.00	800.00	850.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
		(` लाख में)			
8.	यात्रा एवं वाहन व्यय				
	क) निगम/ स्थायी समिति/ क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति	52.85	350.00	100.00	150.00
	ख) अन्य (क.रा.बी. निगम कर्मचारी)	976.99	850.00	1,350.00	1,400.00
9.	संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	169.03	330.00	200.00	350.00
10.	सदस्यता व्यय—पत्र/पत्रिकाएँ	21.65	110.00	50.00	60.00
11.	लेखापरीक्षा शुल्क	36.42	550.00	250.00	500.00
12.	क) विधिक प्रभार	421.64	530.00	550.00	600.00
	ख) अन्य (क.रा.बी. निगम कर्मचारी)	0.00	0.00	13,800.00	0.00
13.	बीमा न्यायालय	31.46	100.00	50.00	75.00
14.	अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	78.56	90.00	90.00	95.00
15.	गृह प्रबंधन व्यय	1,859.00	2,600.00	2,600.00	3,400.00
16.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	0.00	153.00	160.00	240.00
17.	बैंक खाते अनुरक्षण तथा अन्य बैंक शुल्कों हेतु व्यय	1,291.53	900.00	1,100.00	1,200.00
18.	हानियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मरम्मत एवं रख—रखाव—कम्प्यूटर एवं अन्य	12,300.28	5,630.00	13,000.00	12,500.00
20.	भर्ती व्यय	3,235.90	5,000.00	3,200.00	3,500.00
21.	राजस्व वसूली कक्ष	63.42	180.00	100.00	150.00
22.	विज्ञापन एवं प्रचार	1,290.77	3,000.00	2,800.00	3,000.00
23.	पहरा व निगरानी	4,047.63	4,900.00	4,900.00	5,900.00
24.	प्रशिक्षण	80.05	350.00	600.00	650.00
25.	विविध*	1695.85	2,450.00	2,000.00	3,000.00
26.	कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं रख—रखाव	3,539.58	6,370.00	4,746.00	6,873.00
27.	परामर्श सेवाएं	41.77	70.00	80.00	85.00
28.	निवेश प्रबंधन प्रभार	18.30	31.00	150.00	200.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
8	Travelling and Conveyance Expenses				
	a) Corporation / Standing Committee / Regional Board / Local Committee	52.85	350.00	100.00	150.00
	b) Others (ESIC Employees)	976.99	850.00	1,350.00	1,400.00
9	Expenses on Seminar / Workshops	169.03	330.00	200.00	350.00
10	Subscription Expenses - periodicals	21.65	110.00	50.00	60.00
11	Audit Fees	36.42	550.00	250.00	500.00
12	a) Legal Charges	421.64	530.00	550.00	600.00
	c) Expenses on payment of award under legal dispute	0.00	0.00	13,800.00	0.00
13	Insurance Courts	31.46	100.00	50.00	75.00
14	Contribution to ISSA & other International Organisations	78.56	90.00	90.00	95.00
15	House Keeping Expenses	1,859.00	2,600.00	2,600.00	3,400.00
16	Swachhata Action Plan (SAP)	0.00	153.00	160.00	240.00
17	Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	1,291.53	900.00	1,100.00	1,200.00
18	Losses	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Repair and Maintenance - Computers & Others	12,300.28	5,630.00	13,000.00	12,500.00
20	Recruitment Expenses	3,235.90	5,000.00	3,200.00	3,500.00
21	Revenue Recovery Cell	63.42	180.00	100.00	150.00
22	Advertisement and Publicity	1,290.77	3,000.00	2,800.00	3,000.00
23	Watch & Ward	4,047.63	4,900.00	4,900.00	5,900.00
24	Training	80.05	350.00	600.00	650.00
25	Miscellaneous*	1695.85	2,450.00	2,000.00	3,000.00
26	Repair and Maintenance of Office Building & Staff Qrtrs.	3,539.58	6,370.00	4,746.00	6,873.00
27	Consultancy Services	41.77	70.00	80.00	85.00
28	Investment Management charges	18.30	31.00	150.00	200.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
29.	मूल्यहास	5,310.25	2,000.00	3,743.00	3,743.00
II	कुल अन्य प्रशासनिक व्यय <small>*इस बजट शीर्ष को पुनः एकत्रित किया गया है।</small>	43,948.03	50,664.00	69,449.00	63,211.00
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II + III)	1,15,555.08	1,60,154.47	1,79,817.00	1,79,868.00
3	पूंजीगत निर्माण तथा आकस्मिकता आरक्षित निधियों में अंशदान				
	क. पूंजीगत निर्माण निधि में वार्षिक अंशदान (अंशदान आय के 1% की दर पर)	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	ख. आकस्मिक आरक्षित निधि में वार्षिक अंशदान	0.00	शून्य	0.00	शून्य
	कुल शीर्ष-4 पूंजीगत निर्माण तथा आकस्मिक आरक्षित निधियों में अंशदान	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	राजस्व लेखाओं में कुल व्यय:	11,05,040.11	14,14,159.61	15,39,493.00	15,84,859.00
4	पूंजीगत लेखा पर व्यय				
(क)	i) वाहन	32.93	160.00	165.00	165.00
	ii) कार्यालय उपस्कर	514.97	20,106.00	24,598.00	24,281.00
	iii) फर्नीचर एवं फिक्सचर	16,866.33	1,100.00	1,500.00	1,700.00
	iv) कम्प्यूटर	1,186.33	17,745.00	21,600.00	7,500.00
	v) पुस्तकें	90.18	130.00	130.00	130.00
	vi) चिकित्सा शिक्षा सहायता	3.55	5.00	6.00	7.00
	कुल	18,694.29	39,246.00	47,998.00	33,783.00
(ख)	परियोजनाएं				
	कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स	880.29	994.00	2,660.00	2,221.00
	स्टाफ क्वार्टर्स सहित अस्पताल एवं औषधालय	72,104.03	1,28,745.00	75,302.00	1,23,198.00
	चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर्स	22,867.91	34,551.00	30,697.00	19,100.00
	कुल (ख)	95,852.23	1,64,290.00	1,08,659.00	1,44,519.00
	कुल योग-पूंजीगत व्यय (क+ख)	1,14,546.52	2,03,536.00	1,56,657.00	1,78,302.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
29	Depreciation	5,310.25	2,000.00	3,743.00	3,743.00
II	Total Other Admn. Expenses <small>*This budget Head has been regrouped</small>	43,948.03	50,664.00	69,449.00	63,211.00
	Total Admin. Exp. (I + II+III)	1,15,555.08	1,60,154.47	1,79,817.00	1,79,868.00
3	Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds:-				
	A. Annual contribution to Capital Construction Fund (@ 1% of contribution income)	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	B. Annual contribution to Contingency Reserve Fund	0.00	NIL	0.00	0.00
	Total Head-4 Contributions to Capital Construction & Contingency Reserve Funds.	0.00	18,333.90	0.00	0.00
	TOTAL EXPENDITURE ON REVENUE ACCOUNTS:	11,05,040.11	14,14,159.61	15,39,493.00	15,84,859.00
4	Expenditure on Capital Account				
(A)	i) Vehicles	32.93	160.00	165.00	165.00
	ii) Office Equipments	514.97	20,106.00	24,598.00	24,281.00
	iii) Furniture & Fixture	16,866.33	1,100.00	1,500.00	1,700.00
	iv) Computers	1,186.33	17,745.00	21,600.00	7,500.00
	v) Books	90.18	130.00	130.00	130.00
	vi) Medical Education Aid	3.55	5.00	6.00	7.00
	Total	18,694.29	39,246.00	47,998.00	33,783.00
(B)	Projects				
	Office Building & Staff Qtrs.	880.29	994.00	2,660.00	2,221.00
	Hospital & Dispensaries including Staff Qtrs.	72,104.03	1,28,745.00	75,302.00	1,23,198.00
	Medical Colleges & Staff Qtrs.	22,867.91	34,551.00	30,697.00	19,100.00
	TOTAL(B)	95,852.23	1,64,290.00	1,08,659.00	1,44,519.00
	Grand Total-Capital Expenditure(A+B)	1,14,546.52	2,03,536.00	1,56,657.00	1,78,302.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
५	ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, पेशागि. याँ तथा प्रेषित धन अनिधिक ऋण :				
	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि				
	अभिदाताओं को अदायगी	18,928.94	23,675.00	19,000.00	21,000.00
	कुल – निधिरहित ऋण	18,928.94	23,675.00	19,000.00	21,000.00
	आरक्षित निधियाँ				
क.	निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यहास आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	318.95	-7,373.34	-7,901.33	-8,760.46
ख.	अस्पताल व औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यहास आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	10,328.52	-248.27	-7,994.69	-12,250.20
ग.	अन्य परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) की मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	33,943.91	7,842.66	-11,873.42	3,811.54
घ.	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	38,883.06	48,201.00	1,38,625.29	68,834.45
ङ.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-2,059.45	30,893.00	74,836.05	46,398.26
च.	चिकित्सा शिक्षा भवन हेतु मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	54,827.42	39,068.77	29,895.72	34,372.67
छ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशन				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	10,914.70	63,163.00	68,571.00	79,505.22
ज.	क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	5919.73	3,980.00	-6,979.48	7,437.43

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
5	DEBTS, RESERVE FUNDS, DEPOSITS ADVANCES AND REMITTANCES UNFUNDED DEBT :				
	ESIC General Provident Fund				
	Payment to Subscribers	18,928.94	23,675.00	19,000.00	21,000.00
	TOTAL-UNFUNDED DEBTS	18,928.94	23,675.00	19,000.00	21,000.00
	RESERVE FUNDS				
A	Depreciation Reserve Fund for office buildings of the Corporation (including staff quarters) investment account				
	Investment during the year	318.95	-7,373.34	-7,901.33	-8,760.46
B	Depreciation Reserve Fund of Hospital & Dispensary Building(including staff quarters) Investment Account.				
	Investment during the year	10,328.52	-248.27	-7,994.69	-12,250.20
C	Depreciation Reserve Fund of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
	Investment during the year	33,943.91	7,842.66	-11,873.42	3,811.54
D	Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	38,883.06	48,201.00	1,38,625.29	68,834.45
E	Dependents Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	-2,059.45	30,893.00	74,836.05	46,398.26
F	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
	Investment during the year	54,827.42	39,068.77	29,895.72	34,372.67
G	Employees Benefit Reserve Fund: Pension				
	Investment during the year	10,914.70	63,163.00	68,571.00	79,505.22
H	ESIC General Provident Fund Investment Account				
	Investment during the year	5919.73	3,980.00	-6,979.48	7,437.43



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)					
झ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : उपदान				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	4,173.30	2,796.00	-267.22	-326.82
अ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	8,782.54	2,592.00	1,243.83	1,457.16
ट.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	2,045.02	949.00	322.44	-139.12
ठ.	पूँजीगत निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-73,573.10	-1,45,956.10	-1,08,659.00	-1,44,519.00
ड.	आकस्मिक आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधियाँ :	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75,821.13
	जमा :				
i.	प्रतिभूतियों में जमा	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75,821.13
ii.	अन्य जमा (क)	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75,821.13
	कुल जमा :	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75,821.13
	पेशागियाँ :				
क.	स्थायी पेशागियाँ	4.30	50.00	50.00	50.00
ख.	निगम के कर्मचारियों को पेशागियाँ				
i.	स्थानांतरण पर वेतन पेशागी	-2.87	5.00	0.00	0.00
ii.	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता पेशागी	15.96	100.00	100.00	100.00
iii.	दौरे पर यात्रा भत्ते हेतु पेशागी	126.08	180.00	180.00	200.00
iv.	छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पेशागी	833.53	1,350.00	1,500.00	1,700.00
v.	मोटर वाहन की खरीद हेतु पेशागी	4.95	4.00	0.00	0.00
vi.	कम्प्यूटर अग्रिम	213.51	900.00	1,000.00	1,100.00
vii.	अन्य वाहन की खरीद हेतु पेशागी	0.08	0.00	0.00	0.00
viii.	गृह निर्माण पेशागी	154.89	2,800.00	3,000.00	3,500.00




FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
I	Employees Benefit Reserve Fund: Gratuity				
	Investment during the year	4,173.30	2,796.00	-267.22	-326.82
J	Employees Benefit Reserve Fund: Leave Encashment				
	Investment during the year	8,782.54	2,592.00	1,243.83	1,457.16
K	Employees Benefit Reserve Fund: Pensioners Medical Scheme				
	Investment during the year	2,045.02	949.00	322.44	-139.12
L	Capital Construction Fund Investment Account				
	Investment during the year	-73,573.10	-1,45,956.10	-1,08,659.00	-1,44,519.00
M	Contingency Reserve fund Investment Account				
	Investment during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESERVE FUNDS :	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75,821.13
	DEPOSITS:				
i.	Deposits of Securities	394.14	1,000.00	1,000.00	1,000.00
ii.	Other Deposits(a)	399.08	10,000.00	2,000.00	2,000.00
	TOTAL DEPOSITS:	793.22	11,000.00	3,000.00	3,000.00
	ADVANCES				
a.	Permanent advance	4.30	50.00	50.00	50.00
b.	Advance to employee of the Corporation				
i.	Advance of pay on transfer	-2.87	5.00	0.00	0.00
ii.	Advance on TA on transfer	15.96	100.00	100.00	100.00
iii.	Advance of TA on Tour	126.08	180.00	180.00	200.00
iv.	Advance for LTC	833.53	1,350.00	1,500.00	1,700.00
v.	Advance for purchase of motor conveyance	4.95	4.00	0.00	0.00
vi.	Computer Advance	213.51	900.00	1,000.00	1,100.00
vii.	Advance for purchase of other conveyance	0.08	0.00	0.00	0.00
viii.	House Building Advance	154.89	2,800.00	3,000.00	3,500.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
		(` लाख में)			
	ix. विविध पेशागियाँ (त्योहार, बाढ़ एवं पंखा पेशागियाँ)	171.86	500.00	500.00	500.00
ग.	अन्य पेशागियाँ :				
	i. राज्य सरकारों/निर्माण एजेंसियों को पेशागी अदायगियाँ	1,177.31	3,500.00	2,500.00	3,500.00
	ii. विविध	3,514.33	5,000.00	3,000.00	5,000.00
	iii. विशेष पेशागियाँ	-225.75	450.00	450.00	450.00
	कुल पेशागियाँ :	5,988.18	14,839.00	12,280.00	16,100.00
	प्रेषित धन				
	नकद प्रेषण (क)	14,29,204.99	15,00,000.00	16,00,000.00	16,00,000.00
	अन्य प्रेषण (ख)	22,79,905.78	24,50,000.00	23,00,000.00	23,00,000.00
	कुल प्रेषित धन :	37,09,110.77	39,50,000.00	39,00,000.00	39,00,000.00
	कुल—ऋण, आरक्षित निधियाँ, जमा, पेशागियाँ तथा प्रेषित धन :	38,29,325.71	40,45,419.95	41,18,058.15	40,15,921.13
	कुल संवितरण :	50,48,820.34	56,63,115.56	58,14,208.15	57,79,082.13
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि				
	1. वर्ष (ग) के दौरान निवेश (वसूली का निवल)	16,19,631.01	7,73,755.34	7,85,531.90	7,62,560.68
	घटाएं—आरक्षित निधि निवेश लेखाओं में अंतरण	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75821.13
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित अधिशेष	15,25,126.41	7,27,849.39	6,01,753.75	6,86,739.55
	अंत शेष (हाथ/बैंक रोकड़)	1,658.52	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	कुल भुगतान योग	65,74,128.84	63,92,964.95	64,06,030.90	64,55,890.68
(क)	“नकद धन प्रेषण” शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	(अन्य धन प्रेषण) शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।				


संभु शुक्ला
वित्त आयुक्त

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Head of Account	Actual 2018-2019	Budget Estimates 2019-2020	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)					
	ix. Miscellaneous Advances(Festival Flood & Fan advances)	171.86	500.00	500.00	500.00
c.	Other Advances				
	I. Advances paid to State Govt./ construction agencies.	1,177.31	3,500.00	2,500.00	3,500.00
	II. Miscellaneous	3,514.33	5,000.00	3,000.00	5,000.00
	III Special Advances	-225.75	450.00	450.00	450.00
	Total Advances:	5,988.18	14,839.00	12,280.00	16,100.00
	Remittances				
	Cash Remittances(a)	14,29,204.99	15,00,000.00	16,00,000.00	16,00,000.00
	Other Remittances (b)	22,79,905.78	24,50,000.00	23,00,000.00	23,00,000.00
	TOTAL REMITTANCES:	37,09,110.77	39,50,000.00	39,00,000.00	39,00,000.00
	Total-Debts, Reserve Funds Deposits, Advances and Remittances:	38,29,325.71	40,45,419.95	41,18,058.15	40,15,921.13
	TOTAL DISBURSEMENT:	50,48,820.34	56,63,115.56	58,14,208.15	57,79,082.13
	ESI General Reserve				
	I. Investment during the(c) year(Net of Realization)	16,19,631.01	7,73,755.34	7,85,531.90	7,62,560.68
	Deduct-transfers to reserve fund investment account	94,504.60	45,905.95	1,83,778.15	75821.13
	Surplus Transferred to ESI General Reserve	15,25,126.41	7,27,849.39	6,01,753.75	6,86,739.55
	Closing balance(Cash in hand)/Bank	1,658.52	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Grand Total Payments	65,74,128.84	63,92,964.95	64,06,030.90	64,55,890.68
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

SANDHYA SHUKLA
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

परिशिष्ट-1

31 मार्च, 2018 तथा 2019 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त तथा 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31.3.2018 की स्थिति के अनुसार	31.3.2019 की स्थिति के अनुसार	1.4.2019 से 31.3.20 के दौरान चरणबद्ध	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार	1.4.2020 से 31.3.2021 के दौरान चरणबद्ध	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश						
	i) तिरुपति	2,22,600	2,43,350	2,214	2,45,564	2,235	2,47,799
	ii) विजयवाड़ा और येन्नम	5,37,720	5,83,170	5,307	5,88,477	5,355	5,93,832
	iii) विशाखापत्तनम	3,20,490	3,43,380	3,125	3,46,505	3,153	3,49,658
2	तेलंगाना	15,69,580	16,20,350	14,745	16,35,095	14,879	
3	असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा	2,43,040	2,95,310	2,687	2,97,997	2,712	3,00,709
4	बिहार	2,17,060	2,56,690	2,336	2,59,026	2,357	2,61,383
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	2,16,700	1,58,070	1,438	1,59,508	1,452	1,60,960
6	छत्तीसगढ़	5,11,940	5,69,440	5,182	5,74,622	5,229	5,79,851
7	दिल्ली						
	i) राजेन्द्र प्लेस	4,14,110	3,82,890	3,484	3,86,374	3,516	3,89,890
	ii) नंद नगरी	1,88,020	1,81,540	1,652	1,83,192	1,667	1,84,859
	iii) रोहिणी	2,24,810	2,30,960	2,102	2,33,062	2,121	2,35,183
	iv) ओखला	8,77,680	7,39,790	6,732	7,46,522	6,793	7,53,315
8	गोवा	2,16,020	2,56,370	2,333	2,58,703	2,354	2,61,057
9	गुजरात						
	i) अहमदाबाद	7,27,490	7,38,650	6,722	7,45,372	6,783	7,52,155
	ii) वડोदरा	2,59,450	2,76,680	2,518	2,79,198	2,541	2,81,738
	iii) सूरत	4,29,160	4,28,470	3,899	4,32,369	3,935	4,36,304
10	हरियाणा						
	i) फरीदाबाद	7,22,570	7,62,720	6,941	7,69,661	7,004	7,76,665
	ii) गुडगांव	16,71,470	14,46,840	13,166	14,60,006	13,286	14,73,292
	iii) अंबाला	2,34,860	2,40,500	2,189	2,42,689	2,208	2,44,897
11	हिमाचल प्रदेश	2,78,600	2,96,240	2,696	2,98,936	2,720	3,01,656
12	जम्मू एवं कश्मीर	2,63,990	2,26,770	2,064	2,28,834	2,082	2,30,916
13	झारखण्ड	3,48,300	3,86,570	3,518	3,90,088	3,550	3,93,638
14	कर्नाटक						
	i) बैंगलुरु	10,35,230	10,10,130	9,192	10,19,322	9,276	10,28,598
	ii) हुबली	2,83,610	3,12,340	2,842	3,15,182	2,868	3,18,050
	iii) पीण्या	5,13,900	4,93,630	4,492	4,98,122	4,533	5,02,655
	iv) बोम्मसंद्रा	7,58,340	7,24,230	6,590	7,30,820	6,650	7,37,471
	v) गुलबर्गा	1,48,160	1,45,080	1,320	1,46,400	1,332	1,47,732
	vi) मैसूर	2,00,830	2,16,370	1,969	2,18,339	1,987	2,20,326
	vii) मैंगलौर	1,85,320	1,85,940	1,692	1,87,632	1,707	1,89,340



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

APPENDIX – I

NUMBER OF EMPLOYEES COVERED UPTO 31ST MARCH 2018 AND 2019 AND PLANNED TO BE COVERED
UNDER THE SCHEME UPTO 31ST MARCH, 2020 AND 31ST MARCH, 2021

S. No.	STATE / REGION	No. of Employees					
		As on 31.3.2018	As on 31.3.2019	Phased during 1.4.19 to 31.3.2020	As on 31.3.2020	Phased during 1.4.2020 to 31.3.2021	As on 31.3.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANDHRA PRADESH						
	I) Tirupati	2,22,600	2,43,350	2,214	2,45,564	2,235	2,47,799
	II)VIJAYAWADA & YENAM	5,37,720	5,83,170	5,307	5,88,477	5,355	5,93,832
	iii)VISAKHAPATNAM	3,20,490	3,43,380	3,125	3,46,505	3,153	3,49,658
2	TELANGANA	15,69,580	16,20,350	14,745	16,35,095	14,879	
3	ASSAM , MEGHALYA, NAGALAND , SIKKIM & TRIPURA	2,43,040	2,95,310	2,687	2,97,997	2,712	3,00,709
4	BIHAR	2,17,060	2,56,690	2,336	2,59,026	2,357	2,61,383
5	CHANDIGARH(UT)	2,16,700	1,58,070	1,438	1,59,508	1,452	1,60,960
6	CHATTISGARH	5,11,940	5,69,440	5,182	5,74,622	5,229	5,79,851
7	DELHI						
	I) RAJENDER PLACE	4,14,110	3,82,890	3,484	3,86,374	3,516	3,89,890
	ii)NAND NAGARI	1,88,020	1,81,540	1,652	1,83,192	1,667	1,84,859
	iii) ROHINI	2,24,810	2,30,960	2,102	2,33,062	2,121	2,35,183
	iv) OKHLA	8,77,680	7,39,790	6,732	7,46,522	6,793	7,53,315
8	GOA	2,16,020	2,56,370	2,333	2,58,703	2,354	2,61,057
9	GUJARAT						
	i) AHMEDABAD	7,27,490	7,38,650	6,722	7,45,372	6,783	7,52,155
	ii) VADODRA	2,59,450	2,76,680	2,518	2,79,198	2,541	2,81,738
	iii) SURAT	4,29,160	4,28,470	3,899	4,32,369	3,935	4,36,304
10	HARYANA						
	I) FARIDABAD	7,22,570	7,62,720	6,941	7,69,661	7,004	7,76,665
	II)GURGOAN	16,71,470	14,46,840	13,166	14,60,006	13,286	14,73,292
	III) AMBALA	2,34,860	2,40,500	2,189	2,42,689	2,208	2,44,897
11	H.P.	2,78,600	2,96,240	2,696	2,98,936	2,720	3,01,656
12	J & K	2,63,990	2,26,770	2,064	2,28,834	2,082	2,30,916
13	JHARKHAND	3,48,300	3,86,570	3,518	3,90,088	3,550	3,93,638
14	KARNATAKA						
	i) BANGALORE	10,35,230	10,10,130	9,192	10,19,322	9,276	10,28,598
	ii) HUBLI	2,83,610	3,12,340	2,842	3,15,182	2,868	3,18,050
	III)PEENYA	5,13,900	4,93,630	4,492	4,98,122	4,533	5,02,655
	IV)BOMASUNDRA	7,58,340	7,24,230	6,590	7,30,820	6,650	7,37,471
	V) GULBARGA	1,48,160	1,45,080	1,320	1,46,400	1,332	1,47,732
	VI) MYSORE	2,00,830	2,16,370	1,969	2,18,339	1,987	2,20,326
	VII) MANGALORE	1,85,320	1,85,940	1,692	1,87,632	1,707	1,89,340



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

15	केरल तथा माहे						
	i) तृशुर	1,56,450	1,54,950	1,410	1,56,360	1,423	1,57,783
	ii) एरणाकुलम	4,05,300	3,93,660	3,582	3,97,242	3,615	4,00,857
	iii) कोल्लम	1,40,630	1,32,720	1,208	1,33,928	1,219	1,35,146
	iv) कोषिकोड	1,69,430	1,59,160	1,448	1,60,608	1,462	1,62,070
	v) तिरुवनंतपुरम	1,17,540	1,28,850	1,173	1,30,023	1,183	1,31,206
16	मध्य प्रदेश	7,18,720	8,65,940	53,082	9,19,022	56,336	9,75,358
	i) इंदौर	580340	6,17,170	5,616	6,22,786	5,667	6,28,454
	ii) भोपाल	285600	3,27,140	2,977	3,30,117	3,004	3,30,117
17	महाराष्ट्र						
	i) लोअर परेल	6,21,210	6,33,110	5,761	6,38,871	5,814	6,44,685
	ii) मरोल	9,08,420	9,08,510	8,267	9,16,777	8,343	9,25,120
	iii) ठाणे	7,29,640	7,41,640	6,749	7,48,389	6,810	7,55,199
	iv) नागपुर	3,22,240	3,26,030	2,967	3,28,997	2,994	3,31,991
	v) औरंगाबाद	2,18,260	2,49,560	2,271	2,51,831	2,292	2,54,123
	vi) पुणे	12,19,070	13,32,390	12,125	13,44,515	12,235	13,56,750
	vii) नाशिक	1,50,960	1,73,230	1,576	1,74,806	1,591	1,76,397
18	ओडिशा	6,24,060	6,25,820	5,695	6,31,515	5,747	6,37,262
19	पुदुच्चेरी	1,14,530	1,09,710	998	1,10,708	1,007	1,11,716
20	पंजाब						
	i) चंडीगढ़ (पंजाब)	4,64,480	4,28,190	3,897	4,32,087	3,932	4,36,019
	ii) जालंधर	2,29,260	2,45,340	2,233	2,47,573	2,253	2,49,826
	iii) लुधियाना	3,76,880	3,76,850	3,429	3,80,279	3,461	3,83,740
21	राजस्थान						
	i) जयपुर	9,11,470	9,55,980	8,699	9,64,679	8,779	9,73,458
	ii) उदयपुर	1,95,350	2,07,070	1,884	2,08,954	1,901	2,10,856
	iii) जोधपुर	1,51,590	1,70,800	1,554	1,72,354	1,568	1,73,923
22	तमिलनाडु						
	i) चैन्नै	21,51,200	21,58,090	19,639	21,77,729	19,817	21,97,546
	ii) तिरुनेलवेली	2,09,980	1,81,860	1,655	1,83,515	1,670	1,85,185
	iii) सेलम	3,99,760	3,92,790	3,574	3,96,364	3,607	3,99,971
	iv) कोयम्बतूर	7,04,120	7,34,540	6,684	7,41,224	6,745	7,47,969
	v) मदुरै	4,03,700	4,04,410	3,680	4,08,090	3,714	4,11,804
23	उत्तर प्रदेश						
	i) कानपुर	3,89,750	4,25,470	3,872	4,29,342	3,907	4,33,249
	ii) वाराणसी	83,160	1,03,560	942	1,04,502	951	1,05,453
	iii) नोएडा	10,41,960	10,71,730	9,753	10,81,483	9,841	10,91,324
	iv) लखनऊ	3,54,360	4,12,100	3,750	4,15,850	3,784	4,19,634
24	उत्तराखण्ड	5,96,690	5,58,690	5,084	5,63,774	5,130	5,68,904
25	पश्चिम बंगाल						
	i) बैरकपुर	13,56,930	12,96,470	11,798	13,08,268	11,905	13,20,173
	ii) कोलकाता	2,92,000	2,95,290	2,687	2,97,977	2,712	3,00,689
	iii) दुर्गापुर	2,01,840	2,16,570	1,971	2,18,541	1,989	2,20,530
	अखिल भारत	3,11,18,680	3,14,01,920	2,85,757	3,16,87,677	2,88,358	3,19,76,035

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



15	KERALA & MAHE					
	I) THRISSUR	1,56,450	1,54,950	1,410	1,56,360	1,423
	II) ERNAKULAM	4,05,300	3,93,660	3,582	3,97,242	3,615
	III) KOLLAM	1,40,630	1,32,720	1,208	1,33,928	1,219
	IV) KOZHIKODE	1,69,430	1,59,160	1,448	1,60,608	1,462
	V THIRUNANTHANPURAM	1,17,540	1,28,850	1,173	1,30,023	1,183
16	M. P.	7,18,720	8,65,940	53,082	9,19,022	56,336
	i) INDORE	580340	6,17,170	5,616	6,22,786	5,667
	II) BHOPAL	285600	3,27,140	2,977	3,30,117	3,004
17	MAHARASHTRA					
	i) LOWER PAREL	6,21,210	6,33,110	5,761	6,38,871	5,814
	ii) MAROL	9,08,420	9,08,510	8,267	9,16,777	8,343
	iii) THANE	7,29,640	7,41,640	6,749	7,48,389	6,810
	iv) NAGPUR	3,22,240	3,26,030	2,967	3,28,997	2,994
	V) AURANGABAD	2,18,260	2,49,560	2,271	2,51,831	2,292
	vi) PUNE	12,19,070	13,32,390	12,125	13,44,515	12,235
	VII) NASIK	1,50,960	1,73,230	1,576	1,74,806	1,591
18	ODISHA	6,24,060	6,25,820	5,695	6,31,515	5,747
19	PUDUCHERRY	1,14,530	1,09,710	998	1,10,708	1,007
20	PUNJAB					
	I) CHANDIGARH(PUNJAB)	4,64,480	4,28,190	3,897	4,32,087	3,932
	II) JALANDHAR	2,29,260	2,45,340	2,233	2,47,573	2,253
	III) LUDHIANA	3,76,880	3,76,850	3,429	3,80,279	3,461
21	RAJASTHAN					
	I) JAIPUR	9,11,470	9,55,980	8,699	9,64,679	8,779
	ii) UDAIPUR	1,95,350	2,07,070	1,884	2,08,954	1,901
	III) JODHPUR	1,51,590	1,70,800	1,554	1,72,354	1,568
22	TAMIL NADU					
	i) CHENNAI	21,51,200	21,58,090	19,639	21,77,729	19,817
	II) TIRUNELVELI	2,09,980	1,81,860	1,655	1,83,515	1,670
	III) SALEM	3,99,760	3,92,790	3,574	3,96,364	3,607
	IV) COIMBATORE	7,04,120	7,34,540	6,684	7,41,224	6,745
	V) MADURAI	4,03,700	4,04,410	3,680	4,08,090	3,714
23	UTTAR PRADESH					
	I) KANPUR	3,89,750	4,25,470	3,872	4,29,342	3,907
	ii) VARANASI	83,160	1,03,560	942	1,04,502	951
	III) NOIDA	10,41,960	10,71,730	9,753	10,81,483	9,841
	IV) LUCKNOW	3,54,360	4,12,100	3,750	4,15,850	3,784
24	UTTRAKHAND	5,96,690	5,58,690	5,084	5,63,774	5,130
25	WEST BENGAL					
	i) BARRACKPORE	13,56,930	12,96,470	11,798	13,08,268	11,905
	ii) KOLKATA	2,92,000	2,95,290	2,687	2,97,977	2,712
	III) DURGAPUR	2,01,840	2,16,570	1,971	2,18,541	1,989
	ALL INDIA	3,11,18,680	3,14,01,920	2,85,757	3,16,87,677	2,88,358
						3,19,76,035



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

परिशिष्ट-2

प्रतिव्यक्ति आय-व्यय का सूचक विवरण

वर्ष	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी अंशदान आय की राशि (₹)	राजस्व लेखे में व्यय (₹)	अन्तर (₹)
1998-1999	1,466	1,034	432
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	8,323	4,615	3,708
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020 (परिशोधित प्राक्कलन)	5,678	4,880	798
2020-2021 (बजट प्राक्कलन)	5,812	4,979	833

टिप्पणियां :

- (क) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.10.2006 से ₹ 7,500/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- प्रतिमाह कर दी गई।
- (ख) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.05.2010 से ₹ 10,000/- से बढ़ाकर ₹ 15,000/- प्रतिमाह कर दी गई।
- (ग) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.01.2017 से ₹ 15,000/- से बढ़ाकर ₹ 21,000/- प्रतिमाह कर दी गई।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

APPENDIX – II

STATEMENT SHOWING PER CAPITA INCOME & EXPENDITURE

Year	Amount per annum per employee's Contribution Income (`)	Expenditure on Revenue Account (`)	Margin (`)
1998-1999	1,466	1,034	432
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	8,323	4,615	3,708
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020 (Revised Estimates)	5,678	4,880	798
2020-2021 (Budget Estimates)	5,812	4,979	833

NOTES :

- (a) Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ` 7,500/- to ` 10,000/- w.e.f. 1.10.2006.
- (b) Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ` 10,000/- to ` 15,000/- w.e.f. 01.05.2010.
- (c) Wage limit for coverage under ESI Act. Has been increased from ` 15,000/- to ` 21,000/- w.e.f. 01.01.2017.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

परिशिष्ट-3

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल व औषधालयों तथा कार्यालय भवनों के संबंध में आरंभ की गई^{पूँजीगत परियोजनाओं के विवरण : परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में उनकी निधि संबंधी आवश्यकताएँ}

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
क. चिकित्सा संस्थाएँ :						
1	सनत नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.16	3.6	10.00	13.60	15.00
2	दंत्य महाविद्यालय नाचाराम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का निर्माण	244.49	17.54	20.00	37.54	15.00
3	चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा का निर्माण	737.37	0.52	10.00	10.52	0.00
4	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	827.00	5.52	20.00	25.52	0.00
5	गुलबर्गा, कर्नाटक में चिकित्सा/ दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	1,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	544.26	0.00	1.00	1.00	0.00
7 (क)	चिकित्सा महाविद्यालय, एम.जी.एम. परेल, मुंबई फेज-। का निर्माण	191.15	0.00	20.00	20.00	10.00
7 (ख)	परेल, मुंबई फेज-। में नर्सिंग महाविद्यालय और स्नातकोत्तर छात्रावास/ स्टाफ आवास का निर्माण	100.99	0.00	10.00	10.00	5.00
8	क.रा.बी.अस्पताल, बसईदारापुर में स्नातकोत्तर संस्थान-सह-चिकित्सा महाविद्यालय	870.71	32.84	10.00	42.84	40.00
9	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर में स्टाफ स्नातकोत्तर पाठ्रक्रम तथा नवीकरण	9.46	0.36	0.00	0.36	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

APPENDIX – III

DETAILS OF CAPITAL PROJECTS UNDERTAKEN IN RESPECT OF MEDICAL INSTITUTIONS, HOSPITAL & DISPENSARIES AND OFFICE BUILDINGS : THEIR FUND REQUIREMENT IN REVISED ESTIMATES 2019-2020 & BUDGET ESTIMATES 2020-2021

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
A. MEDICAL INSTITUIONS:						
1	Construction ESIC Medical College at Sanath Nagar Hyderabad (AP)	676.16	3.6	10.00	13.60	15.00
2	Construction of Dental College, Nacharam, Hyderabad (AP)	244.49	17.54	20.00	37.54	15.00
3	Construction of Medical College, Faridabad, Haryana	737.37	0.52	10.00	10.52	0.00
4	Construction of ESIC Medical College at Mandi(H.P.)	827.00	5.52	20.00	25.52	0.00
5	Construction of Medical/Dental college at Gulbarga, Karnataka	1,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Construction of Medical College at Paripally, Kollam, Kerala	544.26	0.00	1.00	1.00	0.00
7(a)	Construction of Medical College, MGM Parel, Mumbai Ph-I)	191.15	0.00	20.00	20.00	10.00
7(b)	Construction of Nursing College and PG Hostel/Staff Housing at Parel, Mumbai Ph-I	100.99	0.00	10.00	10.00	5.00
8	PG Institute cum Medical College at ESI Hospital, Basaidarapur	870.71	32.84	10.00	42.84	40.00
9	Renovation and staff PG course at ESI Hospital, Basaidarapur	9.46	0.36	0.00	0.36	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
10 (क)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (प्रथम वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	8.16	0.00	0.00	0.00	0.50
10 (ख)	क.रा.बी. दंत्य महाविद्यालय, (द्वितीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	5.43	0.00	0.17	0.17	0.00
10 (ग)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (तृतीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कोयम्बत्तूर में क.रा.बी. चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	550.85	13.58	5.00	18.58	0.00
12	के.के.नगर, चेन्नै में स्नातकोत्तर संस्थान तथा अन्य परा-चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	470.93	4.45	5.00	9.45	20.00
13	अयनावरम, चेन्नै में शिक्षण अस्पताल भवन निर्माण तथा संबद्ध सुविधाएँ, सुविधाओं का उन्नयन	335.04	0.00	2.00	2.00	15.00
14	मानिकतला, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान का निर्माण	107.31	0.00	8.00	8.00	0.00
15	जोका, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान—सह—चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	542.00	13.50	10.00	23.50	20.00
16	बिहटा, पटना में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.11	15.43	10.00	25.43	0.00
17	इंदिरा नगर में नर्सिंग महाविद्यालय और अस्पताल तथा 1000 कुर्सियों वाले सभागार का निर्माण	72.02	0.00	0.20	0.20	0.00
18	गुलबर्गा में परा-चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र का निर्माण	308.15	1.40	3.00	4.40	0.00
19	चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का निर्माण	904.08	0.60	10.00	10.60	15.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
10(a)	Construction of ESI Dental College(1st Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	8.16	0.00	0.00	0.00	0.50
10(b)	Construction of ESI Dental College(1Ind Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	5.43	0.00	0.17	0.17	0.00
10(c)	Construction of ESI Dental College(IIInd Year), Sector-15, Rohini, New Delhi	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Construction of ESI Medical College at Coimbatore	550.85	13.58	5.00	18.58	0.00
12	Construction of PG Institutes and other Para-Medical Institutes and Medical College at K.K. Nagar, Chennai	470.93	4.45	5.00	9.45	20.00
13	Construction of Teaching Hospitals Building adn Allied Facilities, Up gradation of Facilities at Aynavaram, Chennai	335.04	0.00	2.00	2.00	15.00
14	Construction of PG Institute at Manicktala, Kolkata	107.31	0.00	8.00	8.00	0.00
15	Construction of PG Institute cum Medical College at Joka, Kolkata	542.00	13.50	10.00	23.50	20.00
16	Construction of Medical College at Bihata, Patna	676.11	15.43	10.00	25.43	0.00
17	Construction of Nursing College & Hospital &1000 seater Auditorium at Indira Nagar	72.02	0.00	0.20	0.20	0.00
18	Construction of Para-Medical and allied Health Science Centre at Gulbarga	308.15	1.40	3.00	4.40	0.00
19	Construction of Medical College, Alwar	904.08	0.60	10.00	10.60	15.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
20 (क)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई का उन्नयन और विस्तार	234.79	5.85	20.00	25.85	10.00
20 (ख)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई (फेज-II) में स्नातकोत्तर छात्रावास और स्टाफ आवास का निर्माण	61.46	0.00	10.00	10.00	5.00
20 (ग)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई में स्टाफ आवास का नवीकरण और मरम्मत	6.53	0.00	0.50	0.50	0.50
21	राजाजीनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	319.01	1.91	5.00	6.91	20.00
22	अस्पताल, राजाजी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक का निर्माण	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क. चिकित्सा संस्थाएं)		10,231.47	117.10	189.87	306.97	191.00
ख. अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/नवीकरण/उन्नयन						
23	सनत नगर, हैदराबाद में अति-विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	तिरुपति, आंध्र प्रदेश में क.रा.बी.अस्पताल का नवीकरण/पुनर्संज्ञा	108.94	4.00	10.00	14.00	14.00
25	बापूनगर, अहमदाबाद में 300 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	125.74	0.00	5.00	5.00	5.00
26	मणिनगर, खोखरा में डी-34 औषधालय का निर्माण	25.00		2.40	2.40	2.40
27	करनाल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र का निर्माण	5.34	0.00	0.40	0.40	0.40
28	फरीदाबाद, सेक्टर 15, (हरियाणा) में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	मुरथल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30	मानेसर, हरियाणा में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण (पहले ही उद्घाटित)	68.74	0.00	2.00	2.00	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
20(a)	Up gradation & Extension of ESIC Hospital Andheri, Mumbai	234.79	5.85	20.00	25.85	10.00
20(b)	Construction of PG Hostel & Staff Housing at ESIC Hospital, Andheri, Mumbai (Ph-II)	61.46	0.00	10.00	10.00	5.00
20(c)	Renovation & Repair of Staff Quarter at ESIC Hospital, Andheri, Mumbai	6.53	0.00	0.50	0.50	0.50
21	Construction of Medical College, Rajajinagar Bangalore, Karnataka	319.01	1.91	5.00	6.91	20.00
22	Construction of Hospital Rajajinagar, Bangalore Karnataka	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (A. Med. Institutions)		10,231.47	117.10	189.87	306.97	191.00
B. CONSTRUCTION/RENOVATION/UPGRADATION OF HOSPITALS/DISPENSARIES						
23	Construction of Super Speciality Hospital at Sanath Nagar, Hyderabad	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	Renovation/face lifting of ESI Hospital at Tirupati, A.P.	108.94	4.00	10.00	14.00	14.00
25	Construction of 300 bedded ESI Hosp. Bapunagar, Ahmedabad.	125.74	0.00	5.00	5.00	5.00
26	Construction of D-34 dispensary at, Maninagar, Khokhara	25.00		2.40	2.40	2.40
27	Constrn. Of ESI Disp.cum diagnostic centre at Karnal, Haryana	5.34	0.00	0.40	0.40	0.40
28	ESI Dispensary at Faridabad, Sec.15A (Haryana)	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	Constrn. Of ESI Dispensary Murthal, Haryana	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Constrn. of 100 Bedded ESI Hosp. At Manesar, Haryana (already inaugurated)	68.74	0.00	2.00	2.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
31	बद्दी, हिमाचल प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	59.67	0.00	4.19	4.19	0.00
32	क.रा.बी. अस्पताल, हुबली का नवीकरण	33.17	0.00	2.00	2.00	0.00
33	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर का नवीकरण	35.32	0.00	1.30	1.30	1.00
34	क.रा.बी. अस्पताल, देवनगिरी, कर्नाटक का नवीकरण	29.53	0.00	1.00	1.00	0.00
35	क.रा.बी. अस्पताल, पीण्या, कर्नाटक का निर्माण	125.14	0.00	5.23	5.23	3.00
36	तिरुवंनतपुरम, केरल में निदेशालय बीमा चिकित्सा सेवा भवन का निर्माण	10.62	1.34	0.00	1.34	0.00
37	कोल्लम, केरल में 5 चिकित्सकों का औषधालय	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
38	मायलम, कोट्टरकारा के शाखा कार्यालय में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39	पुरवेशी, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.28	0.15	0.00	0.15	0.00
40	ओ.टी. ब्लॉक, क.रा.बी. अस्पताल, बर्सईदारापुर का नवीकरण	31.20	0.00	0.96	0.96	0.00
41	ओखला में क.रा.बी. अस्पताल का नवीकरण व विस्तार	271.45	20.00	0.00	20.00	20.00
42	एन.आइ.ए.-1, करमपुरा में क.रा.बी. औषधालय का नवीकरण	1.87	0.00	1.01	1.01	0.00
43	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर, ओडिशा की पुनर्संज्ञा	74.99	0.00	2.00	2.00	1.00
44	तिरुनेलवेली में 50 और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.56	0.002	13.00	13.002	0.00
45	जयपुर में क.रा.बी. आदर्श अस्पताल	214.36	9.25	4.00	13.25	4.00
46	सरोजनी नगर, लखनऊ में 100 बिस्तर वाले अभिघात केन्द्र का निर्माण तथा विद्यमान अस्पताल का नवीकरण	106.83	0.00	2.00	2.00	2.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
31	Construction of ESI Hosp. At Baddi, H.P.	59.67	0.00	4.19	4.19	0.00
32	Renovation of ESI Hosp. Hubli	33.17	0.00	2.00	2.00	0.00
33	Renovation of ESI Hosp. Mysore	35.32	0.00	1.30	1.30	1.00
34	Renovation of ESI Hospital, Devengiri, Karnataka	29.53	0.00	1.00	1.00	0.00
35	Constn. Of ESI Hosp. Peenya, Karnataka	125.14	0.00	5.23	5.23	3.00
36	Constn. Of DIMS building at Thiruvananthapuram, Kerala	10.62	1.34	0.00	1.34	0.00
37	5 Doctors Disp. At Kollam, Kerala	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2 Doctors Disp. at Branch Office at Mylom, Kottarakara	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39	3 Doctor Disp. At Poruvazhy, Kollam, Kerala	2.28	0.15	0.00	0.15	0.00
40	Renovation of OT Block ESI Hosp. Basaidarapur	31.20	0.00	0.96	0.96	0.00
41	Renovation and expansion of ESI Hosp., Okhla	271.45	20.00	0.00	20.00	20.00
42	Renovation of ESI Disp. At NIA-1, Karampura	1.87	0.00	1.01	1.01	0.00
43	Face lifting of ESI Hosp. At Bhubaneshwar, Orissa	74.99	0.00	2.00	2.00	1.00
44	Constn. Of 50 & 100 bedded Hosp. at Tirunelveli	56.56	0.002	13.00	13.002	0.00
45	ESI Model Hosp. At Jaipur	214.36	9.25	4.00	13.25	4.00
46	Construction of 100 Bedded Trauma Centre and Renovation of existing Hospital at Sarojini Nagar, Lucknow.	106.83	0.00	2.00	2.00	2.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वार्षिक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
47	सेक्टर-24, नोएडा अस्पताल की आंतरिक पुनर्संज्ञा	149.91	0.00	0.00	0.00	10.00
48	झारसुगुडा में औषधालय, शाखा कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
49	जीवीमेटला में क.रा.बी. औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र तथा स्टाफ आवास	25.90	0.00	2.20	2.20	0.00
50	अंकलेश्वर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	92.87	0.78	1.00	1.78	0.00
51	पेरीनाडु, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.33	0.20	0.00	0.20	0.00
52	कोलाबा, मुंबई में आदर्श औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र तथा औषधालय	16.92	0.00	1.59	1.59	0.00
53	वाशी, मुंबई में क.रा.बी. अस्पताल की पुनर्संज्ञा/विस्तार तथा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	140.11	0.00	10.00	10.00	5.00
54	कुलाशेखरपुरम, केरल में 02 चिकित्सकों के औषधालय का निर्माण	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
55	विलाकुड़ी, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.20	0.005	0.00	0.005	0.00
56	वडावतूर, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.95	0.23	0.00	0.23	0.00
57	कदम्पानन्दु, केरल में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.34	0.04	0.00	0.04	0.00
58	सिलीगुड़ी (मतीगरा), कोलकाता में क.रा.बी. निगम औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	3.72	0.00	0.40	0.40	0.00
59	जगतपुर में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
47	Face lifting interior of Sector-24, NOIDA Hosp.	149.91	0.00	0.00	0.00	10.00
48	Construction of Disp., Branch Office & Staff Qtr. At Jharsuguda	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
49	ESI Disp., cum Diagnostic centre & Staff housing at Jeedimetla	25.90	0.00	2.20	2.20	0.00
50	Construction of 100 Bedded Hosp. at Ankleshwar	92.87	0.78	1.00	1.78	0.00
51	Constn. Of 3Drs.Disp. at Perinadu, Kollam, Kerala	2.33	0.20	0.00	0.20	0.00
52	MDDC & Disp. at Colaba, Mumbai	16.92	0.00	1.59	1.59	0.00
53	Face lifting/expansion of ESI Hospital and Construction of Dental College, Vashi, Mumbai	140.11	0.00	10.00	10.00	5.00
54	Construction of 2 Dr. Disp. At Kulasekharapuram, Kerala	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Construction of 2 Dr. Disp. At Vilakudy Kerala	2.20	0.005	0.00	0.005	0.00
56	Construction of 2 Dr. Disp. At Vadavathur Kerala	1.95	0.23	0.00	0.23	0.00
57	Construction of 5 Dr. Disp. At Kadampanandu Kerala	2.34	0.04	0.00	0.04	0.00
58	Construction of Dispensary and Branch Office for ESIC Atsiliguri (Matigara) Kolkata	3.72	0.00	0.40	0.40	0.00
59	Construction of 2 Dr. Disp. & Branch Office at Jagatpur	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
60	केंद्रीय चिकित्सा भंडार, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली का निर्माण एवं नवीकरण	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
61	नरेला में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	21.03	0.00	10.00	10.00	10.00
62	रोहिणी में एसटीपी एवं ईटीपी	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
63	ऑटो नगर, विजयवाड़ा में क.रा.बी. औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.37	0.00	0.40	0.40	0.40
	कुल (अस्पताल/औषधालय)	2032.76	36.00	85.54	121.54	78.45
ग. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों का निर्माण/नवीकरण/उन्नयन						
64	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा का निर्माण	25.80	0.00	0.61	0.61	0.00
65	आदर्श नगर, हैंदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय का नवीकरण/ पुनर्संज्ञा/सुधार	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
66	क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का नवीकरण/आशोधन	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
67	क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा का नवीकरण	8.11	0.00	0.10	0.10	0.10
68	क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरु की पुनर्संज्ञा	18.62	0.00	2.25	2.25	0.00
69	शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल का निर्माण	5.56	0.00	1.48	1.48	0.00
70	कोल्लम, केरल में शाखा कार्यालय का निर्माण	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71	वलुज, औरंगाबाद में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	5.23	0.00	0.24	0.24	0.00
72	चिंचवाड़ (पुणे) में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	12.97	0.00	0.43	0.43	0.00
73	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिबेवाड़ी, पुणे की पुनर्संज्ञा	25.91	0.00	0.08	0.08	0.00
74	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	11.06	0.00	0.04	0.04	0.00
75	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मुंबई	13.38	0.00	1.43	1.43	0.00
76	उप क्षेत्रीय कार्यालय, चिकलथाना, औरंगाबाद का नवीकरण	15.24	0.00	0.09	0.09	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
60	Construction of Central Medical Store & Refurbishment, D(M)D	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Construction of ESI Dispensary at Narela	21.03	0.00	10.00	10.00	10.00
62	STP & ETP at Rohini	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
63	Construction of ESI Dispensary & B.O at Autonagar, Vijaywada	6.37	0.00	0.40	0.40	0.40
Total (Hosp/Disp.)		2032.76	36.00	85.54	121.54	78.45
C. CONSTRUCTION/RENOVATION/UPGRADATION OF Ros / SROs and Bos						
64	Construction of SRO Vijayawada	25.80	0.00	0.61	0.61	0.00
65	Renovation/facelifting/uplifting of RO at Adarsh Nagar, Hyderabad	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Renovation/Modification of ESIC Regional Office, Chandigarh.	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Renovation of RO Panjim, Goa	8.11	0.00	0.10	0.10	0.10
68	Face lifting RO Bangalore	18.62	0.00	2.25	2.25	0.00
69	Construction of branch office Ernakulam Kerala	5.56	0.00	1.48	1.48	0.00
70	Construction of Branch Office at Kollam Kerala	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Construction of Branch office & Disp. Waluj Aurangabad	5.23	0.00	0.24	0.24	0.00
72	Construction of Branch Office & Disp.Chinchwad (Pune)	12.97	0.00	0.43	0.43	0.00
73	Face Lifting of SRO Bibewadi (Pune)	25.91	0.00	0.08	0.08	0.00
74	SRO Nagpur	11.06	0.00	0.04	0.04	0.00
75	SRO Thane, Mumbai	13.38	0.00	1.43	1.43	0.00
76	Renovation of SRO Chikalthana Aurangabad	15.24	0.00	0.09	0.09	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(` करोड़ में)

77	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई का नवीकरण	11.62	0.00	0.21	0.21	0.00
78	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के भवन का नवीकरण और पुनर्संज्ञा	10.20	0.20	0.00	0.20	0.00
79	क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी का नवीकरण	6.41	0.01	0.00	0.01	0.00
80	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की पुनर्संज्ञा	16.31	0.00	1.10	1.10	1.10
81	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की पुनर्संज्ञा	31.62	0.00	3.19	3.19	0.00
82	क.रा.बी. कॉलोनी, सेक्टर-56, नोएडा में स्टाफ क्वार्टर की पुनर्संज्ञा और नवीकरण	20.05	1.89	2.00	3.89	16.00
83	सॉल्टलेक, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण	69.06	0.00	10.00	10.00	5.00
84	क.रा.बी. आवासीय परिसर, जी.बी.सॉल्टलेक, कोलकाता में ऐसे एन टाइप क्वार्टर्स का आंतरिक नवीकरण, मरम्मत और पेंटिंग	10.69	0.60	0.00	0.60	0.00
85	उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली, कर्नाटक का निर्माण	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00
86	क.रा.बी. निगम डेटा केंद्र, रोहिणी	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
87	कुल ग =	380.47	2.70	23.90	26.60	22.21
88	कुल क+ख+ग =	12,644.70	155.80	299.31	455.11	291.66

नई परियोजनाएं अस्पताल एवं औषधालय

1	रुद्रपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	97.72	19.08	20.00	39.08	20.00
2	हरिद्वार में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	95.00	0.25	0.00	0.25	0.00
3	देहरादून में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	5.64	1.12	3.94	5.06	3.94
4	पट्टियाला में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र तथा शाखा कार्यालय	7.12	0.00	0.00	0.00	5.12
5	मापुसा में 06 बिस्तरों वाले, मडीडीसी एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	100.00	0.00	20.00	20.00	40.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
77	Renovation of SRO Marol, Mumbai	11.62	0.00	0.21	0.21	0.00
78	Renovation & Facelifting of RO Building at Bhubaneswar	10.20	0.20	0.00	0.20	0.00
79	Renovation of RO Puducherry	6.41	0.01	0.00	0.01	0.00
80	Face Lifting RO Jaipur	16.31	0.00	1.10	1.10	1.10
81	Face lifting RO Chennai	31.62	0.00	3.19	3.19	0.00
82	Renovation and refurbishment of staff qrts. At ESI Colony Sector-56, NOIDA	20.05	1.89	2.00	3.89	16.00
83	Construction of RO at Salt Lake Kolkata	69.06	0.00	10.00	10.00	5.00
84	Internal Renovation Repairing & Painting of A to N type Staff quarters at ESI Housing complex GB Salt Lake,Kolkata	10.69	0.60	0.00	0.60	0.00
85	Construction of SRO Hubli, Karnataka	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00
86.	ESIC Data Centre Rohini	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
TOTAL.C =		380.47	2.70	23.90	26.60	22.21
TOTAL.A+B+C=		12,644.70	155.80	299.31	455.11	291.66
NEW PROJECTS HOSPITALS AND DISPENSARIES						
1	100 Bedded Hospital at Rudrapur	97.72	19.08	20.00	39.08	20.00
2	100 Bedded Hospital at Haridwar	95.00	0.25	0.00	0.25	0.00
3	Model Dispensary and Diagnostic Centre with 06 beds and B.O at Pydibhimavaram	5.64	1.12	3.94	5.06	3.94
4	Construction of MDDC with 06 beds and B.O at Mapusa	7.12	0.00	0.00	0.00	5.12
5	Construction of 100 bedded ESI Hospital Staff Qts. And SRO Building at Surat	100.00	0.00	20.00	20.00	40.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
6	सूरत में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल स्टाफ क्वार्टर्स एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	79.93	25.00	13.85	38.85	40.00
7	डोडाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	81.38	0.00	05.00	05.00	40.00
8	उदयपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	77.79	6.00	8.00	14.00	0.00
9	आदित्यपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	75.88	9.41	15.00	24.41	32.00
10	बेलतला में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	17.00	17.00	40.00
11	इंदौर में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	200.00	0.25	20.00	20.25	70.00
12	बाल्टीकुरी में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	187.37	38.48	30.00	68.48	22.00
13	रांची में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.80	0.00	15.00	15.00	07.00
14	आसनसोल में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का 150 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन	30.23	5.00	10.00	15.00	7.00
15	बोम्मसंद्रा में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
16	नागपुर में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	175.00	0.00	5.00	5.00	50.00
17	उत्तरी गोवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18	कोरबा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.31	10.29	10.00	20.29	5.00
19	अंगुल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	64.47	12.94	7.00	19.94	5.35
20	हल्दिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	57.15	16.50	10.50	27.00	25.00
21	बिबेवाडी पुणे में वर्तमान अस्पताल की पुनर्संज्ञा एवं 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों में उन्नयन	53.86	5.00	10.00	15.00	10.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
6	Construction of 100 Bedded Hospital at Raipur	79.93	25.00	13.85	38.85	40.00
7	Construction of 100 Bedded Hospital at Doddaballapur	81.38	0.00	05.00	05.00	40.00
8	Construction of 100 Bedded Hospital at Udaipur	77.79	6.00	8.00	14.00	0.00
9	Construction of 100 Bedded Hospital at Adityapur	75.88	9.41	15.00	24.41	32.00
10	Construction of 100 Bedded Hospital at Beltola	100.00	0.00	17.00	17.00	40.00
11	Construction of 300 Bedded Hospital at Indore	200.00	0.25	20.00	20.25	70.00
12	Construction of 300 Bedded Hospital at Baltikuri	187.37	38.48	30.00	68.48	22.00
13	Construction of 100 Bedded Hospital at Ranchi	71.80	0.00	15.00	15.00	07.00
14	Upgradation of 100 Bedded to 150 bedded Hospital at Asansol	30.23	5.00	10.00	15.00	7.00
15	Construction of 200 Bedded Hospital at Bommasandra	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
16	Construction of 200 Bedded Hospital at Nagpur	175.00	0.00	5.00	5.00	50.00
17	Construction of 100 Bedded Hospital at North Goa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18	Construction of 100 Bedded Hospital at Korba	56.31	10.29	10.00	20.29	5.00
19	Construction of 100 Bedded Hospital at Angul	64.47	12.94	7.00	19.94	5.35
20	Construction of 100 Bedded Hospital at Haldia	57.15	16.50	10.50	27.00	25.00
21	Upgradation from 50 to 100 beds and renovation of Existing Hospital at Bibgewadi, Pune	53.86	5.00	10.00	15.00	10.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
22	विशाखपट्टणम में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	400.00	0.00	5.00	5.00	50.00
23	विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	80.00	0.00	14.00	14.00	40.00
24	सिलीगुड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	59.47	5.95	10.00	15.95	40.00
25	फुलवारीशरीफ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	50.87	6.05	5.95	12.00	36.00
26	डुबरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	70.00	0.00	0.00	0.00	20.00
27	50 अतिरिक्त बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर का उद्धर्वाधर विस्तार	28.61	10.82	4.00	14.82	0.00
28	भुवनेश्वर में 150 बिस्तरों वाले अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	भिलाई में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	114.88	0.00	20.00	20.00	40.00
30	रायबरेली में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27	0.65	1.18	1.83	0.22
31	पनकी में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.33	0.55	1.32	1.87	0.23
32	गोरखपुर में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	नंजगुड में एमडीडीसी का निर्माण	8.65	0.00	2.25	2.25	0.00
34	इनाथु में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.50	0.50	2.25
35	कोरेटी में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.50	0.50	2.25
36	सनत नगर में बाह्य रोगी विभाग का निर्माण	100.00	0.00	5.00	5.00	50.00
37	आश्रमम, कोल्लम में आदर्श अस्पताल का उद्धर्वाधर विस्तार	40.00	0.00	0.50	0.50	20.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
22	Construction of 500 Bedded Hospital at Vishakhapatnam	400.00	0.00	5.00	5.00	50.00
23	Construction of 100 Bedded Hospital at Vizianagaram	80.00	0.00	14.00	14.00	40.00
24	Construction of 100 Bedded Hospital at Siliguri	59.47	5.95	10.00	15.95	40.00
25	Construction of 100 Bedded Hospital at Phulwasharif	50.87	6.05	5.95	12.00	36.00
26	Construction of 100 Bedded Hospital at Dubri	70.00	0.00	0.00	0.00	20.00
27	Vertical Extension of ESI Hospital Durgapur for additional 50 beds	28.61	10.82	4.00	14.82	0.00
28	Construction of 150 bedded Super Specialty Hospital at Bhubaneswar	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Construction of 100 Bedded Hospital at Bhilai	114.88	0.00	20.00	20.00	40.00
30	Construction of ESI Dispensary & B.O at Raibareilly	2.27	0.65	1.18	1.83	0.22
31	Construction of ESI Dispensary & B.O at Panki	2.33	0.55	1.32	1.87	0.23
32	Construction of ESI Dispensary & B.O at Gorakhpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Construction of MDDC at Nanjagud	8.65	0.00	2.25	2.25	0.00
34	Construction of 5 Dr. Dispensary at Enathu	2.50	0.00	0.50	0.50	2.25
35	Construction of 2 Dr. Dispensary at Korratty.	2.50	0.00	0.50	0.50	2.25
36	Construction of new OPD block at Sanath Nagar	100.00	0.00	5.00	5.00	50.00
37	Vertical Extension of Model Hospital at Asramam, Kollam	40.00	0.00	0.50	0.50	20.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
38	हुबली के अस्पताल भवन में अतिरिक्त 50 बिस्तरों का निर्माण	25.0	0.00	2.50	2.50	20.00
39	रायगढ में 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	84.00	12.00	20.00	32.00	42.00
40	आबू-रोड में 2 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
41	वाराणसी में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	21.48	30.00	51.48	10.00
42	पंचकुला में क.रा.बी. औषधालय–सह–शाखा कार्यालय का निर्माण	4.00	0.25	1.50	1.75	3.00
43	पंचकुला में निवेशक कार्यालय का निर्माण	4.00	0.25	1.50	1.75	3.00
44	कुंडैन में 2 चिकित्सक वाले अस्पताल का निर्माण	3.00	0.00	0.25	0.25	1.00
45	सेलाकुई में 3 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	6.50	0.00	0.25	0.25	2.00
46	मयूर विहार में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	50.00	0.25	0.00	0.25	30.00
47	आइएमटी मानेसर में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.49	0.00	0.50	0.50	1.00
48	अलवर में 6 बिस्तर के साथ 4 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00
49	बेरोड़ में 3 चिकित्सक वाला औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00
50	सीतापुरा, जयपुर में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
51	नीमराणा में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
52	क.रा.बी. औषधालय राजपुरा, कानपुर	1.84	0.50	0.50	1.00	0.50
53	क.रा.बी. औषधालय नवाबगंज, कानपुर	1.96	0.19	0.30	0.49	0.10

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
38	Construction of additional 50 bedded Hospital Building at Hubli.	25.0	0.00	2.50	2.50	20.00
39	Construction of 100 bedded Hospital at Raigarh	84.00	12.00	20.00	32.00	42.00
40	Construction of 2 Dr. Dispensary and B.O at Abu- Road	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
41	Construction of 150 bedded Hospital at Varanasi	141.98	21.48	30.00	51.48	10.00
42	Construction of ESI Dispensary at & BO at Panchkula	4.00	0.25	1.50	1.75	3.00
43	Construction of Director Office at Panchkula	4.00	0.25	1.50	1.75	3.00
44	Construction of 2 Doctor Dispensary at Kundain	3.00	0.00	0.25	0.25	1.00
45	Construction of 3 Doctor Dispensary & BO at Selaqui	6.50	0.00	0.25	0.25	2.00
46	Construction of ESI Dispensary at Mayur Vihar	50.00	0.25	0.00	0.25	30.00
47	Construction of 5 Dr. Dispensary with 6 beds at IMT Manesar	1.49	0.00	0.50	0.50	1.00
48	Construction of 4 Dr. Dispensary with 6 beds and staff quarters at Alwar	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00
49	3 Dr. Dispensary and Staff Qrters at Behor	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00
50	5 dr. Disp. With 6 beds and staff qtr. at Sitapura, Jaipur	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
51	5 Dr. Disp. With 6 beds and staff qtr. At Neemrana	4.00	0.00	2.00	2.00	5.00
52	ESI Dispensary Rajpurwa, Kanpur	1.84	0.50	0.50	1.00	0.50
53	ESI Dispensary Nawabganj, Kanpur	1.96	0.19	0.30	0.49	0.10



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं रथान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
54	क.रा.बी. औषधालय मोदी नगर	1.26	0.00	0.13	0.13	0.13
55	क.रा.बी. औषधालय मिर्जापुर	0.65	0.00	0.10	0.10	0.09
56	क.रा.बी. औषधालय छिपतोला, आगरा	1.14	0.00	0.20	0.20	0.10
57	काला अम्ब, हिमाचल प्रदेश में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल (100 बिस्तरों वाले अस्पताल में विस्तार योग्य)	50.00	0.00	0.25	0.25	30.00
58	काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	40.00
59	शिवमोगा, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	40.00
60	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, बिहटा, पटना में संबंद्ध सेवाओं एवं पीछे वाली सड़क का निर्माण	4.50	0.00	1.50	1.50	3.00
61	एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रैम्प का निर्माण	15.00	0.00	1.00	1.00	14.00
62	चलापुरम, कोषिकोड, केरल में क.रा.बी. निगम औषधालय, आरडीडी कार्यालय (एनडी) का निर्माण और सबस्टेन	8.00	0.00	1.00	1.00	7.00
63	तिरुपुर, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
64	क.रा.बी.निगम अस्पताल, गुडगांव, हरियाणा में सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटट्ट्वेसटीपीक्र एवं अवशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का निर्माण	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75
65	बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
66	बावल, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का (वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित) निर्माण	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
54	ESI Dispensary Modinagar	1.26	0.00	0.13	0.13	0.13
55	ESI Dispensary, Mirzapur	0.65	0.00	0.10	0.10	0.09
56	ESI Dispensary Chhiptola, Agra	1.14	0.00	0.20	0.20	0.10
57	Construction of 30 Bedded ESI Hospital (Expandable to 100 bedded) at Kala Amb,HP	50.00	0.00	0.25	0.25	30.00
58	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Kakinada, A.P.	90.00	0.00	10.00	10.00	40.00
59	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Shivamogga, Karnataka.	90.00	0.00	10.00	10.00	40.00
60	Construction of back side Road and allied services at ESIC Medical Collee and Hospital Bihta,Patna	4.50	0.00	1.50	1.50	3.00
61	Construction of Ramp is ESIC Medical College and Hospital at NIT, Faridabad,Haryana	15.00	0.00	1.00	1.00	14.00
62	Construction of ESIC Dispensary, RDD office(ND) and sub stone at Chalapuram, Kozhikode, kerala	8.00	0.00	1.00	1.00	7.00
63	Construction of 100 Bedded ESI Hospital at Tirupur, TN	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
64	Construction of STP & ETP at ESIC Hospital Gurgaon, Haryana	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75
65	Construction (including A&E Services) of 100 bedded ESI Hospital at Bahadurgarh, Haryana	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00
66	Construction (including A&E Services) of 100 bedded ESI Hospital atBawal, Haryana	90.00	0.00	10.00	10.00	30.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2019 से 30.09.2019 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2019 से 31.03.2020 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` करोड़ में)						
67	गया, बिहार में चारदीवारी सहित औषधालय—सह—शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) का वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित निर्माण करने के लिए पीएमसी	5.00	0.00	1.00	1.00	4.00
	कुल	3,661.05	208.26	423.22	631.48	1,153.53
	सकल योग	16,305.75	364.06	722.53	1,086.59	1,445.19

क.रा.श्री.निगम चिकित्सा महाविद्यालय – के.के.नगर, राजाजी नगर, सनत नगर, गुलबर्गा, जौका, फरीदाबाद

राज्य सरकारों को हस्तारित चिकित्सा महाविद्यालय – पेरिपल्ली, कोयम्बटूर, मंडी

क.रा.श्री.निगम स्नातकोत्तर संस्थान – बराईदारापुर, अंधेरी, केके नगर, राजाजी नगर, मानिकतला (जौका)

क.रा.श्री.निगम देव महाविद्यालय – गुलबर्गा, रोहिणी

क.रा.श्री.निगम परिचर्या महाविद्यालय – इंदिरानगर, गुलबर्गा



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2019 to 30.9.2019	Fund requirement from 1.10.2019 to 31.3.2020	Revised Estimates 2019-2020 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(` in crore)						
67	PMC for Construction including A&E Services for construction of Dispensary cum Branch office (DCBO) including Boundary wall at Gaya, Bihar	5.00	0.00	1.00	1.00	4.00
	Total	3,661.05	208.26	423.22	631.48	1,153.53
	GRAND TOTAL	16,305.75	364.06	722.53	1,086.59	1,445.19

ESIC Medical Colleges – K K Nagar, Rajaji Nagar, Sanat Nagar, Gulbarga, Joka, Faridabad.

Medical Colleges handed over to State Governments – Paripalli, Coimbatore, Mandi

ESIC PG Institutes – Basaidarapur, Andheri, K K Nagar, Rajaji Nagar, Maniktala (Joka)

ESIC Dental Colleges – Gulbarga, Rohini

ESIC Nursing Colleges – Indiranagar, Gulbarga

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



निष्पादन बजट

PERFORMANCE BUDGET

2020-2021



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2020–2021 का निष्पादन बजट

1. भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है।

2. व्याप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति वेतन पर नियोजित हों। समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के पास अधिनियम के उपबंधों का स्थापनाओं के अन्य वर्गों—औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करने की शक्तियाँ हैं। इन उपबंधों के अंतर्गत, राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का दुकानों, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमाओं, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन उपकरणों तथा समाचार पत्र स्थापनाओं पर विस्तार किया है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कई राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का उनके राज्यों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों तक विस्तार किया है। फिलहाल, ` 21,000/- प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.योजना के अधीन आते हैं (01.01.2017 से प्रभावी)।

3. मुख्य उद्देश्य :

क.रा.बी. योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के अलावा बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार चोट के मामले में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा और नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु के मामले में आश्रितजन हितलाभ भी उपलब्ध कराती है।

कारखानों आदि के बंद होने के कारण हुई बेरोजगारी के दौरान बेरोजगारी भत्ता तथा चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक एक नकद हितलाभ योजना शुरू की गई है।

दिनांक 01.07.2018 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कार्यान्वित है, जो 90 दिनों तक की मजदूरी के 25 प्रतिशत की दर से, अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा कदाचार के लिए दंड के अलावा किसी कारणवश हुई बेरोजगारी के मामले में जीवनभर में एक बीमाकृत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे राहत देय है।

जहां कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन अपने दायित्व से दोषमुक्त हो जाते हैं।

4. प्रशासन :

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक निगमित निकाय द्वारा चलाई जाती है। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् भी है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PERFORMANCE BUDGET 2020-2021

1. INTRODUCTION

The Employees' State Insurance Corporation has been established under the Employees' State Insurance Act, 1948.

2. COVERAGE

The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to all factories employing 10 or more persons for wages. The appropriate Government (Central or State) is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions, the appropriate Governments have extended the provisions of the Act to shops, cinemas including preview theatres, hotels, restaurants, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more persons. Most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to the medical and educational institutions established in their State. At present, the ESI Scheme covers employees drawing wages upto ` 21,000/- (w.e.f. 01.01.2017).

3. PRINCIPAL OBJECTIVE :

The ESI Scheme provides medical and cash benefits to insured persons in case of sickness, maternity, and employment injury and also dependent benefit in case of death due to employment injury besides providing medical care to insured person and their families.

A cash benefit scheme, named as Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna, is in force w.e.f. 1.4.2005 to provide unemployment allowance and medical benefit during unemployment arising out of closure of factories etc.

From 01.07.2018, the Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna has been implemented, which is a once in a life time relief payable directly to the Bank account of IPs in case of unemployment for any reason except superannuation, voluntary retirement and punishment for misconduct, @ 25 % of wages up to 90 days.

Wherever the ESI Scheme has been implemented, the employers are absolved of their liability under the Workmen's Compensation Act, 1923 and the Maternity Benefit Act, 1961.

4. ADMINISTRATION:

The scheme is administered by a corporate body called the Employees' State Insurance Corporation. It has members representing employers, employees, the medical profession, the Central and State Governments and the Parliament. The Standing Committee, constituted from amongst the members of the Corporation, acts as the Executive Body. There is also a Medical Benefit Council to advise the Corporation in matters connected with the provision of medical benefit.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

5. चिकित्सा सेवाएं :

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में निगम सीधे चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करा रहा है।

निगम ने आंचलिक आधार पर बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों की स्थापना की है। व्यावसायिक रोग केन्द्रों के संचालन पर होने वाला समस्त व्यय क.रा.बी. निगम ही वहन करता है।

निगम ने अधिकतर राज्यों में आदर्श अस्पताल भी स्थापित किए हैं/एक अर्थवा अधिक अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर सीधे चला रहा है। आदर्श अस्पताल राज्यों में अन्य क.रा.बी. योजना अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक बैंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आगे, राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी, क्योंकि इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है, जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख सेवाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होता है। निगम ने योजना के लाभार्थियों को निगम अस्पतालों में ही दिया जाने वाला अति विशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सनत नगर, हैदराबाद में अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में निगम के 45 आदर्श/क.रा.बी. निगम अस्पताल (व्यावसायिक रोग केन्द्रों सहित) हैं, जिनकी सूची निम्नवत्त है :-

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	राज्य	बिस्तरों की संख्या
1.	बेलतला	असम	70
2.	आश्रमम	केरल	232
3.	राऊरकेला	ओडिशा	50
4.	लुधियाना	पंजाब	262
5.	राजाजीनगर	कर्नाटक	500
6.	बापू नगर	गुजरात	250
7.	नाचाराम	आंध्र प्रदेश	200
8.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	50
9.	नामकुम	झारखण्ड	50
10.	फुलवारीशरीफ	बिहार	50
11.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	70
12.	नोएडा	उत्तर प्रदेश	300
13.	जोका व्यावसायिक रोग केन्द्र	पश्चिम बंगाल	470
14.	नंदा नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	मध्य प्रदेश	300
15.	के.के. नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	तमिलनाडु	470
16.	ओखला	दिल्ली	167
17.	झिलमिल	दिल्ली	300
18.	रोहिणी	दिल्ली	300
19.	बसईदारापुर व्यावसायिक रोग केन्द्र	दिल्ली	600
20.	अंधेरी व्यावसायिक रोग केन्द्र	महाराष्ट्र	325
21.	आदित्यपुर	झारखण्ड	50
22.	उद्योगमंडल	केरल	100
23.	पेरीपल्ली	केरल	0



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

5. MEDICAL SERVICES

Under the ESI Scheme, it is the responsibility of the State Governments to provide medical services to the insured persons and their families as per Section 58 of the ESI Act, 1948. However, in Delhi and NOIDA (U.P.), the Corporation is providing medical care directly.

The Corporation has set up Occupational Disease Centres (ODC) on zonal basis at Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (West Bengal), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.) and Andheri (Mumbai). The entire expenditure on running of these ODCs is borne by the ESI Corporation.

The Corporation has also set up a Model Hospital/taken over one or more hospital in most of the States and runs them directly. The model hospitals are expected to serve as a benchmark for up gradation of other ESIS hospitals in the States. Further, the State Govts. will also be benefited as the entire expenditure on running these hospitals is borne by the Corporation over and above the amount paid to the State Governments on account of cost of medical care services under ESI Scheme. The Corporation has also constructed super specialty hospital at Sanath Nagar, Hyderabad for providing in-house super specialty treatment to the beneficiaries of the Scheme. The Corporation now has 45 model/ESIC hospitals (including ODCs) in various states as listed below.

S.No.	Hospital Name	State	No of beds
1	Beltola	Assam	70
2	Ashramam	Kerala	232
3	Rourkela	Odisha	50
4	Ludhiana	Punjab	262
5	Rajajinagar	Karnataka	500
6	Bapunagar	Gujarat	250
7	Nacharam	Telangana	200
8	Jammu	J&K	50
9	Namkum	Jharkhand	50
10	PhulwariSharif	Bihar	50
11	Chandigarh	Chandigarh	70
12	Noida	UP	300
13	JokaODC	West Bengal	470
14	Nandanagar ODC	M.P	300
15	K.K.Nagar ODC	T.N	470
16	Okhla	Delhi	167
17	Jhilmil	Delhi	300
18	Rohini	Delhi	300
19	Basaidarapur ODC	Delhi	600
20	Andheri ODC	Maharashtra	325
21	Adityapur	Jharkhand	50
22	Udyogmandal	Kerala	100
23	Paripally	Kerala	0



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	राज्य	बिस्तरों की संख्या
24.	नरोड़ा	गुजरात	50
25.	एषुकोण	केरल	150
26.	सनत नगर	आंध्र प्रदेश	470
27.	गुडगाँव	हरियाणा	150
28.	जयपुर	राजस्थान	254
29.	भिवाड़ी	राजस्थान	50
30.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	50
31.	बदूदी	हिमाचल प्रदेश	100
32.	मानेसर	हरियाणा	100
33.	पीण्या	कर्नाटक	100
34.	वापी	गुजरात	50
35.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु	220
36.	फरीदाबाद	हरियाणा	450
37.	जाजमउ	उत्तर प्रदेश	50
38.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	30
39.	साहिबाबाद	उत्तर प्रदेश	48
40.	सरोजनी नगर	उत्तर प्रदेश	75
41.	अंकलेश्वर	गुजरात	50
42.	बिबेवाड़ी	महाराष्ट्र	0
43.	अलवर	राजस्थान	40
44.	बरेली	उत्तर प्रदेश	52
45.	रुद्रपुर	उत्तराखण्ड	50

राज्य सरकारों को भुगतान :

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 31.07.2014 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में दिनांक 01.04.2015 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति उच्चतम सीमा को ` 150/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वृद्धि सहित ` 1,500/- से बढ़ाकर ` 2,000/- करने का निर्णय किया। उच्चतम सीमा की वृद्धि में राज्यों की ओर से वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा अति विशेषिता उपचार तथा अन्य व्यय का वहन शामिल है।

तत्पश्चात्, दिनांक 07.08.2015 को आयोजित क.रा.बी.निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशेषिता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2015 से बढ़ाई गई उच्चतम सीमा (अति विशेषिता उपचार व्यय सहित) को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका प्रयोग चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा राज्यों में नई पहलों कार्यान्वित करने हेतु किया जाएगा। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा उससे आगे ` 150/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि को वापस लिया गया। आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित पर निर्णय किया है :–

- क. वर्ष 2017–2018 के लिए प्रशासन के लिए ` 1,250/- तथा अन्य के लिए ` 1,750/- की उप उच्चतम सीमा सहित ` 2,150/- से ` 3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति को धारा 58(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में वृद्धि।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

S.No.	Hospital Name	State	No of beds
24	Naroda	Gujarat	50
25	Ezhukone	Kerala	150
26	Sanathnagar	Telangana	470
27	Gurgaon	Haryana	150
28	Jaipur	Rajasthan	254
29	Bhiwadi	Rajasthan	50
30	Tirunelveli	T.N	50
31	Baddi	H.P	100
32	Manesar	Haryana	100
33	Peenya	Karnataka	100
34	Vapi	Gujarat	50
35	Coimbatore	Tamil Nadu	220
36	Faridabad	Haryana	450
37	Jajmau	UP	50
38	Varanasi	UP	30
39	Sahibabad	UP	48
40	Sarojini Nagar	UP	75
41	Ankleshwar	Gujrat	50
42	Bibwewadi	Maharashtra	0
43	Alwar	Rajasthan	40
44	Bareilly	UP	52
45	Rudrapur	Uttarakhand	50

Payment to State Governments:

ESI Corporation in its 162nd meeting held on 31.07.2014 decided to increase per capita ceiling from ` 1,500 to ` 2,000 with an additional increase of ` 150 per Insured Person per year w.e.f. 01.04.2015 for a period of 5 (five) years. The increase of ceiling included the expenditure on super specialty treatment and other expenditure incurred by SSMC/ SMC on behalf of States.

Thereafter, ESI Corporation in its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation. It was also decided that the ceiling (including SST expenditure) increased from 01.04.2015 may not be rolled back as the same can be utilized for improving the medical services and implementing the new initiatives in the States. However, the annual increase of ` 150 per IP per year stands withdrawn w.e.f the financial year 2016-17 and onwards. Further, ESI Corporation in its 170th meeting held on 15.12.2016 has decided the following :

- a. Increase in per capita ceiling of sharing expenditure with State Govts. u/s 58 (3) from ` 2,150/- to ` 3,000/- per Insured Person with sub ceiling of ` 1,250/- for Administration and ` 1,750/- for Others for the year 2017-2018.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

- ख. वर्ष 2018–2019 से प्रशासनिक उप उच्चतम सीमा ` 3,000/- प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के समान बढ़ाई जाएगी।
- ग. ` 3,000/- की उच्चतम सीमा 2018–2019 से 2020–2021 तक निर्धारित की जाएगी तथा राज्यों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) तथा व्यय प्रतिरूप के आधार पर 2021–2022 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।
- घ. राज्य सरकार निगम के बजट में समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय–समय पर क.रा. बी. निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा वर्तमान वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।
- कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।
 - यदि ऐसी किसी योजना प्रस्तावित की जाती है, जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण की विधि के लिए क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।
 - किसी भी मद पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
 - महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।
- ड. 2019–2020 के लिए निधि, प्रथम तिमाही के लिए ` 2,150/- की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी की जाएगी। तथापि, वर्ष 2019–2020 के लिए पीआइपी परिशोधित उच्चतम सीमा अनुसार निधि जारी करने के लिए क.रा.बी. निगम को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- च. प्रस्तुत योजना को, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधिवत मॉनीटर किया जाएगा। दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को जारी पत्र संख्या वी–24/11/10/2001–चि.1 के अनुसार तिमाही आधार पर निधि जारी की जाएगी।
पूर्व में, निगम ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया था कि दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 70% अथवा अधिक अधिभोग दर्ज (रजिस्टर) करने वाले सभी क.रा.बी. योजना अस्पतालों के राज्यों के लिए उच्चतम सीमा राशि से ऊपर ` 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019–2020 तथा 2020–2021 के लिए प्रत्येक हेतु ` 60.00 करोड़ के लिए परिशोधित बजट तथा बजट प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया। दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, क.रा.बी.योजना के संचालन के संपूर्ण व्यय निर्धारित उच्चतम सीमा तक, वर्ष 2019–2020 के आरंभ में तीन वर्षों तक क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किए जाएंगे। तदनुसार, निगम ने निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को व्यय का 100% की प्रतिपूर्ति देने हेतु प्रावधान किया है, राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में किया जाता है तथा बकाया 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जाता है। वर्ष 2019–2020 तथा 2020–2021 के लिए क्रमशः ` 4162.17 करोड़ तथा ` 4,525.47 करोड़ हेतु परिशोधित प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया है।

6. वित्त : अंशदान का युक्तिकरण

क.रा.बी.योजना का वित्त पोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दर को केंद्रीय सरकार द्वारा क.रा.बी. (केंद्रीय) विनियमावली 1950 के नियम 51 में संशोधन की अधिसूचना द्वारा दिनांक 1.7.19 से क्रमशः 3.25% एवं 0.75% के परिशोधित किया गया। ` 176/- प्रतिदिन तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी अंशदान के कर्मचारी के भाग का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

- b. From 2018-19 Administrative sub-ceiling has been increased in line with CPI within the overall ceiling of ` 3,000/- per capita.
- c. The ceiling of ` 3,000/- will be fixed from 2018-2019 to 2020-2021 and reviewed annually from 2021-2022 on the basis of WPI and expenditure pattern of the States.
- d. The State Govt. shall present Project Implementation Plan (PIP) in accordance with the guidelines issued by ESI Corporation from time to time, by 31st October every year for the next financial year for its inclusion of the Budget of the Corporation. The PIP should contain the proposal for next financial year and the progress made during the first six months of the current year.
 - i) No scheme should be included which has not been duly approved by the ESIC.
 - ii) Should it be proposed, during the course of a financial year, to finance any scheme which has not been included in the estimates of that year, the sanction of the ESIC shall be obtained to the method for financing it.
 - iii) The funds shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been approved.
 - iv) The Director General, ESI Corporation may be authorised to re-appropriate funds from one primary unit of appropriation to another.
- e. Funds for 2019-2020, will be released as per current ceiling of ` 2,150/- for the first quarter. However, the PIPs for the year 2019-20 should be submitted by 31st March, 2019 to the ESIC for release of fund as per revised ceiling.
- f. The plan submitted would be duly monitored by ESI Corporation for effective implementation. The funds shall be released on quarterly basis in accordance with the letter No.V-24/11/10/2001-Med.I issued on 19th April, 2016.

Earlier, the Corporation in its meeting held on 15th December, 2011 has approved an additional incentive of ` 200/- per IP, to be borne by ESIC, over the ceiling amount to those states in which all the ESIS hospitals register an occupancy of 70% or more during a given financial year. For this purpose, the Revised Budget and Budget Estimate for ` 60.00 Crore each have been proposed for the years 2019-2020 and 2020-2021 respectively. As per the decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.2.19, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, shall be borne by the ESIC for three years starting from 2019-20. Accordingly, the Corporation has made provision for reimbursement of 100 % expenditure to the State Governments up to the prescribed ceiling, paying 90% of the amount in advance and the balance 10% on receipt of 'Audit Certificate' from the concerned State Accountant General. Revised Estimates and Budget Estimates for ` 4,162.17 Crore and ` 4,525.47 Crore have been proposed for the year 2019-2020 and 2020-2021 respectively.

6. FINANCE : Rationalisation of Contribution

The ESI Scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employers and employees was revised to 3.25% and 0.75% respectively from 1.7.19 by notification of an amendment to Rule 51 of the ESI (Central) Rules 1950 by the Central Govt. Employees earning wages upto ` 176/- per day are not required to pay employee's share of contribution, effective 06.09.2019.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

निगम को केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (25) (क) के तहत कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

7. योजना का विस्तार

वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान योजना को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है जिसमें 2.86 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों की व्याप्ति की जाएगी। वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में व्याप्त किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 2.89 लाख है। व्याप्त कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखरेख के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को पैरा 7.2 पर प्रस्तुत विवरण में तालिकाबद्ध किया गया है।

दिनांक 31.3.2020 को कर्मचारियों की संख्या 316.87 लाख अनुमानित है, जबकि इसकी तुलना में दिनांक 31.3.2019 को कर्मचारियों की संख्या 314.01 लाख थी। दिनांक 31.03.2021 को तदनुरूपी संख्या 319.76 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य) परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 1,381.82 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 1,407.38 लाख होने का अनुमान है।

7.1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन व्याप्ति, कर्मचारियों की मजदूरी सीमा द्वारा विनियमित की जाती है। पांचवें दशक के आरंभ में, कर्मचारियों की व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा ` 400/- प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। लक्षित कर्मचारियों द्वारा अर्जित की जाने वाली मजदूरी में समय–समय पर बढ़ोतरी होने के कारण कर्मचारी राज्य बीमा व्याप्ति के लिए निर्धारित मजदूरी सीमा में समय–समय पर बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद, भारी संख्या में, कर्मचारी इस योजना से बाहर होते रहे हैं। निगम ने 01.01.1997 से मजदूरी सीमा परिशोधित करके ` 6,500/- प्रतिमाह, 01.04.2004 से मजदूरी सीमा ` 7,500/- प्रतिमाह, 01.10.2006 से ` 10,000/- प्रतिमाह तथा 01.05.2010 से ` 15,000/- प्रतिमाह तथा 01.01.2017 से पुनः इसे बढ़ाकर ` 21,000/- प्रतिमाह कर दिया है। नियोक्ता तथा कर्मचारी अंशदान की दरें भी 01.01.1997 से 4% तथा 1.5% से बढ़ाकर क्रमशः 4.75% तथा 1.75% कर दी गई हैं। परंतु अब 01.07.2019 से घटाकर क्रमशः 3.25% और 0.75% कर दिया है। मजदूरी सीमा तथा अंशदान की दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य यह है कि (क) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति जो पूर्व में मजदूरी बढ़ने के कारण योजना से बाहर हो गए थे उन्हें पुनः योजना में शामिल करना, (ख) निगम का वित्तीय आधार सुदृढ़ करना ताकि पणधारियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप योजना के अधीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

7.2 निष्पादन और सुपुर्द कार्य से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े निम्नानुसार समाविष्ट हैं :–

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	314.01	316.87	319.76
2.	चिकित्सा देखरेख के हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	349.67	356.13	362.27
3.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है (लाखों में)			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	904.37	912.60	920.90
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	1,356.72	1,381.82	1,407.38
4.	(क) निर्मित अस्पतालों की संख्या			
	सामान्य	146	152	154
	क्षय रोग	8	8	8



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

The Corporation does not receive any financial assistance from the Central Government. The income of the Corporation, received by way of contributions from employer & employees is exempted from payment of tax under Sec 10 (25) (A) of the Income Tax Act, 1962.

7. EXTENSION OF SCHEME

During the Financial Year 2019-2020, the scheme is proposed to be extended to more areas covering additional 2.86 lakhs employees. In the Budget Estimates for 2020-2021, the additional number of employees estimated to be covered is 2.89 lakhs. Number of employees covered and number of Insured Persons entitled to medical care are tabulated in the statement placed at para 7.2.

It is expected that the number of employees as on 31.3.2020 will be 316.87 lakhs corresponding to 314.01 lakhs employees on 31.03.2019. The corresponding figures for 31.3.2021 is estimated to be 319.76 lakhs. The total number of beneficiaries (insured persons and their family members) for medical benefit is estimated at ` 1,381.82 lakhs in the Revised Estimates 2019-2020 and ` 1,407.38 lakhs in Budget Estimates 2020-2021.

7.1. The coverage under the ESI Scheme is regulated by wage limit of employees. In the early fifties wage limit for coverage of employees was fixed at 400/- per month. The wage earned by the target employee has been going up from time to time as a result of which a large number of employees have gone out of the ESI coverage notwithstanding the increase in wage limit from time to time. The Corporation raised the wage limit upward to ` 6,500/- per month w.e.f. 01-01-97, ` 7,500/- p.m. w.e.f 1.4.2004, ` 10,000/- p.m. w.e.f. 1.10.2006, ` 15,000/- p.m. w.e.f. 1.05.2010 and again it has been enhanced to ` 21,000/- w.e.f. 01.01.2017. The rates of employers' and employees' contribution were also revised from 4% and 1.5% of wages of the employees to 4.75% and 1.75% respectively w.e.f 01.01.1997 but now have been reduced to 3.25% and 0.75% respectively from 1.7.19. The enhancement in the wage limit as well as rate of contribution are aimed at (a) re-inclusion of the I.Ps who were eased out of the scheme owing to increase in wage and (b) strengthening the financial base of the Corporation so that the benefits available under the Scheme could come upto the expectations and aspirations of stake holders.

7.2. The following table contains the statistical data relating to performance and work handled:

	Nature of Information	Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
1.	Number of employees covered (in lakhs)	314.01	316.87	319.76
2.	No. of Insured Persons entitled to medical care (in Lakhs)	349.67	356.13	362.27
3.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
a.	Excluding the IPs	904.37	912.60	920.90
b.	Including the IPs	1,356.72	1,381.82	1,407.38
4.	(a) Number of hospitals Constructed			
	General	146	152	154
	T.B (Tuberculosis)	8	8	8



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

(ख) अनैकिसयों की संख्या				
सामान्य	27	27	27	
क्षय रोग	15	15	15	
कुल (क) तथा (ख)	196	202	204	
5. बिस्तरों की संख्या (सरकारी तथा अन्य मान्यताप्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित)				
सामान्य+ क्षय रोग	25,059	26,259	26,639	
क्षय रोग	2,050	2,050	2,050	
अनैकिसयों/सामान्य में	520	520	520	
क्षय रोग (टीबी)	329	329	329	
कुल (क)	27,958	29,158	29538	
6. निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या :	1,650	4,070	4,920	
7. उपचारित रोगियों की संख्या :				
क. क.रा.बी.निगम अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	35.03	37.48	40.18	
ख. औषधालयों में परिचर्या (बीमाकृत व्यक्ति और परिवार सदस्य दोनों) (लाख में)				
i. नए मामले	180.44	193.07	206.59	
ii. पुराने मामले	149.88	160.38	171.60	
8. नकद हितलाभ के पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	349.67	356.13	362.27	
9. आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रहे आश्रितजनों की संख्या	1,20,842	1,27,464	1,34,832	
10. राजस्व प्राप्तियाँ (‘ लाखों में)	2731264.00	2319731.05	2478881.30	
11. राजस्व व्यय (‘ लाखों में)	1105040.11	1539493.00	1584859.00	
12. कार्यालयों, औषधालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर पूँजीगत व्यय (‘ लाखों में)	95852.23	108659.00	144519.00	

(क) वर्ष 2018–209 के वास्तविक आंकड़ों व 2018–209 के परिशोधित प्राक्कलन में अन्तर

	सूचना का स्वरूप	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	वास्तविक 2018–2019	अन्तर (परिशोधित प्राक्कलन में से वास्तविक)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	330.26	314.01	-16.25
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है। (लाखों में)	1,430	1,356.72	-73.28
3.	राजस्व आय (‘ लाख में)	26,09,903	27,31,264	121361
4.	राजस्व व्यय (‘ लाख में)	12,16,927	11,04,948.11	-111978.89
5.	पूँजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित) (‘ लाख में)	108659.00	95852.23	-204511.23

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	(b) No. of annexes			
	General	27	27	27
	T.B.	15	15	15
	TOTAL (a) & (b)	196	202	204
5.	Number of beds (including beds reserved in Govt. & other recognised hospitals)			
	General+ TB	25,059	26,259	26,639
	T.B.	2,050	2,050	2,050
	In annexes / General	520	520	520
	T.B.	329	329	329
	TOTAL (a)	27,958	29,158	29538
6.	Number of beds under construction :	1,650	4,070	4,920
7	Number of patients treated :			
	a. Number of cases admitted in ESIC Hospitals (in lakhs)	35.03	37.48	40.18
	b. Attendance at dispensaries (both insured persons and family members) (in lakhs)			
	i. New Cases	180.44	193.07	206.59
	ii. Old Cases	149.88	160.38	171.60
8.	Number of employees eligible for cash benefits (in lakhs)	349.67	356.13	362.27
9.	Number of dependants in receipt of dependants' benefits	1,20,842	1,27,464	1,34,832
10.	Revenue Receipts (` in Lakhs)	2731264.00	2319731.05	2478881.30
11.	Revenue Expenditure (` in Lakhs)	1105040.11	1539493.00	1584859.00
12.	Capital expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals& Medical College (` in Lakhs)	95852.23	108659.00	144519.00

A. Variation between actual for 2018-2019 and the revised estimates for 2018 - 2019.

	Nature of Information	Revised Estimates 2018-2019	Actual 2018-2019	Variation (Actual from Revised Estimates)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of employees covered (in Lakhs)	330.26	314.01	-16.25
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)	1,430	1,356.72	-73.28
3.	Revenue Receipts (` in lakhs)	26,09,903	27,31,264	121361
4.	Revenue Expenditure (` In Lakhs)	12,16,927	11,04,948.11	-111978.89
5.	Capital Expenditure (including staff Qtrs.) (` in Lakhs)	108659.00	95852.23	-204511.23



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

नोट:

1. कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2017–18 (311.86 लाख) की तुलना में वर्ष 2018–19 में 314.01 लाख तक की वृद्धि हुई है परंतु वृद्धि आशाओं के अनुरूप नहीं हुई है।
2. राजस्व व्यय में बचत मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा हितलाभ मद के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की संपूर्ण उच्चतम सीमा तक राशि का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण है।
3. पूंजीगत व्यय में बचत मुख्य रूप से अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण तथा नवीकरण हेतु अनुमानित व्यय से कम व्यय के कारण है।

(ख) 2019–2020 वर्ष के परिशोधित प्राक्कलन और 2019–2020 के मूल बजट प्राक्कलन में अन्तरः

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	बजट प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	अन्तर (बजट प्राक्कलन और परिशोधित प्राक्कलन में)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क. व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	350.50	316.87	-33.63
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	396.08	356.13	-39.95
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है। (लाखों में)	1,536	1,381.82	-154.18
3.	राजस्व आय (‘ लाख में)	23,57,958	23,31,530	-26,428.00
4.	राजस्व व्यय (‘ लाख में)	14,13,159.61	15,39,493.00	1,26,333.39
5.	पूंजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित) (‘ लाख में)	2,03,536	156657.00	-46,879.00

नोट:

1. वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक कर्मचारियों की संख्या में वास्तविक वृद्धि के आधार पर, परिशोधित प्राक्कलन 2019–20 में कर्मचारियों की संख्या में अनुमानित वृद्धि को सीमित (मॉडरेट) किया गया है।
2. राजस्व प्राप्तियों में कमी अंशदानों की दर के युक्तिकरण के कारण है।
3. राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से क.रा.बी.निगम द्वारा क.रा.बी.योजना हेतु व्यय का 100 प्रतिशत वहन करने तथा स्थायी निःशक्तता हितलाभ एवं आश्रितजन हितलाभ निधियों में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तन हेतु प्रावधान स्थायी निःशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के भुगतान की दरों की वृद्धि के कारण है।
4. पूंजीगत व्यय में बचत अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण और नवीकरण हेतु अनुमानित व्यय से कम व्यय के कारण है।

ध्यान दें : सूचना में निर्मित अस्पतालों एवं अनैकिसियों की संख्या अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तथा किराये के परिसर में औषधालयों की संख्या शामिल नहीं है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

NOTE -

1. There has been an increase in number of employees from 2017 – 2018 (311.86 lakhs) to 314.01 lakhs in 2018-2019 but the increase has not been commensurate with expectations.
2. Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of non-utilisation of entire ceiling amount for medical care under the medical benefit head by the State Govt.
3. Saving in capital expenditure is mainly on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

(B) Variation between Revised Estimates for 2019-2020 AND the original Budget estimates for 2019-2020.

Sl. No.	Nature of Information	Budget Estimates 2018-2019	Revised Estimates 2018-2019	Variation (BEs and REs) (4) – (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	a.Number of employees covered (in Lakhs)	350.50	316.87	-33.63
	b.Number of Insured Persons (in Lakhs)	396.08	356.13	-39.95
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)	1,536	1,381.82	-154.18
3.	Revenue Receipts (` in Lakhs)	23,57,958	23,31,530	-26,428.00
4.	Revenue Expenditure (` In Lakhs)	14,13,159.61	15,39,493.00	1,26,333.39
5.	Capital Expenditure (` in Lakhs)	2,03,536	156657.00	-46,879.00

NOTE:

1. Based on the actual increase in the number of employees from 2017 – 18 to 2018 – 19, the projected increase in the number of employees in RE 2019 -20 has been moderated.
2. Reduction of Revenue Receipts is on account of rationalization of rate of contributions.
3. Increase in Revenue Expenditure is mainly on account of 100% bearing of expenditure for the ESI Scheme by the ESIC and provisions for addition to the PDB and DB Funds based on actuarial valuation, following an increase of rates of payment of PDB and DB.
4. Savings in capital expenditure is on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

NB: Information does not include the number of hospitals and annexes constructed, number of hospital beds and number of dispensaries in rented premises



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

8. 2019–2020 के चालू वित्तीय वर्ष तथा 2020–2021 के अगले वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। (क) कार्यक्रम/कार्यकलापवार (ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण और उनके वित्त स्रोत का विवरण नीचे के पैराओं में दिया गया है :-

(क) कार्यक्रम/कार्यकलाप-वार

वर्गीकरण	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)			
कार्यकलाप व्यय :			
चिकित्सा हितलाभ	8,72,137.97	10,20,955.00(L)	11,80,747.00 (LL)
नकद हितलाभ	1,17,099.77	3,38,339.00 (M)	2,23,856.00 (M)
अन्य हितलाभ	247.29	382.00	388.00
प्रशासनिक व्यय	1,15,221.08	1,79,817.00 (N)	1,79,868.00
गैर-कार्यकलाप व्यय :			
आबंटन :			
पूँजीगत निर्माण निधि	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)
आकस्मिकता आरक्षित निधि	0.00	0.00 (OO)	0.00 (OO)
कुल राजस्व व्यय	11,05,040.11	15,39,493.00	15,84,859.00
भूमि के अर्जन पर पूँजीगत व्यय तथा कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों का निर्माण	95,852.23	1,08,659.00	1,44,519.00

(ठ) निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :- (` करोड़ में)

1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	0.00
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	3,524.88
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,484.15
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	97.56
	हैल्थ पासबुक तथा आइवीआरएस	6.50
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	21.00
6	एस.ए.पी.	0.56
7	चिकित्सा महाविद्यालय	501.17

(ठठ) निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं : (` करोड़ में)

1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	0.00
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	3,761.83
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,543.10
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	46.20
5	क.रा.बी. निगम सुधार 2.0	10.00
6	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	40.00
7	एस.ए.पी.	0.56
8	चिकित्सा महाविद्यालय	567.91



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

8. The financial requirements for the current financial year 2019-2020 and the next financial year 2020-2021 under (A) Programme/activity-wise (B) Object wise classification and their source of Finance are described in the following paragraphs.

(A) PROGRAMME / ACTIVITY WISE

CLASSIFICATION	Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019- 2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)			
Activity Expenditure :			
Medical Benefit	8,72,137.97	10,20,955.00 (L)	11,80,747.00 (LL)
Cash Benefits	1,17,099.77	3,38,339.00 (M)	2,23,856.00 (M)
Other Benefits	247.29	382.00	388.00
Administrative Expenditure	1,15,221.08	1,79,817.00 (N)	1,79,868.00
Non-Activity Expenditure			
Allocation to :			
Capital construction Fund	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)
Contingency Reserve Fund	0.00	0.00 (OO)	0.00 (OO)
TOTAL Revenue Expenditure	11,05,040.11	15,39,493.00	15,84,859.00
Capital Expenditure on acquisition of land and construction of building for offices, dispensaries & Hospitals	95,852.23	1,08,659.00	1,44,519.00

(L) Includes Provision for:- (` In Crore)

1	Towards past liability to State Govts.	0.00
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	3,524.88
3	Towards Super Specialty Treatment	1,484.15
4	Expenditure on IT Roll out	97.56
	Health Passbook & IVRS	6.50
5	MEUD & IMP	21.00
6	SAP	0.56
7	Medical Colleges	501.17

(LL) Includes Provision for:- (` In Crore)

1	Towards past liability to State Govts.	0.00
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	3,761.83
3	Towards Super Specialty Treatment	1,543.10
4	Expenditure on IT Roll out	46.20
5	Health Passbook & IVRS	10.00
6	MEUD & IMP	40.00
7	SAP	0.56
8	Medical Colleges	567.91



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

- (द) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ` 9.00 करोड़ शामिल हैं।
- (द) भर्ती खर्चों के लिए ` 32.00 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
- (द्ध) निगम के निर्णय के अनुसार अगले पांच वर्षों में आगे कोई अतिरिक्त परिवर्धन नहीं किया जाएगा।
- (ण) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष ` 75.00 करोड़ की राशि निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहले ही पहुँच चुकी है।

(ख) वस्तुवार वर्गीकरण

		वार्षिक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)				
	निम्नलिखित व्यवस्था पर व्ययः			
1.	लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख	8,72,137.97	10,20,955.00	11,80,747.00
2.	नकद हितलाभ	1,17,099.77	3,38,339.00	2,23,856.00
3.	अन्य हितलाभ	247.29	382.00	388.00
4.	वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्ययः			
i.	वेतन (यात्रा व्यय तथा बोनस सहित)	62,269.99	74,478.00	75,717.00
ii.	लेखन सामग्री तथा फॉर्म	506.36	800.00	850.00
iii.	जल तथा विद्युत प्रभार	2,155.23	3,050.00	3,500.00
iv.	किराया, पौरकर तथा कर	3,702.47	8,500.00	9,600.00
v.	बीमा न्यायालय तथा विधिक खर्च	453.10	600.00	675.00
vi.	भर्ती तथा परीक्षा	3,235.90	3,200.00	3,500.00
vii.	विज्ञापन तथा प्रचार	1,290.77	2,800.00	3,000.00
viii.	कम्प्यूटरों तथा अन्य की खरीद और मरम्मत एवं रखरखाव	12,300.28	13,000.00	12,500.00
ix.	बैंक खाता रखरखाव प्रभार	1,291.53	1,100.00	1,200.00
x.	लेखापरीक्षा शुल्क	36.42	250.00	500.00
xi.	प्रशिक्षण	80.05	600.00	650.00
xii.	टेलीफोन/डाक खर्च तथा श्रेणी 'घ' कर्मचारियों की वर्दी सहित अन्य कार्यालयी व्यय	551.66	750.00	800.00
xiii.	विविध/अन्य	9,415.87	26,220.00	15,725.00
xiv.	आई.एस.ए. आदि को अंशदान	78.56	90.00	95.00
xv.	कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत एवं रखरखाव	3,539.58	4,746.00	6,873.00
xvi.	मूल्यहास	5,310.25	3,743.00	3,743.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

- (M) Includes ` 9.00 Crore for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna.
- (N) Includes provision of ` 32.00 Crore for Recruitment Expenses.
- (O) In accordance with the decision of the Corporation no further additions would be done for further five years.
- (OO) No provision has been made for the Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund has already reached the prescribed ceiling of ` 75 Crore.

(B) OBJECT WISE CLASSIFICATION

		Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)				
Expenditure on providing :				
1.	Medical care to beneficiaries	8,72,137.97	10,20,955.00	11,80,747.00
2.	Cash Benefit	1,17,099.77	3,38,339.00	2,23,856.00
3.	Other Benefits	247.29	382.00	388.00
4.	Salaries and other Admn. Expenditure:			
i.	Salaries (including travelling expenses and bonus)	62,269.99	74,478.00	75,717.00
ii.	Stationery & Forms	506.36	800.00	850.00
iii.	Water & Elect. Charges	2,155.23	3,050.00	3,500.00
iv.	Rent, Rates & Taxes	3,702.47	8,500.00	9,600.00
v.	Insurance Courts and Legal Charges	453.10	600.00	675.00
vi.	Recruitment & Examination	3,235.90	3,200.00	3,500.00
vii.	Advertisement & Publicity	1,290.77	2,800.00	3,000.00
viii.	Purchase and R & M of Computers & others	12,300.28	13,000.00	12,500.00
ix.	Charges for maintaining Bank A/cs.	1,291.53	1,100.00	1,200.00
x.	Audit Fees	36.42	250.00	500.00
xi.	Training	80.05	600.00	650.00
xii.	Other office expenses including telephone / postage charges and liveries to Gr. 'D' Staff	551.66	750.00	800.00
xiii.	Miscellaneous/Others	9,415.87	26,220.00	15,725.00
xiv.	Contribution to ISSA etc.	78.56	90.00	95.00
xv.	Repair & maintenance of office building (including staff quarters)	3,539.58	4,746.00	6,873.00
xvi.	Depreciation	5,310.25	3,743.00	3,743.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

		वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
xvii.	सेवानिवृत्ति हितलाभ	9,337.06	35,890.00	40,940.00
5.	पूंजीगत निर्माण निधि के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्ययः	1,15,540.11	15,39,493.00	15,84,859.00

पूंजीगत व्यय :	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)			
क) कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	880.29	2,660.00	2,221.00
ख) अस्पताल तथा औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	72,104.03	75,302	1,23,198.00
ग) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	22,867.91	30,697	19,100
घ) उपस्कर (अन्य गैर परियोजना व्यय)	18,694.29	47,998.00	33,783.00
6. वित्तीय स्रोतः राजस्व प्राप्तियां			
कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान	22,27,913.27	17,91,000.00	18,50,000.00
निवेश ऋणों तथा पेशगियों आदि पर ब्याज	4,62,997.48	5,15,731.05	6,15,081.30
भवनों का किराया	5,147.43	300.00	300.00
अन्य राजस्व प्राप्तियां	35,205.82	9,100.00	13,500.00
कुल राजस्वः	27,31,264.00	23,19,731.05	24,78,881.30

9. अनुबंध-II का विवरण व्यय के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की घटना दर को दर्शाता है।

9.1. निगम के व्यय को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है :-

- i. चिकित्सा हितलाभ
- ii. नकद हितलाभ तथा अन्य हितलाभ
- iii. निदेशन, अधीक्षण तथा फील्ड कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय
- iv. पूंजीगत व्यय जिसमें निर्माण कार्य शामिल हैं

9.2. निगम के व्यय को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित प्रतिमानक, उच्चतम सीमाएं तथा सांविधिक नियम हैं।

निम्नलिखित पैराओं में इनका विस्तृत विवरण दिया गया है :

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



		Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)				
xvii.	Retirement benefits	9,337.06	35,890.00	40,940.00
5.	Allocation to Capital Construction Fund	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVENUE EXPENDITURE :		1,15,540.11	15,39,493.00	15,84,859.00

CAPITAL EXPENDITURE:		Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)				
a)	Office Buildings (including staff quarters)	880.29	2,660.00	2,221.00
b)	Hospital & Dispensary Buildings (including staff quarters)	72,104.03	75,302	1,23,198.00
c)	Medical Education Projects	22,867.91	30,697	19,100
d)	Equipments(Other Non-Project Expenditure)	18,694.29	47,998.00	33,783.00
6.	Source of Finance : Revenue Receipts			
	Employees' & Employers' Contribution	22,27,913.27	17,91,000.00	18,50,000.00
	Interest on investment loans & advances etc.	4,62,997.48	5,15,731.05	6,15,081.30
	Rent of Buildings	5,147.43	300.00	300.00
	Other Revenue Receipts	35,205.82	9,100.00	13,500.00
	TOTAL REVENUE :	27,31,264.00	23,19,731.05	24,78,881.30

9. The Statement in Annexure-II shows the incidence of per-capita expenditure under the main heads of expenditure.
- 9.1. The expenditure of the Corporation is classified broadly under the following heads:
- i. Medical Benefit
 - ii. Cash Benefits and Other Benefits
 - iii. Admin. Expenditure under Direction, Superintendence and Field Work.
 - iv. Capital expenditure which include Construction work.
- 9.2. There are in-built norms, ceilings and statutory rules, which regulate the expenditure of the Corporation.

These are further detailed in the following paras:



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

I चिकित्सा हितलाभ

10 चिकित्सा हितलाभ पर व्यय नीचे दिखाया गया है :

वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
8,72,379.97	10,20,955.00	11,80,747.00 (` लाख में)

इस गतिविधि पर होने वाला व्यय (दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को छोड़कर) प्रारंभ में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासनिक नियंत्रक हैं। व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक उच्चतम सीमा नियत की गई है। निगम राज्य सरकारों को उच्चतम सीमा के 7/8 वें अंश का 90%, तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में तथा शेष राशि संबंधित महालेखाकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी लेखा परीक्षित व्यय विवरण के आधार पर अदा करता है। उच्चतम सीमा से अधिक होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है तथा इस अधिक व्यय को निगम के बजट में दर्शाया नहीं जाता। दिनांक 01.04.2015 से पूर्ण चिकित्सा देखरेख पर व्यय की उच्चतम सीमा ` 2,150/- कर दी गई है। इसे दिनांक 01.04.2017 से दोबारा बढ़ाकर ` 3,000/- कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के.नगर (चैन्नै), इन्डौर (म.प्र.) तथा अंधेरी (मुंबई), जहां व्यावसायिक रोग हैं, का सम्पूर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

साथ ही, क.रा.बी.निगम ने आदर्श अस्पतालों की एक योजना बनाई है जिसके तहत चिकित्सा देखरेख सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रशासन सीधे निगम द्वारा चलाया जायेगा। इन आदर्श अस्पतालों को चलाने का सारा खर्च भी पूर्णतः निगम द्वारा वहन किया जाता है। अब तक निगम ने निष्पादन बजट के अनुच्छेद 4 में उल्लिखित क.रा.बी.अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है/निर्माण किया है। अति विशिष्ट उपचार हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 1484.15 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 1543.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

क.रा.बी. निगम ने अपनी 174 वीं बैठक में प्राथमिक देखरेख सेवा हेतु निगम की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए प्रत्येक जिले में, चाहे वह जिला आंशिक रूप से व्याप्त हो अथवा पूर्णतः या उस क्षेत्र में राज्य सरकार का कोई औषधालय हो, एक डीसी.बीओ के गठन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। ये डीसीबीओ औषधालय एवं शाखा कार्यालय, दोनों का कार्य करने के साथ ही ईयूडी/ आईएमपी क्लीनिक से जुड़े हुए लाभार्थियों को औषधियों के वितरण हेतु केन्द्रीय फार्मसी वितरण ईकाई का कार्य भी निष्पादित करेंगे। वे बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति दावों का भी निपटान करेंगे। वर्तमान में यह योजना, आंशिक अथवा पूर्ण रूप में, 566 जिलों में अधिसूचित की गई है। विशेषकर नवीन अधिसूचित जिलों / क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा देखरेख के लिए निगम की बेहतर पहुँच हेतु 373 नए कराबीनि औषधालय सह शाखा कार्यालयों को स्वीकृति दी गई है जिनमें से 32 डीसीबी.ओ दिसंबर 2019 तक कार्यान्वयन से समग्र नकद हितलाभों में प्रत्यक्ष आनुपातिक वृद्धि के साथ-साथ औषधि वितरण व प्रतिपूर्ति सुविधाओं में संतोषजनक स्थिति प्राप्त होगी। डीसीबीओ को कार्यान्वयन करने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में क्रमशः ` 30 करोड़ तथा ` 300 करोड़ का नियतन किया गया है।

परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ` 501.17 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 567.91 करोड़ की राशि चिकित्सा शिक्षा पर व्यय के लिए रखी गई है। कराबीनि में समग्र रूप से हो रहे कम्प्यूटरीकरण के कारण अस्पतालों एवं औषधालयों में आईटी रोल आउट के लिए बजट प्राक्कलन 2020–2021 में ` 46.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

I – MEDICAL BENEFIT

10. The expenditure on medical benefit is shown below :

Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)		
8,72,379.97	10,20,955.00	11,80,747.00

The expenditure on this activity is initially borne by the State Govts. who are having administrative control over the medical care under the ESI Scheme, (except in Delhi & Noida area of U.P). A ceiling has been fixed for expenditure reimbursement of expenditure. The Corporation pays in advance to State Govts to the tune of 90% of its 7/8th share of the ceiling on quarterly basis, and the balance on the basis of audited expenditure statements issued by the concerned Accountants General to the State Govts. Expenditure incurred by the State Govts. over and above these ceilings are borne by them and such excess expenditure is not reflected in the Corporation's budget. The ceiling of expenditure on full medical care is ` 2,150/- with effect from 01.04.2015. It has been again raised to ` 3,000 w.e.f. 01.04.2017. In addition, the entire expenditure on the ESI Hospitals Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (W.B), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.) and Andheri (Mumbai) having Occupational Diseases Centre is borne by the ESI Corporation.

Further, the ESI Corporation has formulated a scheme for Model Hospitals, under which at least one hospital in each State shall be taken over and administered directly to upgrade the medical care facilities. The expenditure on running of these Model Hospitals are also borne fully by the ESIC. So far ESIC has taken over/constructed Hospitals as stated in Para 4 of the Performance Budget. For Super Speciality Treatment a provision of ` 1,484.15 Crore has been made in Revised Estimate 2019-2020 and ` 1,543.10 Crore in Budget Estimates 2020-2021.

The ESI Corporation in its 174th meeting has approved setting up of a DCBO in every district to mark the presence of ESIC for primary care service in each district, irrespective of whether a district has been partially implemented or fully implemented or existence of a State-run Dispensary in the area. A DCBO would perform the functions of both Dispensary and Branch office along with centralised pharmacy dispensing unit for distribution of drugs to beneficiaries attached to EUD / IMP clinic. They will also process reimbursement claims of insured persons. Presently, the Scheme has been notified, either partially or fully, in 566 districts. In order to have better outreach of ESIC especially with respect to primary level of medical care in the newly notified districts/areas, 373 new ESIC Branch Office cum dispensaries have been sanctioned out of which, 32 DCBOs have been made operational up to December 2019. By end of March 2020, 225 more DCBOs are expected to be opened. The operationalization of DCBOs will have direct proportionate increase in overall Cash Benefits as also serve to meet satisfaction levels in medicine distribution and reimbursement facilities. For operating DCBOs an amount of ` 30 Crore and ` 300 Crore has been allocated in the Revised Estimates 2019-2020 and Budget Estimates 2020-2021 respectively.

An amount of ` 501.17 Crore in Revised Estimates 2019-2020 and ` 567.91 Crore has been kept in Budget Estimates 2020-2021 for running expenditure of Medical Education. A provision of ` 46.20 Crore has been made in Budget Estimates 2020-2021 for IT Roll Out of Hospital & Dispensaries due to ongoing computerization of ESIC as a whole.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

II - क - नकद हितलाभ

11 नकद हितलाभों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :

वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1,17,099.77	3,38,339.00	(` लाख में) 2,23,856.00

12 रोजगार चोट के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के नकद हितलाभों की पात्रता, किसी एक अंशदान अवधि में दिनों की संख्या पर आधारित है जिनके लिए कर्मचारियों द्वारा अंशदान का भुगतान किया गया हो/देय हो । बीमारी हितलाभ की वर्तमान दैनिक दर को औसत दैनिक मजदूरी के 60% से बढ़ाकर इसका लगभग 70% तथा निःशक्तता और आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर को 75% से बढ़ाकर मजदूरी का लगभग 90% कर दिया गया है । बीमाकृत महिलाओं को देय मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर है तथा इसे जनवरी 2017 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जा चुका है ।

13. पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

- निर्वाह मूल्यों में वृद्धि के चलते बीमाकृत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की राशि को समय–समय पर परिशोधित किया जाता है मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई हेतु 01.08.2018 से स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की मूल दरों में 10% से 6425% (पिछली बढ़ोत्तरी सहित) तक वृद्धि की जा चुकी है ।
- स्थायी निःशक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति उक्त आवधिक भुगतान को संराशीकृत कर सकते हैं अगर इन भुगतानों की दैनिक दर ` 150/- प्रतिदिन तक हो अथवा स्थायी निःशक्तता का अंतिम निर्णय करते समय संराशीकृत मूल्य ` 10000/- से अधिक न हो । दिनांक 19.04.2003 से इस सीमा को बढ़ाकर ` 5.00/- प्रतिदिन अथवा ` 30,000 तक कुल संराशीकृत मूल्य कर दिया गया है । आगे, 01.06.2013 से इसे ` 10.00/- प्रतिदिन अथवा संराशीकृत मूल्य ` 60,000/- तक बढ़ा दिया गया है ।
- बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर अंत्येष्टि खर्च का भुगतान किया जाता है । इस प्रयोजनार्थ राशि को 01.12.2007 से ` 2,500/- से बढ़ाकर ` 3,000/- कर दिया गया था । 01.09.2009 से इसे और बढ़ाकर ` 5,000/- कर दिया गया । पुनः दिनांक 01.04.2011 से इसे ` 5,000/- से बढ़ाकर ` 10,000/- तथा दि– 18.09.2018 से ` 15000/- कर दिया गया है ।
- बेरोजगार कर्मचारियों को नकद भत्ता देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना हेतु वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में ` 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है । बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट देते हुए बीमायोग्य रोजगार को 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है । हितलाभ की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है । प्रथम 12 महीनों के लिए हितलाभ की दर पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% तथा शेष अवधि के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 25% की गई है ।
- विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी) की वर्तमान कुल अवधि को 400 दिन (91 + 309) से बढ़ाकर अधिकतम दो वर्ष करना तथा पात्र मामलों में 400 दिन बाद भी विस्तारित बीमारी हितलाभ स्वीकृत करने की शक्तियां महानिदेशक को प्रत्यायोजित करना ।
- प्रसव के दौरान अपने पीछे जीवित शिशु छोड़कर जानेवाली किसी बीमाकृत महिला की मृत्यु के मामले में मातृत्व हितलाभ की मौजूदा छह सप्ताह की पात्रता अवधि को बढ़ाकर मातृत्व हितलाभ की पात्रता की पूर्ण अवधि करना ।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

II – A – CASH BENEFIT

11 The expenditure on cash benefit has been anticipated as under :

Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021 (` in Lakhs)
1,17,099.77	3,38,339.00	2,23,856.00

- 12 The eligibility for different categories of cash benefits, except employment injury, is dependent on the number of days for which contributions are paid / payable by the employees in a contribution period. The present daily rate of Sickness Benefit has been enhanced from about 60% of average daily wage to about 70% of average daily wage and the daily rate of disablement and dependent benefits was enhanced from about 75% to about 90% of wages. Maternity Benefit payable to Insured Women (IW) is the full wage rate and has been enhanced to 26 weeks from January 2017.
- 13 The following improvements have been effected in the ESI Scheme during the last ten years:
1. The amount of permanent disablement benefits and dependents' benefits is revised from time to time to compensate the IP's against increase in the cost of living. The rates of PDB and DB have been enhanced ranging from 10% to 6425% of the basic amount (including previous increases) w.e.f. 01.08.2018, to protect against erosion in the real value of these as a result of inflation.
 2. The insured persons in receipt of permanent disablement benefit were entitled to commute the periodical payment of permanent disablement benefit if the daily rate of such payments was upto ` 1.50/- per day or the commuted value did not exceed ` 10,000/- at the time of final award of permanent disability. This limit has now been further enhanced to ` 5.00/- per day or commuted value not exceeding ` 30,000/- w.e.f. 19.4.2003. Further it has again enhanced to ` 10.00/- per day or commuted value not exceeding ` 60,000/- w.e.f. 01.06.2013.
 3. Funeral expenses are paid in the event of the death of the insured person. The amount for this purpose was raised to ` 3,000/- from ` 2,500/-w.e.f. 1.12.2007. Further it is enhanced to ` 5000/- w.e.f. 1.9.2009. Again it has been raised from ` 5,000/- to ` 10,000/-w.e.f. 1.04.2011 and ` 15,000/- w.e.f 18.09.2018
 4. Provision of ` 11 Crore has been made in Budget Estimates 2020-2021 for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna to provide cash allowances to employees who are out of employment. Eligibility conditions for availing the Unemployment Allowance has been relaxed from 5 years of insurable employment to 3 years. The duration of benefit has been enhanced from 12 months to 24 months. The rate of benefit for first 12 months is 50% of the last average daily wage and for the rest period is 25% of the last average daily wage.
 5. Enhancement of the total duration of extended sickness benefit (ESB) from present 400 days (91+309) to a maximum period of two years and delegation of powers to the Director General for granting ESB beyond 400 days in deserving cases.
 6. Enhancement of period of entitlement for maternity benefit in the case of death of an insured woman during delivery while leaving behind a child from the present six weeks to the entire period of entitlement to maternity benefit.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

7. जब प्रसव किसी ऐसे स्थान पर हुआ हो जहां क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न हों तो बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पल्नियों को प्रसव खर्च (जो अब प्रसूति खर्च कहलाता है) पर मिलने वाले चिकित्सा बोनस की मौजूदा दर को ` 50/- से बढ़ाकर ` 250/- प्रति मामला करना। दिनांक 18.01.2004 से इन प्रभारों को बढ़ाकर ` 1,000/- कर दिया गया है। दि- 01.12.2008 से इसे और बढ़ाकर ` 2,500/- कर दिया गया और निगम ने दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को आयोजित हुई अपनी 158वीं बैठक में दिनांक 01.10.2013 से इसे और बढ़ाकर ` 5,000/- कर दिया है।
8. दिव्यांग बीमाकृत व्यक्ति को कृत्रिम अंग केन्द्र में ठहरने तथा कृत्रिम अंग लगाने/मरम्मत अथवा बदलवाने के लिए पुनर्वास भर्ते की दर को बढ़ाकर दैनिक मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।
9. जिन बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थितहोना अपेक्षित होता है उनकी मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति दर को बढ़ाकर दैनिक मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।
10. कर्मचारी के भाग के अंशदान की अदायगी के लिए औसत दैनिक मजदूरी छूट सीमा को ` 15/- प्रतिदिन से बढ़ा. कर ` 25/- प्रतिदिन करना। इस सीमा को 2000–2001 के दौरान बढ़ाकर ` 40/- प्रतिदिन तथा 01.04.2004 से ` 50/- प्रतिदिन कर दिया गया है। निगम ने 23.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में छूट की सीमा को ` 50/- से और बढ़ाकर ` 70/- करने का अनुमोदन दिया है और अब इसे ` 100/- प्रतिदिन तक बढ़ा दिया गया है। पुनः दिनांक 14.06.2016 से यह राशि बढ़ाकर ` 137/- प्रतिदिन तथा दि- 06.09.2019 से ` 176/- प्रतिदिन हो गई है।
11. बीमारी हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण और मातृत्व हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण।
12. लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु जीवन प्रमाण-पत्र छमाही के बजाए वर्ष में एक बार लेना प्रारंभ किया गया है तथा क.रा.बी. निगम संस्थानों में यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी ` 100/- का भुग. तान किए जाने का निर्णय लिया गया है। बीमाकृत व्यक्तियों/ लाभार्थियों को नकद हितलाभ का भुगतान निगम द्वारा सीधे अपने शाखा/ भुगतान कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है जो लगभग उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ योजना का कार्यान्वयन हो चुका है। दिनांक 31.03.2018 को प्रदत संख्या 815 की तुलना में अब 31 मार्च, 2019 को इन कार्यालयों की संख्या 822 हो गई थी। नकद हितलाभों पर व्यय-भार अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, औद्योगिक शांति और हितलाभों की अपनी हकदारी के प्रति कामगारों की जागरूकता आदि।
14. नकद हितलाभों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत व्यय का व्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

	वास्तविक 2018–2019		परिशोधित 2019–2020		बजट 2020–2021	
	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)
बीमारी हितलाभ	312.59	37,944.83	315.43	47,000.00	318.31	50,000.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	312.59	4,734.42	315.43	5,598.00	318.31	6,994.00
मातृत्व हितलाभ	312.59	36,908.02	315.43	43,182.00	318.31	50,523.00
अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	312.59	9,775.89	315.43	10,909.00	318.31	12,187.00

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



7. Enhancement in the rate of medical bonus (now called Confinement Expenses) on account of confinement expenses from ` 50/- to ` 250/- per case to Insured Women & Wives of insured persons, if the confinement taken place where medical facilities under ESI Scheme are not available. These charges have been increased to ` 1,000/- w.e.f. 18.1.2004. It has been further enhanced to ` 2,500/- w.e.f. 1.12.2008 and the Corporation in its 158th meeting held on 10th November 2012 further enhanced the amount to ` 5,000 w.e.f 01.10.2013.
 8. Enhancement of the rate of Rehabilitation allowance for stay of the disabled IP in artificial limb center for fixation, repair to replacement of artificial limb from the daily standard benefit rate of double that rate.
 9. Enhancement of the rate of compensation for loss of wages of an IP required to appear before the Medical Board, from the daily standard benefit rate to double that rate.
 10. Raising of exemption limit of average daily wage for payment of employees share of contribution from ` 15/- per day to ` 25/- per day. This limit has been further enhanced to ` 40/- per day during 2000-01 and ` 50/- w.e.f 1.4.2004. The Corporation in its meeting held on 23.12.2006 has approved to enhance the exemption limit further to ` 70/- from ` 50/- per day and now it is enhanced up to ` 100/- per day. Again w.e.f. 14.06.2016 the amount has been ` 137/- per day and from 06.09.2019, it is ` 176/- per day.
 11. Liberalization of eligibility conditions for entitlement of sickness benefit and liberalization of eligibility conditions for entitlement of maternity benefit.
 12. To mitigate the hardship of the beneficiaries, life certificate has been introduced once in a year instead of 6 monthly periods and it has also been decided to pay ` 100 per beneficiary per annum for submission of the certificate to the ESIC institutions. Cash benefits are disbursed to the insured persons / beneficiaries directly by the Corporation through network of its Branch / Pay Offices which are located in almost all the industrial centers where the Scheme has been implemented. The number of such offices was 822 on 31st March 2019 against 815 as on 31.3.2018. The incidence of expenditure on cash benefits depends on a number of factors, e.g. state of health, industrial peace and the awareness of the workers about their entitlement to benefits, etc.
- 14 The break-up of expenditure under different categories of cash benefits is given in the following table :-

	Actual 2018-2019		Revised Estimates 2019-2020		Budget Estimates 2020-2021	
	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)
Sickness Benefit	312.59	37,944.83	315.43	47,000.00	318.31	50,000.00
Extended Sickness Benefit	312.59	4,734.42	315.43	5,598.00	318.31	6,994.00
Maternity Benefit	312.59	36,908.02	315.43	43,182.00	318.31	50,523.00
Temporary Disablement Benefit	312.59	9,775.89	315.43	10,909.00	318.31	12,187.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित 2019–2020	बजट 2020–2021			
	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (` लाख में)
स्थायी निःशक्तता हितलाभ	312.59	15,134.92	315.43	1,42,600.00	318.31	54,470.00
आश्रितजन हितलाभ	312.59	10,039.79	315.43	85,500.00	318.31	45,190.00
अंत्येष्टि खर्च	312.59	1,719.25	315.43	2,600.00	318.31	3,342.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	312.59	842.65	315.43	900.00	318.31	1,100.00
अटल बीमित व्यवित कल्याण योजना	312.59	0.00	315.43	50.00	318.31	50.00
योग :	312.59	1,17,099.77	315.43	3,38,339.00	318.31	2,23,856.00

15. दिनांक 01.07.2018 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कार्यान्वित है, जो 90 दिनों तक की मजदूरी के 25 प्रतिशत की दर से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा कदाचार हेतु दंड के अलावा अन्य किसी कारणवश हुई बेरोजगारी के मामले में सीधे बीमाकृत व्यक्तियों के बैंक खाते में जीवनभर में एक बार प्रदान की जाने वाली राहत है।

II – (ख) – अन्य हितलाभ

- 16 अन्य हितलाभों पर व्यय निम्न प्रकार हैः–

वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)		
247.29	382.00	388.00

इस गतिविधि में चिकित्सा बोर्ड तथा अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के सदस्यों को शुल्क की अदायगी, बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा निर्देशी, चिकित्सा बोर्ड या अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति, सवारी खर्च व पुनर्वास भत्ते का भुगतान शामिल है। उक्त राशि में वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति हेतु ` 100/- प्रति लाभार्थी वाहन भत्ते का भुगतान भी शामिल है।

II- निदेशन, अधीक्षण तथा फील्ड कार्य :

17. इस शीर्ष के अंतर्गत निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि तथा स्थापना पर अन्य खर्चों के लिए बजट प्रावधान है। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को वर्धित दर पर वेतन के भुगतान हेतु वर्ष 2020–2021 के बजट प्राक्कलन में यह प्रावधान किया गया है। यह 30.03.2019 की स्थिति के अनुसार 20,092 की कुल संस्थीकृत संख्या की तुलना में 11224 तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या पर आधारित है। नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों की आवश्यकता को वर्तमान कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके पूर्ण किया जाएगा। ये प्रावधान इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा 08.02.2013 को हुई अपनी बैठक में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार संबंधित सुरक्षित निधियों में अंतरित/अंतरणयोग्य राशियों के सूचक हैं। यह खर्च, मरम्मत व रखरखाव के अलावा, जो राजस्व खाते में दर्ज होता है, सम्बंधित सुरक्षित निधि से किया जाता है।

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



	Actual 2018-2019		Revised Estimates 2019-2020		Budget Estimates 2020-2021	
	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (` in lakhs)
Permanent Disablement Benefit	312.59	15,134.92	315.43	1,42,600.00	318.31	54,470.00
Dependants' Benefit	312.59	10,039.79	315.43	85,500.00	318.31	45,190.00
Funeral Expenses	312.59	1,719.25	315.43	2,600.00	318.31	3,342.00
Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	312.59	842.65	315.43	900.00	318.31	1,100.00
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	312.59	0.00	315.43	50.00	318.31	50.00
TOTAL :	312.59	1,17,099.77	315.43	3,38,339.00	318.31	2,23,856.00

- 15 From 01.07.2018, the Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna has been implemented, which is a once in a life time relief payable directly to the Bank account of IPs in case of unemployment for any reason except superannuation, voluntary retirement and punishment for misconduct, @ 25 % of wages up to 90 days.

II (B) OTHER BENEFITS:

- 16 The expenditure on other benefits is as under :-

Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)		
247.29	382.00	388.00

This activity embraces the payment of fees to the members of Medical Boards and Medical Appeal Tribunals, rehabilitation allowance and payment of conveyance charges, compensation for loss of wages to insured persons when they are required to appear before Medical Referee, Medical Board or Medical Appellate Tribunal. The amount projected also covers payment of ` 100 per beneficiary for payment of conveyance allowances for submission of life certificate once in a year.

III. DIRECTION, SUPERINTENDENCE AND FIELD WORK :

- 17 The budget provision under this head is in respect of salary etc. of officers and staff of the Corporation and other expenditure on establishment. The provision for BE 2020-2021 has been made for increased rate of salaries to employees of the Corporation as per of 7th Central Pay Commission recommendations. It is based on the staff strength of 11,224 Officers and Staff in position against the total sanctioned strength of 20,092 as on 30.03.2019. The requirement of additional posts consequent on extension of the Scheme to new areas is likely to be met by re-deployment of the existing staff.

The provision represents the amount transferred / transferable to the concerned reserve funds in accordance with the percentage fixed by the Corporation in its meeting held on 08.02.2013 for the purpose. The expenditure is incurred from the concerned reserve fund except for Repair & Maintenance which is charged to revenue account.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

18. पूँजीगत निर्माण कार्य :

18.1 पूँजीगत निर्माण कार्यों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं/ थे :

	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	परिशोधित प्राक्कलन 2020–2021
(` लाख में)			
कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	880.29	2,600.00	2,221.00
अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	72,104.03	7,503.00	1,23,198.00
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	22,867.91	30,697.00	19,100.00
योगः	95,852.23	1,08,659.00	1,44,519.00

18.2 परिशिष्ट-III के विवरण निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में बजट आवश्यकता के सूचक हैं।

18.3 निर्माण हेतु संस्थीकृत की गई निधियों, निर्माण एजेंसियों को दी गई निधियों तथा आगे अपेक्षित अनुमानित राशि की सूचना सहित अस्पताल बिस्तरों, औषधालयों और कार्यालय भवनों के लिए पूँजीगत निर्माण कार्यक्रम की स्थिति नीचे दी गई है :

(क) अस्पताल बिस्तर :

i	दिनांक 31.03.2019 को प्रतिमानकों के अनुसार स्वीकार्य बिस्तरों की संख्या (बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर)	1,39,868
ii	पहले से निर्मित अस्पतालों और एनैक्सियों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2019)	26,008
iii	निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2019)	2,586
iv	निर्माण हेतु अनुमत अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	5,450

(ख) भवन :

i	निर्माण के लिए फिलहाल पात्र औषधालयों की संख्या	1,457
ii	पैनल क्षेत्रों में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	375
	योग (i)+(ii)	1,832
iii	निर्मित औषधालयों की संख्या (सितम्बर, 2019 तक)	409
	निर्माण अपेक्षित औषधालयों की संख्या	1,423

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मामले में वित्तीय परिव्यय:

(` लाख में)

i	निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाएं :	
	सितम्बर, 2019 तक संस्थीकृत की गई राशि	13,69,753
	सितम्बर, 2019 तक दी गई राशि	11,30,347
	शेष देयता	2,39,406



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

18 CAPITAL CONSTRUCTION WORKS:

18.1 The following are / were the provision for capital construction works:

	Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
(` in Lakhs)			
Office Building (including staff quarters)	880.29	2,600.00	2,221.00
Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	72,104.03	7,503.00	1,23,198.00
Medical Education Projects	22,867.91	30,697.00	19,100.00
TOTAL :	95,852.23	1,08,659.00	1,44,519.00

18.2 The statements at Appendix-III indicate the budget requirement in respect of projects, which are in progress.

18.3 The position of capital construction programme for hospital beds, dispensaries and office buildings together with the information about funds sanctioned for their construction, funds placed at the disposal of construction agencies and approximate amount that will be further required is given below:

(A) Hospital Beds :

i.	No. of beds admissible as per norms (on the basis of No. of Insured Persons) as on 31-03-2019	1,39,868
ii.	No. of beds in hospitals & annexes already constructed (Sept., 2019)	26,008
iii.	No. of beds in hospitals under construction(Sept., 2019)	2,586
iv.	No. of beds in hospitals already agreed for construction	5,450

(B) Buildings :

i.	No. of dispensaries at present eligible for construction	1,457
ii.	No. of dispensary buildings that may be required in panel areas	375
	TOTAL (i) + (ii)	1,832
iii.	No. of dispensaries constructed (upto September, 2019)	409
	No. of dispensaries yet to be constructed	1,423

(C) Financial outlay in case of (a) & (b) above :

(` In Lakhs)

i.	Projects constructed / under construction :	
	Amount sanctioned upto September, 2019	13,69,753
	Amount released upto September, 2019	11,30,347
	Balance Liability	2,39,406



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

ii	निर्माण अपेक्षित परियोजनाएं :	
क)	` 7.00 लाख प्रतिबिस्तर की लागत पर 1,05,256 अस्पताल बिस्तर	7,40,768
ख)	` 40.00 लाख प्रतिऔषधालय की लागत पर 1,427 औषधालय	56,920
ग)	कार्यालय भवन का परिव्यय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	
	i) सितम्बर, 2019 तक संस्थीकृत राशि	38,047
	ii) सितम्बर, 2019 तक दी गई राशि	36,209
	iii) शेष देयता	1,838
	iv) कुल देयता	10,38,932

निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में हुई प्रगति तथा निर्मित अस्पतालों को चालू करने के संबंध में आवधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजनार्थ, एक निर्माण उप समिति का गठन किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

ii.	Projects to be constructed :	
a.	1,05,256 hospital beds at a cost of 7.00 lakhs per bed	7,40,768
b.	1,427 dispensaries at a cost of 40 lakhs per dispensary	56,920
c.	Outlay for office building (with staff quarters)	
i)	Amount sanctioned upto Sept. 2019	38,047
ii)	Amount released upto Sept. 2019	36,209
iii)	Balance Liability	1,838
iv)	Total Liability	10,38,932

A periodical review is conducted in respect of the progress made in case of projects under construction and also commissioning of the constructed hospitals. For this purpose a Construction Sub-Committee has been constituted.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

तुलन पत्र

17.1 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का सारांश नीचे दिया गया है:

शीर्ष देयताएँ	‘ करोड़ में	शीर्ष परिसंपत्तियां	‘ करोड़ में
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित (व्यय से आय का आधिक्य)	86,831.00	स्थायी परिसंपत्तियां	13,929.50
आरक्षित निधियाँ वर्तमान देयताएँ	23,249.43	चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम	7,799.55
प्रतिभूति जमा	3,092.69	उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	23,151.77
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं हैं।		क.रा.बी. सामान्य आरक्षित का रोकड़ शेष तथा निवेश	68,292.30
कुल:	1,13,173.12	कुल:	1,13,173.12



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

BALANCE SHEET

19. A summary of the Balance Sheet as on 31-03-2019 is as below :

Heads	` In crore	Heads	` In crore
LIABILITIES		ASSETS	
ESI General Reserve (Excess of Income over Expenditure)	86,831.00	Fixed Assets	13,929.50
Reserve Funds Current Liabilities	23,249.43	Current assets, loans, advances	7,799.55
Deposit of Securities	3,092.69	Investment from earmarked/ endowment fund	23,151.77
Unclaimed deposits in Provident Fund etc.		Cash Balance and investment of ESI General Reserve	68,292.30
TOTAL :	1,13,173.12	TOTAL :	1,13,173.12



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

संलग्नक—।

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन

(1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों बीमाकृत महिलाओं और लाभार्थियों की संख्या की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण तथा दिनांक 31.03.2021 तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (केवल धारा 2(12))
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश				
	(i) विजयवाड़ा	5,83,170 6,43,580	1,37,469	24,97,090	5355
	(ii) तिरुपति	2,43,350 2,66,720	61,078	10,34,874	2235
	(iii) विशाखापट्टनम	3,43,380 3,80,650	71,540	14,76,922	3153
2.	तेलंगाना	16,20,350 18,17,770	3,54,986	70,52,948	14879
3.	असम तथा मेघालय तथा नागालैण्ड तथा त्रिपुरा तथा सिक्किम	2,73,820 2,93,680	36,817	11,39,478	2514
4.	सिक्किम	21,490 23,320	6,101	90,482	
5.	बिहार	2,56,690 2,83,220	20,844	10,98,894	2357
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1,58,070 1,73,310	21,052	6,72,443	1452
7.	छत्तीसगढ़	5,69,440 6,20,480	43,389	24,07,462	5229
8.	दिल्ली				
	(i) राजेन्द्र प्लेस	3,82,890 4,27,260	44,370	16,57,769	3516
	(ii) रोहिणी	2,30,960 2,55,890	24,763	9,92,853	1667
	(iii) ओखला	7,39,790 8,28,440	61,326	32,14,347	2121
	(iv) नंदनगरी	1,81,540 2,05,050	16,317	7,95,594	6793



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

ANNEXURE – I

**STATEMENT SHOWING STATE-WISE POSITION OF NUMBER OF
(1) COVERED EMPLOYEES (2) INSURED PERSONS / FAMILY UNITS, INSURED WOMEN AND
NUMBER OF BENEFICIARIES UNDER EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME
AS ON 31.03.2019 AND NO. OF EMPLOYEES TO BE COVERED BY 31.03.2021**

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons/ Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered (Section 2(12) only)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Andhra Pradesh				
	i. Vijaywada	5,83,170 6,43,580	1,37,469	24,97,090	5355
	ii. Tirupati	2,43,350 2,66,720	61,078	10,34,874	2235
	iii. Visakhapatnam	3,43,380 3,80,650	71,540	14,76,922	3153
2.	Telangana	16,20,350 18,17,770	3,54,986	70,52,948	14879
3.	Assam & Meghalaya & Nagaland & Tripura & Sikkim	2,73,820 2,93,680	36,817	11,39,478	2514
4.	Sikkim	21,490 23,320	6,101	90,482	
5.	Bihar	2,56,690 2,83,220	20,844	10,98,894	2357
6.	Chandigarh U.T	1,58,070 1,73,310	21,052	6,72,443	1452
7.	Chhattisgarh	5,69,440 6,20,480	43,389	24,07,462	5229
8.	Delhi				
	(I) Rajender Place	3,82,890 4,27,260	44,370	16,57,769	3516
	(II) Rohini	2,30,960 2,55,890	24,763	9,92,853	1667
	(III) Okhla	7,39,790 8,28,440	61,326	32,14,347	2121
	(IV) Nandnagari	1,81,540 2,05,050	16,317	7,95,594	6793



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (केवल धारा 2(12))
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	गोवा	2,56,370 2,85,300	30,988	11,06,964	2354
10.	गुजरात				
	i अहमदाबाद	7,38,650 8,27,800	79,201	32,11,864	6783
	ii वडोदरा	2,76,680 3,17,390	30,815	12,31,473	2541
	iii सूरत	4,28,470 4,82,270	31,095	18,71,208	3935
11.	हरियाणा				
	(i) फरीदाबाद	7,62,720 8,84,030	74,694	34,30,036	7004
	(ii) गुरुग्राम	14,46,840 16,59,360	96,979	64,38,317	13286
	(iii) अंबाला	2,40,500 2,65,870	23,462	10,31,576	2208
12.	हिमाचल प्रदेश	2,96,240 3,40,500	36,204	13,21,140	2720
13.	जम्मू व कश्मीर	2,26,770 2,38,200	12,413	9,24,216	2082
14.	झारखण्ड	3,86,570 4,22,510	41,852	16,89,339	3550
15.	कर्नाटक				
	i. बैंगलुरु	10,10,130 11,37,090	2,59,919	44,11,909	9276
	ii. हुबली	3,12,340 3,37,800	67,768	13,10,664	2868
	iii. पीण्या	4,93,630 5,62,060	1,52,855	21,80,793	4533
	iv. बोम्मसंद्रा	7,24,230 8,33,030	1,91,189	32,32,156	6650
	v. गुलबर्गा	1,45,080 1,60,190	18,911	6,21,537	1332



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons/ Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Goa	2,56,370 2,85,300	30,988	11,06,964	2354
10	Gujarat				
	i. Ahmedabad	7,38,650 8,27,800	79,201	32,11,864	6783
	ii. Vadodara	2,76,680 3,17,390	30,815	12,31,473	2541
	iii. Surat	4,28,470 4,82,270	31,095	18,71,208	3935
11.	Haryana				
	i) Faridabad	7,62,720 8,84,030	74,694	34,30,036	7004
	(ii) Gurugram	14,46,840 16,59,360	96,979	64,38,317	13286
	(iii) Ambala	2,40,500 2,65,870	23,462	10,31,576	2208
12.	Himachal Pradesh	2,96,240 3,40,500	36,204	13,21,140	2720
13.	Jammu & Kashmir	2,26,770 2,38,200	12,413	9,24,216	2082
14.	Jharkhand	3,86,570 4,22,510	41,852	16,89,339	3550
15.	Karnataka				
	i. Bangalore	10,10,130 11,37,090	2,59,919	44,11,909	9276
	ii. Hubli	3,12,340 3,37,800	67,768	13,10,664	2868
	iii. Peenya	4,93,630 5,62,060	1,52,855	21,80,793	4533
	iv. Bommasandra	7,24,230 8,33,030	1,91,189	32,32,156	6650
	v. Gulbarga	1,45,080 1,60,190	18,911	6,21,537	1332



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (केवल धारा 2(12))
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	vi. मैसूर	2,16,370 2,44,630	74,385	9,49,164	1987
	vii. मेंगलूर	1,85,940 1,98,610	69,339	7,70,607	1707
16.	केरल तथा (लक्ष्मीप)				
	(i) तृश्शूर	1,54,950 1,68,160	62,827	6,52,461	1423
	(ii) एरणाकुलम	3,93,660 4,31,570	1,33,767	16,74,492	3615
	(iii) कोल्लम	1,32,720 1,39,890	71,095	5,42,773	1219
	(iv) कोषिकोड	1,59,160 1,70,980	62,839	6,63,402	1462
	(v) तिरुवनंतपुरम	1,28,850 1,43,520	52,014	5,56,858	1183
17.	मध्य प्रदेश				
	इंदौर	6,17,170 6,89,550	84,230	26,75,454	5667
	भोपाल	3,27,140 3,57,710	32,704	13,87,915	3004
18.	महाराष्ट्र				
	i. लोअर परेल	6,33,110 6,91,860	73,570	26,84,417	5814
	ii. मरोल	9,08,510 9,99,450	1,30,601	38,77,866	8343
	iii. ठाणे	7,41,640 8,26,030	91,726	32,04,996	6810
	iv. नागपुर	3,26,030 3,51,560	25,927	13,64,053	2994
	v. औरंगाबाद	2,49,560 2,92,030	24,185	11,33,076	2292
	vi. पुणे	13,32,390 14,93,280	1,93,862	57,93,926	12235

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons/ Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	vi. Mysore	2,16,370 2,44,630	74,385	9,49,164	1987
	vii Mangalore	1,85,940 1,98,610	69,339	7,70,607	1707
16.	Kerala & (Lakshadweep)				
(i)	Thrissur	1,54,950 1,68,160	62,827	6,52,461	1423
(ii)	Ernakulum	3,93,660 4,31,570	1,33,767	16,74,492	3615
(iii)	Kollam	1,32,720 1,39,890	71,095	5,42,773	1219
(iv)	Kozhikode	1,59,160 1,70,980	62,839	6,63,402	1462
(v)	Thiruvananthapuram	1,28,850 1,43,520	52,014	5,56,858	1183
17.	Madhya Pradesh				
	Indore	6,17,170 6,89,550	84,230	26,75,454	5667
	Bhopal	3,27,140 3,57,710	32,704	13,87,915	3004
18.	Maharashtra				
	i. Lower Parel	6,33,110 6,91,860	73,570	26,84,417	5814
	ii. Marol	9,08,510 9,99,450	1,30,601	38,77,866	8343
	iii. Thane	7,41,640 8,26,030	91,726	32,04,996	6810
	iv. Nagpur	3,26,030 3,51,560	25,927	13,64,053	2994
	v. Aurangabad	2,49,560 2,92,030	24,185	11,33,076	2292
	vi. Pune	13,32,390 14,93,280	1,93,862	57,93,926	12235



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (केवल धारा 2(12))
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	vii. नाशिक	1,73,230 1,93,770	18,048	7,51,828	1591
19.	ओडिशा	6,25,820 6,81,980	58,995	26,46,082	5747
20.	पुदुच्चेरी, अंडमान एवं निकोबार	1,09,710 1,21,570	31,886	4,71,692	1007
21.	पंजाब				
	i. चंडीगढ़ (पंजाब)	4,28,190 4,75,230	56,691	18,43,892	3932
	ii जालंधर	2,45,340 2,65,830	43,953	10,31,420	2253
	iii लुधियाना	3,76,850 4,22,640	45,847	16,39,843	3461
22.	राजस्थान				
	i जयपुर	9,55,980 10,69,730	87,092	41,50,552	8779
	ii उदयपुर	2,07,070 2,32,650	21,177	9,02,682	1901
	iii जोधपुर	1,70,800 1,90,610	18,968	7,39,567	1568
23.	तमिलनाडु				
	i चेन्नै	21,58,090 23,89,210	5,14,409	92,70,135	19817
	ii तिरुनेलवेली	1,81,860 1,98,300	65,171	7,69,404	1670
	iii सेलम	3,92,790 4,38,230	89,449	17,00,332	3607
	iv कोयम्बतूर	7,34,540 8,35,750	2,36,830	32,42,710	6745
	v मदुरै	4,04,410 4,38,710	1,53,676	17,02,195	3714

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET



Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons/ Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	vii. Nasik	1,73,230 1,93,770	18,048	7,51,828	1591
19.	Odisha	6,25,820 6,81,980	58,995	26,46,082	5747
20.	Puducherry + Andaman & Nicobar	1,09,710 1,21,570	31,886	4,71,692	1007
21.	Punjab				
	I Chandigarh(Punjab)	4,28,190 4,75,230	56,691	18,43,892	3932
	II Jalandhar	2,45,340 2,65,830	43,953	10,31,420	2253
	III Ludhiana	3,76,850 4,22,640	45,847	16,39,843	3461
22.	Rajasthan				
	I Jaipur	9,55,980 10,69,730	87,092	41,50,552	8779
	II Udaipur	2,07,070 2,32,650	21,177	9,02,682	1901
	III Jodhpur	1,70,800 1,90,610	18,968	7,39,567	1568
23.	Tamil Nadu				
	i. Chennai	21,58,090 23,89,210	5,14,409	92,70,135	19817
	ii. Tirunelveli	1,81,860 1,98,300	65,171	7,69,404	1670
	iii. Salem	3,92,790 4,38,230	89,449	17,00,332	3607
	iv. Coimbatore	7,34,540 8,35,750	2,36,830	32,42,710	6745
	v. Madurai	4,04,410 4,38,710	1,53,676	17,02,195	3714



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

क्र. सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या (केवल धारा 2(12))
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	उत्तर प्रदेश				
	i कानपुर	4,25,470 4,63,710	36,697	17,99,195	3907
	ii वाराणसी	1,03,560 1,11,580	8,558	4,32,930	951
	iii नोएडा	10,71,730 12,35,030	470	45,91,916	9841
	iv लखनऊ	4,12,100 4,53,030	35,937	17,57,756	3784
25.	उत्तराखण्ड	5,58,690 6,55,830	69,397	25,44,620	5130
26.	पश्चिम बंगाल				
	i. कोलकाता	12,96,470 13,77,060	1,29,471	53,42,994	11905
	ii. बैरकपुर	2,95,290 3,14,400	31,265	12,19,872	2712
	iii. दुर्गापुर	2,16,570 2,30,630	11,656	8,94,844	1,989
	अखिल भारत	3,14,01,920 3,49,67,080	51,20,174	13,56,72,270	2,88,358



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons/ Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5.	6.
24.	Uttar Pradesh				
	i. Kanpur	4,25,470 4,63,710	36,697	17,99,195	3907
	ii. Varanasi	1,03,560 1,11,580	8,558	4,32,930	951
	iii. NOIDA	10,71,730 12,35,030	470	45,91,916	9841
	iv. Lucknow	4,12,100 4,53,030	35,937	17,57,756	3784
25.	Uttarakhand	5,58,690 6,55,830	69,397	25,44,620	5130
26.	West Bengal				
	I. Kolkata	12,96,470 13,77,060	1,29,471	53,42,994	11905
	ii. Barrackpore	2,95,290 3,14,400	31,265	12,19,872	2712
	iii. Durgapur	2,16,570 2,30,630	11,656	8,94,844	1,989
	ALL INDIA	3,14,01,920 3,49,67,080	51,20,174	13,56,72,270	2,88,358



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट

संलग्नक — II

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय

		वास्तविक 2016–2017	वास्तविक 2017–2018	वास्तविक 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020	बजट प्राक्कलन 2020–2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	अंशदान आय	6,127.83	8,323.52	7127.26	5,677.96	5,811.94
II.	व्यय					
1.	हितलाभ :					
क)	नकद हितलाभ :					
	बीमारी हितलाभ	123.54	127.47	120.18	149.00	157.08
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.20	17.03	15.08	17.75	21.97
	मातृत्व हितलाभ	40.69	75.46	117.54	136.90	158.72
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	44.28	38.21	31.13	34.58	38.29
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	211.11	0	48.20	452.07	171.12
	आश्रितजन हितलाभ	235.68	0	31.97	271.05	141.97
	अंत्येष्टि खर्च	6.60	6.55	5.48	8.24	10.50
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1.67	1.76	2.69	2.85	3.46
	अटल बीमित योजना	0	0	0	0.16	0.16
	अन्य हितलाभ	1.09	1.04	.79	1.21	1.22
	कुल नकद हितलाभ	681.86	267.52	372.93	1,073.82	704.47
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	2,806.18	2,847.20	3,165.44	4,310.54	4,413.90
2.	प्रशासनिक व्यय	776.84	427.43	369.66	570.06	565.07
	कुल प्रतिव्यक्ति व्यय (॥)	4,326.21	3,542.15	3,535.11	4,880.61	4,978.97
	अंशदान आय में अंतर	1,801.62	4,781.37	3592.15	797.35	832.97



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET

ANNEXURE – II

EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME PER CAPITA INCOME FROM CONTRIBUTION AND EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS

		Actual 2016-2017	Actual 2017-2018	Actual 2018-2019	Revised Estimates 2019-2020	Budget Estimates 2020-2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Contribution Income	6,127.83	8,323.52	7127.26	5,677.96	5,811.94
II.	Expenditure					
1	Benefits :					
a)	Cash Benefit :					
	Sickness Benefit	123.54	127.47	120.18	149.00	157.08
	Extended Sickness Benefit	17.20	17.03	15.08	17.75	21.97
	Maternity Benefit	40.69	75.46	117.54	136.90	158.72
	Temporary Disablement Benefit	44.28	38.21	31.13	34.58	38.29
	Permanent Disablement Benefit	211.11	0	48.20	452.07	171.12
	Dependant's Benefit	235.68	0	31.97	271.05	141.97
	Funeral Expenses	6.60	6.55	5.48	8.24	10.50
	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	1.67	1.76	2.69	2.85	3.46
	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	0	0	0	0.16	0.16
	Other Benefits	1.09	1.04	.79	1.21	1.22
	TOTAL CASH BENEFIT	681.86	267.52	372.93	1,073.82	704.47
b)	Expenditure on Medical Benefit (Corporation's Share)	2,806.18	2,847.20	3,165.44	4,310.54	4,413.90
2	Administrative Expenditure	776.84	427.43	369.66	570.06	565.07
	TOTAL PER CAPITA EXPENDITURE (II)	4,326.21	3,542.15	3,535.11	4,880.61	4,978.97
	Margin in Contribution Income	1,801.62	4,781.37	3592.15	797.35	832.97



वित्तीय प्रावक्कलन तथा निष्पादन बजट

FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET





वित्तीय प्रावक्कलन तथा निष्पादन बजट



कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
Website : www.esic.nic.in • www.esic.in • www.esichospitals.gov.in
 www.facebook.com/esichq  @esichq